सत्यमेव जयते

भारत सरकार

वार्षिक रिपोर्ट

2025-26

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2025–26

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

कर्तव्य भवन–3, जनपथ, नई दिल्ली–110001

वेबसाइट : www.msme.gov.in

विषयसूची

अध्याय	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	**परिचय**	**1-16**
	1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	**1**
	1.2 एमएसएमई मंत्रालय का अधिदेश	**2**
	1.3 संगठनात्मक अवसंरचना	**4**
	1.4 बजटीय परिव्यय	**5**
	1.5 मंत्रालय की प्रमुख स्कीमें	**6**
	1.6 एमएसएमई मंत्रालय का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)	**6**
	1.7 शिकायत निगरानी	**7**
	1.8 खरीद	**9**
	1.9 एमएसएमई मंत्रालय का कौशल प्रशिक्षण पारितंत्र	**10**
	1.10 आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किए गए उपाय	**10**
2.	**वर्ष के दौरान विशेष आयोजन**	**17-30**
3.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का अवलोकन**	**31-38**
	3.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका	**31**
	3.2 एमएसएमई का पंजीकरण	**32**
4.	**संबद्ध कार्यालय, सांविधिक निकाय और संगठन**	**39-80**
	4.1 विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय	**39**
	4.1.2 टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर एवं टीआई) (प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में भी प्रख्यात)	**40**
	4.1.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम–विकास कार्यालय (एमएसएमई–डीएफओ)	**45**
	4.1.4 एमएसएमई परीक्षण केंद्र और परीक्षण स्टेशन	**48**
	4.2 खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	**49**
	4.3 कयर बोर्ड	**61**
	4.4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड	**68**
	4.5 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई–एमएसएमई)	**72**
	4.6 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)	**76**
5.	**प्रमुख स्कीमें, कार्यक्रम और पहलें**	**81-104**

6.	पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, विशिष्ट दिव्यांगजन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित क्रियाकलाप	**105-114**
	6.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु कार्यकलाप (एनईआर)	**105**
	6.2 महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से किए जाने वाले क्रियाकलाप	**111**
	6.3 विशिष्ट दिव्यांगजनों के लिए कल्याण	**112**
	6.4 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	**112**
7.	**सामान्य और सांविधिक दायित्व**	**115-126**
	7.1 राजभाषा	**115**
	7.2 सतर्कता	**118**
	7.3 राष्ट्रीय कर्मयोगी, बड़े पैमाने पर जन सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धि	**120**
	7.4 नागरिक चार्टर	**120**
	7.5 सूचना का अधिकार	**122**
	7.6 यौन उत्पीड़न की रोकथाम	**122**
	7.7 पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व	**123**
अनुबंध		
I.	प्रमुख स्कीम–वार कुल व्यय 2023–24, 2024–25 तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं व्यय विवरण	**127**
II.	एमएसएमई मंत्रालय और उसके सांविधिक निकायों के कार्यालयों के संपर्क पते	**128**
III.	एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची	**129-139**
IV.	विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के अंतर्गत 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थानों की सूची	**140-142**
V.	एमएसएमई–डीएफओ और शाखा एमएसएमई–डीएफओ की राज्य–वार सूची	**143-153**
VI.	एमएसएमई परीक्षण केंद्रों (टीसी) और एमएसएमई परीक्षण स्टेशनों (टीएस) का संपर्क विवरण	**154-156**
VII.	एमएसएमई परीक्षण केंद्रों (टीसी) और एमएसएमई परीक्षण स्टेशनों (टीएस) में विशेषज्ञता, कार्य क्षेत्र और कवर किए गए क्षेत्र	**157**
VIII.	लघुरूप	**158-160**

अध्याय 1

परिचय

1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

1.1.1 **पृष्ठभूमिः** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यंत जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 31.1% और भारत के निर्यात में 48.5% से अधिक का योगदान देता है। यह उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर और तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित करके देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, जो कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है। एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं। यह क्षेत्र देश के समावेशी औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। देश में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और कार्य–निष्पादन का अवलोकन **अध्याय 3** में दिया गया है।

1.1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सहयोग से खादी, कुटीर, ग्रामीण और कयर उद्योगों सहित लघु व्यवसाय के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देकर, मौजूदा उद्यमों को सहायता प्रदान करके, अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर और नए उद्यमों के निर्माण को प्रोत्साहित करके एक प्रगतिशील एमएसएमई क्षेत्र की परिकल्पना करता है। मंत्रालय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की भौगोलिक समावेशिता और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की जनसांख्यिकीय समावेशिता सुनिश्चित करने वाले प्रयासों के माध्यम से समावेशी विकास को बढ़ावा देने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

विजन

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के वाहक के रूप में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का सतत विकास

इसका उद्देश्य एमएसएमई के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करना और एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ करना है।			
औपचारीकीकरण और समावेशन	**ऋण तक पहुँच**	**वित्त तक पहुंच**	**बाजार तक पहुंच**
प्रौद्योगिकी तक पहुंच	**डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना**	**अवसंरचनात्मक बाधाएं**	**अपर्याप्त कौशल/ पुनः कौशल**

1.1.3 एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई को ऋण सहायता, तकनीकी सहायता, अवसंरचना विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और बाजार सहायता के लिए विभिन्न स्कीमों का कार्यान्वयन करता है, जिसका उद्देश्य स्व–रोजगार के अवसर सृजित करना है। स्कीमों की विस्तृत सूची **अध्याय–4** में दी गई है।

1.1.4 देश में एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन और विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, मंत्रालय को इसके तत्वावधान में कई सांविधिक और गैर–सांविधिक निकायों नामतः विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) और महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकीकरण संस्थान (एमगिरी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इन संगठनों और सांविधिक निकायों के अधिदेश और कार्य–निष्पादन के बारे में विस्तृत जानकारी **अध्याय–3** में दी गई है।

1.1.5 मंत्रालय अपने सभी संबद्ध कार्यालयों में राजभाषा ''हिंदी'' के प्रगामी प्रयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है, इसके अलावा सतर्कता, आरटीआई और यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निरंतर उपाय किए जा रहे हैं। विस्तृत जानकारी **अध्याय–6** में देखी जा सकती है।

1.2 एमएसएमई मंत्रालय का अधिदेश

1.2.1 दिनांक 9 मई, 2007 को पूर्ववर्ती लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय बनाया गया था, जिसे खादी, कुटीर, ग्राम और कयर उद्योगों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए सभी उपायों से संबंधित नीति और योजना के सभी मामलों और समन्वय के लिए अधिदेशित किया गया था।

1.2.2 **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006** देश में एमएसएमई की मान्यता, प्रचार, विकास और सुरक्षा के लिए एक व्यापक सांविधिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **एमएसएमई की सांविधिक परिभाषा और वर्गीकरण,** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की एकरूप पहचान को सक्षम करना तथा लक्षित नीति सहायता के लिए कानूनी आधार प्रदान करना।
- **एमएसएमई के लिए अनिवार्य पंजीकरण फ्रेमवर्क,** उद्यमों की औपचारिक मान्यता की सुविधा प्रदान करना तथा सरकारी स्कीमों, प्रोत्साहनों और सहायता तंत्रों तक उनकी पहुंच को सक्षम बनाना।
- **संवर्धन और विकासात्मक उपाय,** जिनमें ऋण सुविधा, अधिमान्य सार्वजनिक खरीद, समर्पित निधियों का सृजन और अनुदान सहायता के प्रावधान शामिल हैं, जिनका उद्देश्य उत्पादकता, प्रौद्योगिकी अपनाने और बाजार पहुंच को बढ़ाना है।
- **विलंबित भुगतान का समाधान करने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क,** जिसमें सूक्ष्म और लघु उद्यमों को समय पर भुगतान, विलंबित भुगतान पर दंडात्मक ब्याज और विवाद समाधान के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) की स्थापना करने का प्रावधान है।
- **वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता का सुदृढ़ीकरण,** जिसमें खरीदारों के वित्तीय विवरणों में एमएसएमई को बकाया राशि का खुलासा करना तथा कर कटौती के रूप में विलंबित भुगतान पर ब्याज की अस्वीकृति शामिल है।

कुल मिलाकर, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 भारत में एमएसएमई प्रशासन के लिए आधारभूत कानून के रूप में कार्य करता है, जो क्षेत्र के लचीलेपन, प्रतिस्पर्धात्मकता और आर्थिक विकास में योगदान को बढ़ाने के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों के साथ विकासात्मक सहायता को संतुलित करता है।

1.2.3 **खादी और ग्रामोद्योग अधिनियम, 1956:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 देश में खादी और ग्रामोद्योग के विनियमन और विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना के लिए वैधानिक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यह अधिनियम खादी और ग्रामोद्योग आयोग को भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय के रूप में, प्रशिक्षण, कच्चे माल, विपणन, अनुसंधान, गुणवत्ता, आदि से संबंधित उपायों और उससे जुड़े या प्रासंगिक अन्य मामलों सहित खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए योजना बनाने, बढ़ावा देने, सुविधा प्रदान करने, व्यवस्थित करने और सहायता करने के लिए अधिदेशित करता है।

1.2.4 **कयर उद्योग अधिनियम, 1953:** कयर उद्योग अधिनियम, 1953 में कयर उद्योग के विकास के लिए बोर्ड की स्थापना हेतु सांविधिक फ्रेमवर्क का प्रावधान है। यह अधिनियम कयर बोर्ड को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान, निर्यात संवर्धन, विपणन, ग्रेड मानकों का निर्धारण, प्रशिक्षण और उससे जुड़े या प्रासंगिक अन्य मामलों से संबंधित उपायों के माध्यम से कयर उद्योग को बढ़ावा देने, विकसित करने और निरंतर विकास सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित करता है।

1.2.5 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषाएं:

एमएसएमई को बड़े पैमाने पर प्रचालन में सहायता प्रदान करने तथा बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, वर्गीकरण के लिए निवेश और कारोबार सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ा दिया गया है। इससे दक्षता में सुधार, तकनीकी अपनाने और रोजगार सृजन होने का अनुमान है:

एमएसएमई मंत्रालय की दिनांक 21 मार्च, 2025 की अधिसूचना के द्वारा, केंद्रीय बजट घोषणा 2025–26 के हिस्से के रूप में 1 अप्रैल, 2025 से उद्यमों को वर्गीकृत करने के मानदंड में संशोधन किया गया है। संशोधित वर्गीकरण मानदंड निम्नानुसार हैं:–

- **सूक्ष्म उद्यम** वह है, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश 2.5 करोड़ रुपए से अधिक न हो और कारोबार 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो;
- **लघु उद्यम** वह है, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश 25 करोड़ रुपए से अधिक का न हो और कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक न हो; और
- **मध्यम उद्यम** वह है, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश 125 करोड़ रुपए से अधिक न हो और कारोबार 500 करोड़ रुपए से अधिक न हो।

1.2.6 भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के प्रयासों का समर्थन और संपूरण करती है, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना, रोजगार और आजीविका के अवसर सृजित करना और उभरते आर्थिक परिदृश्य में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

1.3 संगठनात्मक अवसंरचना

1.3.1 एमएसएमई मंत्रालय में लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) प्रभाग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (एआरआई) प्रभाग, प्रशासनिक एवं वित्त संस्थान (एएफआई) प्रभाग, प्रशासन और प्रौद्योगिकी प्रभाग (ए & टी), एकीकृत वित्त स्कंध (आईएफडब्ल्यू) और डेटा एनालिटिक्स एवं तकनीकी समन्वय (डीएटीसी) स्कंध के अतिरिक्त विकास आयुक्त (डीसी, एमएसएमई) का कार्यालय एक संबद्ध कार्यालय के रूप में और अन्य अधीनस्थ संगठन शामिल हैं। मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है:

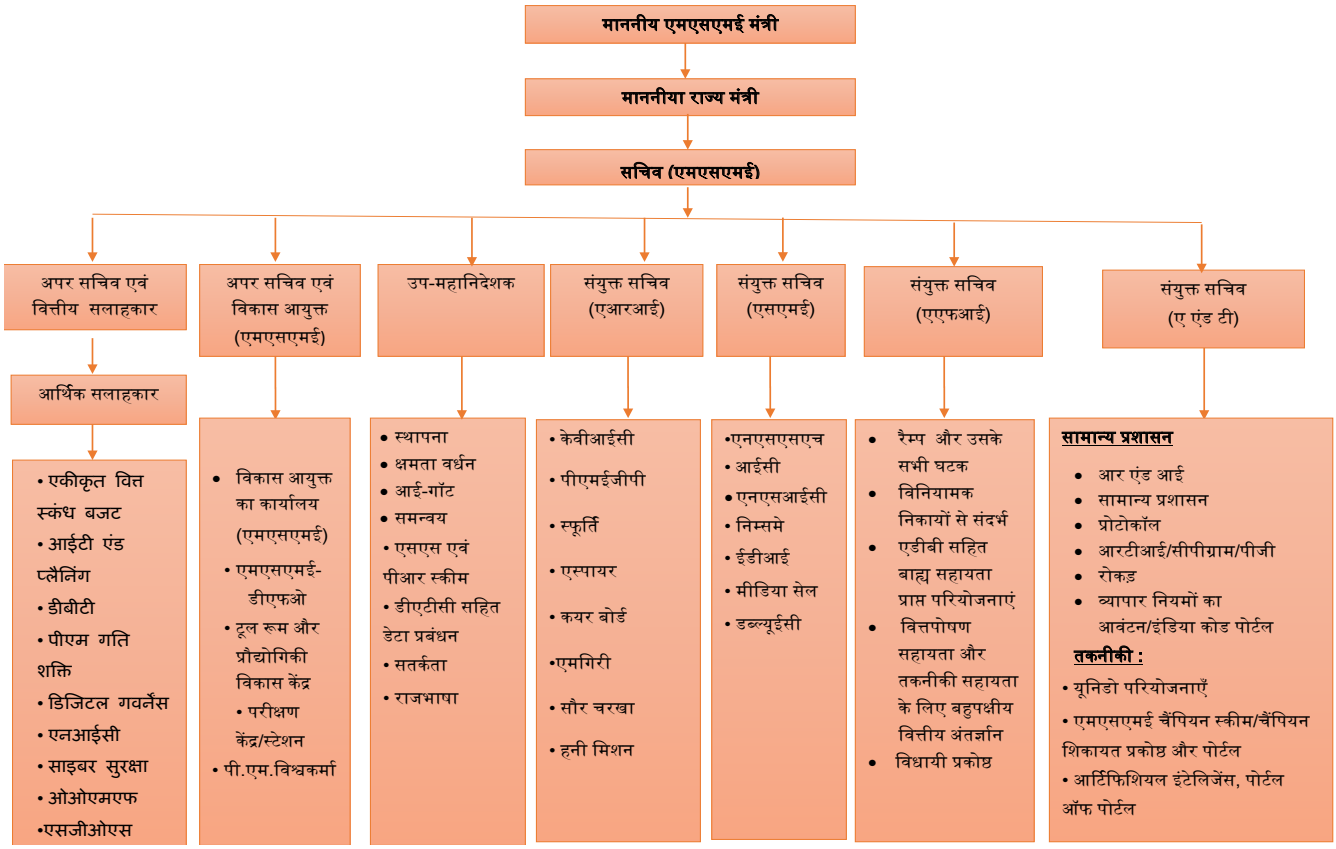

1.3.2 **एसएमई प्रभाग**–एसएमई प्रभाग, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड और राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) के प्रशासनिक पर्यवेक्षण का कार्य देखता है तथा यह प्रभाग अन्य के साथ–साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब स्कीम, अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम, महिला उद्यमिता प्रकोष्ठ और प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता जैसी अन्य पहलों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से स्कीमों के संवर्धन के लिए मंत्रालय के मीडिया और आउटरीच अभियान का प्रबंधन संबंधी कार्य भी देखता है।

1.3.3 **एआरआई प्रभाग:** एआरआई प्रभाग दो सांविधिक निकायों– खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड तथा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) का प्रशासन कार्य देखता है। यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) तथा नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) के कार्यान्वयन का भी पर्यवेक्षण करता है।

1.3.4 **एएफआई प्रभाग:** एएफआई प्रभाग में रैम्प अनुभाग नई शुरू की गई विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम "एमएसएमई कार्य निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन" का कार्यान्वयन करता है, जिसका उद्देश्य मौजूदा स्कीमों की बढ़ती पहुंच और केंद्र–राज्य सहयोग में वृद्धि करके एमएसएमई क्षेत्र में दृढ़ क्षमताओं में सुधार करना है।

1.3.5 **एएंडटी प्रभाग:** चैंपियंस स्कीम और डेस्क, लोक शिकायत, सीपीग्राम, नवाचार, सततता, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और सामान्य स्थापना के प्रशासनिक पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

1.3.6 **आईएफ स्कंध:** मंत्रालय का आईएफडब्ल्यू मंत्रालय और डीसी (एमएसएमई) कार्यालय के वित्तीय प्रस्तावों की जांच करता है, व्यय से संबंधित मामलों पर सहमति और नीतिगत सलाह प्रदान करता है तथा मंत्रिमंडल/

ईएफसी/एसएफसी प्रस्तावों की जांच करता है। समझौता ज्ञापन/करार/संविदाओं आदि पर हस्ताक्षर करने से संबंधित अन्य विविध मामलों की भी जांच करता है।

1.3.7 **बजट प्रभाग** – बजट प्रभाग मुख्य रूप से मंत्रालय के बजट निर्माण, निधि जारी करने और व्यय की निगरानी के लिए उत्तरदायी है। इसके प्रमुख कार्यों में अनुदान मांग, बजट अनुमान, संशोधित अनुमान, विनियोग खाते तैयार करना और एससीएसपी, टीएएसपी और पूर्वोत्तर क्षेत्र घटकों सहित व्यय की मासिक/त्रैमासिक निगरानी शामिल है। प्रभाग अप्रयुक्त शेष राशि की निगरानी, यूबीआईएस पर बजट डेटा अपलोड करना, संसदीय और विभागीय बैठकों के लिए समन्वय और अन्य संबंधित बजटीय और वित्तीय प्रबंधन क्रियाकलाप भी करता है।

1.3.8 **डीएटीसी स्कंध**– यह स्कंध एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित आंकड़े/सांख्यिकी का विश्लेषण करता है तथा यह एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए तकनीकी सूचनाएं (इनपुट) प्रदान करता है। एमएसएमई डेटाबेस के विकास और रख–रखाव के लिए सभी हितधारकों के साथ तकनीकी समन्वय करता है।

1.3.9 **मीडिया सेल**– मीडिया सेल सोशल मीडिया, डिजिटल, प्रिंट, आउटडोर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एमएसएमई स्कीमों और पहलों को बढ़ावा देता है। यह सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और त्रैमासिक ई–न्यूज़लेटर एमएसएमई कनेक्ट के माध्यम से स्कीम के लाभों और सफलता की कहानियों का प्रसार करता है, टीवी, रेडियो, प्रिंट, आउटडोर मीडिया और लघु वीडियो के माध्यम से भुगतान युक्त प्रचार करता है तथा पीएम विश्वकर्मा कॉन्क्लेव, एमएसएमई दिवस 2025, भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 आदि जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का प्रचार करता है।

1.4 बजटीय परिव्यय

मंत्रालय के 5 वर्षों के बजट अनुमान (ब.अ.), संशोधित अनुमान (सं.अ.) और वास्तविक व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान (ब.अ.)	संशोधित अनुमान (स.अ.)	वास्तविक व्यय
2021-22	15,699.65	15,699.65	15,160.47
2022-23	21,422.00	23,628.73	23,583.90
2023-24	22,137.95	22,138.01	22,094.17
2024-25	22,137.95	17,306.70	9700.35
2025-26	23,168.15	12,095.98	7998.98*

**दिनांक 20.01.2026 तक की स्थिति के अनुसार व्यय*

नोटः ब.अ. 2025–26 में गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल) शामिल है, जबकि सं.अ. 2025–26 में जीईसीएल शामिल नहीं है।

वर्ष 2023–24, 2024–25 के लिए वास्तविक व्यय और वर्ष 2025–26 के लिए ब.अ., सं.अ. और वास्तविक व्यय का प्रमुख स्कीम–वार विस्तृत विवरण **अनुबंध–I** में दिया गया है।

1.5 मंत्रालय की प्रमुख स्कीमें

एमएसएमई मंत्रालय ने देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई गतिशील और व्यापक स्कीमों का शुभारंभ किया है। ये पहलें वित्त, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, रोजगार सृजन, उद्यमिता और विपणन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों के लिए की गई हैं। पीएम विश्वकर्मा, ऋण गारंटी स्कीम, प्रौद्योगिकी केंद्र, पीएमईजीपी और खरीद और विपणन सहायता स्कीम जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से, मंत्रालय विशेष कर महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों और वंचित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिए संसाधनों तक पहुँच बढ़ाने, नवाचार में सुधार करने और समावेशिता को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। इन पहलों का लाभ उठाकर, मंत्रालय एमएसएमई की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता, सततता और मापनीयता में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस प्रकार रोजगार सृजन, आर्थिक लचीलापन और देश की विकास गति में योगदान देता है। स्कीमों का विस्तृत विवरण रिपोर्ट के **अध्याय–4** में दिया गया है।

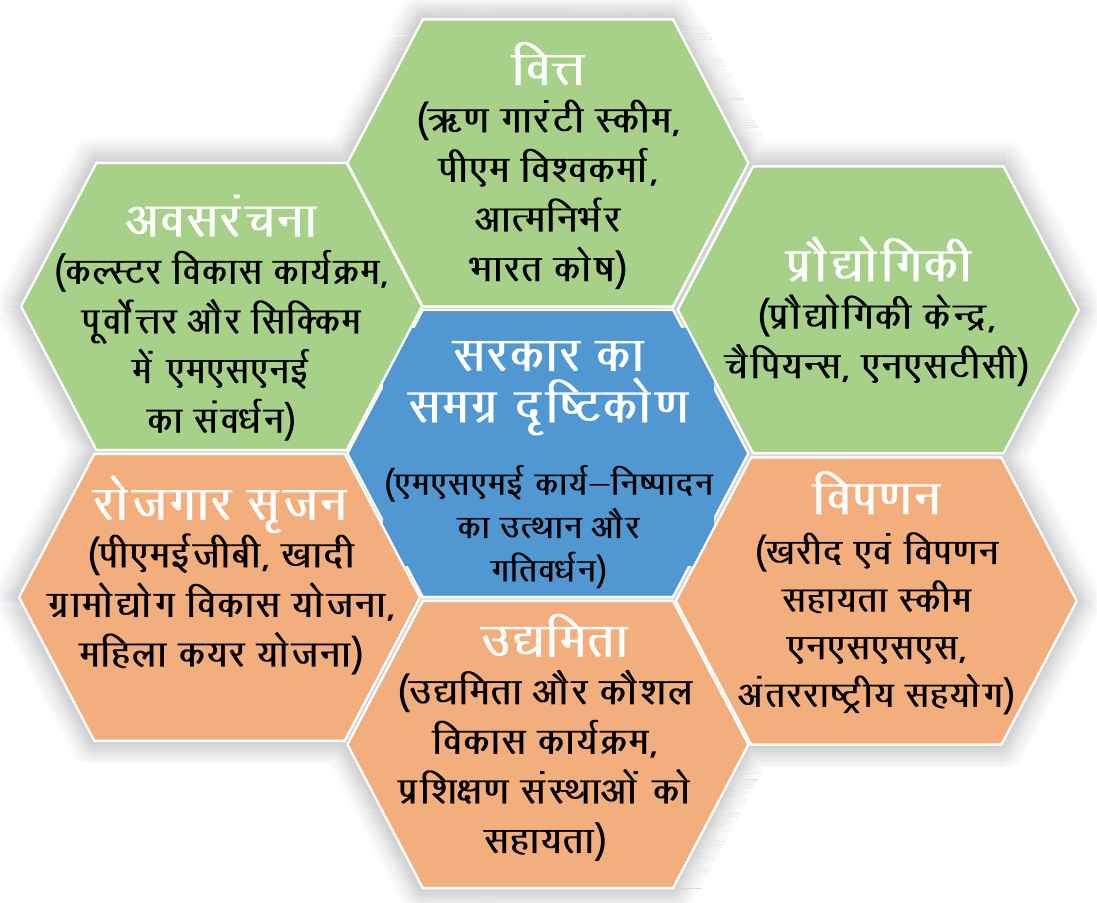

1.6 एमएसएमई मंत्रालय का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)

1.6.1 भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली फंड वितरण की दक्षता को बढ़ाती है, मौजूदा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करती है, तीव्र और सरल फंड प्रवाह सुनिश्चित करती है, लाभार्थियों का सटीक लक्ष्यीकरण करती है तथा दोहराव और धोखाधड़ी के जोखिम को कम करती है।

1.6.2 डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मंत्रालय में एक समर्पित डीबीटी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया

है। लाभार्थियों को प्रदान किए गए लाभ के प्रकार के आधार पर स्कीमों को वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें नकद, वस्तु या समग्र (नकद और वस्तु दोनों) शामिल हैं। नीचे दी गई तालिका में मंत्रालय की प्रमुख डीबीटी स्कीमों का विवरण दिया गया है, जिसमें लाभ का प्रकार, लाभार्थियों की संख्या और अंतरित की गई कुल धनराशि या किए गए व्यय शामिल हैं:

(दिनांक 31.12.2025 तक की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लाभ का प्रकार	लाभार्थियों की कुल संख्या	कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
1	**प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता (एटीआई) स्कीम (प्रशिक्षण घटक)**	**वस्तु के रूप में**	10,245	12.29
2	**खादी संस्थाओं को एमएमडीए अनुदान**	**नकद**	4,66,824	60.29
3	**कयर विकास योजना**	**नकद**	1,121	0.58
4	**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)**	**नकद**	54,351	2,129.04 **(मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में संवितरित किया गया)**
5	**उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)**	**वस्तु के रूप में**	2,34,951	68.10
6	**अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम**	**नकद**	353	14.30
7	**पीएम विश्वकर्मा स्कीम**	**नकद और वस्तु दोनों में**	30,00,000	5653.28

उपर्युक्त उल्लिखित 7 स्कीमों के आंकड़ों को मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा बनाए गए डीबीटी पोर्टल पर मासिक आधार पर नियमित रूप से अद्यतित किया जाता है।

1.7 शिकायत निगरानी

मंत्रालय, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) के माध्यम से सभी शिकायतों का समाधान करता है। सीपीग्राम के अलावा, मंत्रालय ने समाधान प्रणाली की शुरूआत की है, जो एक ऑनलाइन शिकायत निगरानी मंच है, जिसे विशेष रूप से एमएसएमई से प्राप्त अन्य शिकायतों और सुझावों को ट्रैक करने और प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन तंत्रों का पूरक चैंपियंस पोर्टल है, जो निवारण, मार्गदर्शन और एमएसएमई को पथ–प्रदर्शन सहायता के लिए एक समग्र मंच के रूप में कार्य करता है, वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करता है, साथ ही देश भर में 69 राज्य नियंत्रण कक्षों के माध्यम से ग्यारह क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी प्रसारित करता है।

1.7.1 एमएसएमई समाधानः एमएसई के विलंबित भुगतान का समाधान करनाः

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15–24 सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को विलंबित भुगतान का समाधान करने के लिए एक संवैधानिक तंत्र प्रदान करती है, जहां भुगतान में 45 दिनों से अधिक की विलंब की स्थिति में एमएसई प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में गठित सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) के माध्यम से निवारण की मांग कर सकता है।

इस फ्रेमवर्क को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने अक्तूबर, 2017 में एमएसएमई समाधान पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल विलंबित भुगतान मामलों की ऑनलाइन फाइलिंग और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है तथा सीपीएसई, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य खरीदारों से बकाया राशि की दृश्यता प्रदान करता है। पोर्टल पर दर्ज की गई शिकायतों को संबंधित एमएसईएफसी द्वारा 15 दिनों के भीतर पंजीकृत किया जाना आवश्यक है।

पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली सहित कई राज्यों में एक से अधिक एमएसईएफसी स्थापित किए गए हैं, जिससे मामलों का समय पर तथा प्रभावी ढंग से समाधान सुनिश्चित होता है।

पोर्टल की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर, 2025 तक, एमएसई ने 2,56,892 आवेदन दाखिल किए हैं, जिनमें 55,244.31 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इनमें से 24,238 मामलों को आपसी समझौते के जरिए सुलझाया गया है, जिनकी कुल राशि 3,018.37 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, एमएसईएफसी द्वारा 52,744 आवेदनों की समीक्षा की जानी है, जिनमें 8,397.25 करोड़ रुपये शामिल हैं, जबकि 47,088 आवेदनों को मामलों में परिवर्तित कर दिया गया है, जिनमें 14243 करोड़ रुपये शामिल हैं। कुल मिलाकर, एमएसईएफसी द्वारा 53911 मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है, जिसमें 14,243 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। कुल मिलाकर, एमएसईएफसी द्वारा 53,911 मामलों का सफलतापूर्वक निपटान किया गया है, जिसमें 14,638.38 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

14 जून, 2020 को शुरू किए गए समाधान पोर्टल के भीतर एक विशेष उप–पोर्टल, भारत सरकार के मंत्रालयों और सीपीएसई द्वारा एमएसई को बकाया और मासिक भुगतान की रिपोर्टिंग करने में सक्षम बनाता है। 15 अक्तूबर, 2025 से नए लॉन्च किए गए एमएसएमई ओडीआर पोर्टल पर विलंबित भुगतान के सभी नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं जिसे समाधान पोर्टल से एकीकृत किया जा रहा है।

1.7.2 चैंपियंस पोर्टलः

चैंपियंस पोर्टल समाधान, निवारण और उपचार का एक प्लेटफ़ॉर्म है। यहां एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित के लिए सुविधा प्रदान की गई हैः –

- एमएसएमई की शिकायतों का त्वरित, सुविधाजनक और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना।
- विभिन्न सरकारी स्कीमों/नीतियों को समझने में एमएसएमई की पथ–प्रदर्शन सहायता करना।
- वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, कच्चा माल, श्रम, अवसंरचना और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में मार्गदर्शन और परामर्शी सेवाएँ प्रदान करना।
- एमएसएमई को मंत्रालय, राज्य सरकारों, ऋण–दाता संस्थाओं और सरकारी एजेंसियों के प्रमुख अधिकारियों से जोड़ना।

- एमएसएमई मंत्रालय की सभी स्कीमों की जानकारी और विवरण का प्रचार–प्रसार करना।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, एमएसएमई चैंपियंस पोर्टल मंत्रालय को कुल 39,494 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से चैंपियंस नियंत्रण कक्ष द्वारा 39,387 शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया। यह 99.72 प्रतिशत की निपटान दर को दर्शाता है, जो पोर्टल की सुदृढ़ जवाबदेही और इसके शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान निवारित शिकायतों में से, 25,503 शिकायतों (लगभग 64.75 प्रतिशत) का निवारण 48 घंटों के भीतर किया गया, जो एमएसएमई को समय पर सहायता और पथ–प्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए पोर्टल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

1.8 खरीद

1.8.1 लोक प्रापण नीति

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए एक सुनिश्चित बाजार सुनिश्चित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एमएसई के लिए लोक प्रापण नीति को अधिसूचित किया, जो 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी और 1 अप्रैल, 2015 से अधिदेशित है।

नवंबर, 2018 में, माननीय प्रधानमंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए "समर्थन और आउटरीच कार्यक्रम" शुरू किया, जिसमें एमएसएमई विकास के लिए 12 प्रमुख पहलें शामिल थीं। इसके तर्ज पर, एमएसई आदेश, 2012 के लिए लोक प्रापण नीति को 9 नवंबर, 2018 को राजपत्र अधिसूचना संख्या एस.ओ. 5670(अ.) द्वारा संशोधित किया गया था जिसमें 25% वार्षिक खरीद लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से 4% और महिला–स्वामित्व वाले एमएसई से 3% खरीद शामिल है।

1.8.2 एमएसई से सार्वजनिक खरीद के लिए एमएसएमई संबंध पोर्टल

सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जेम) से केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और सीपीएसई द्वारा खरीद की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने दिसंबर, 2017 में एमएसएमई संबंध पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल खरीद डेटा को ट्रैक करके एमएसई के लिए लोक प्रापण नीति के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करता है। जैसा कि पोर्टल द्वारा दर्शाया गया है, 162 सीपीएसई द्वारा 1,57,466.19 करोड़ रुपए की कुल खरीद का 47.70% सूचित किया गया है जो एमएसई से किया गया है जिससे 1,67,614 एमएसई को लाभ हुआ है। इसमें से केवल 3.50% महिला स्वामित्व वाले उद्यमों से और 1.88% एससी–एसटी स्वामित्व वाले उद्यमों से था।

1.8.3 सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जेम)

एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई को जेम (गवर्नमेंट ई–मार्केटप्लेस) पोर्टल से जुड़ने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित कर रहा है। इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन फॉर्म में एक विशिष्ट विकल्प एकीकृत किया गया है, जिससे एमएसएमई को आसानी से जेम में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करने की अनुमति मिलती है।

14 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार, जेम पोर्टल का डेटा उनके संबंधित ऑर्डर मूल्य के साथ ऑनबोर्ड किए गए एमएसई की कुल संख्या को दर्शाता है, जिससे सार्वजनिक खरीद में एमएसएमई की बढ़ती भागीदारी और योगदान प्रदर्शित होता है।

एमएसई विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की संख्या	ऑर्डर मूल्य (एमएसई %)
24.29 लाख	44.75%

1.9 एमएसएमई मंत्रालय का कौशल प्रशिक्षण पारितंत्र

एमएसएमई मंत्रालय ने उभरते और परंपरागत क्षेत्रों में एमएसएमई की कार्यबल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक कौशल पारितंत्र विकसित किया है, जो रोजगार क्षमता, उद्यमिता और मजदूरी युक्त रोजगार पर ध्यान केंद्रित करता है। कौशल प्रशिक्षण केवीआईसी, कयर बोर्ड, एनएसआईसी, निम्समे और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों के माध्यम से दिया जाता है, जो स्कूल छोड़ने वालों से लेकर उन्नत स्नातकों तक के प्रतिभागियों की आवश्यकता को पूरा करता है।

ये कार्यक्रम खादी, ग्रामोद्योग और कयर क्षेत्र के लिए विशेष कौशल उन्नयन सहित प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर अर्हताएं प्रदान करते हैं। सभी प्रशिक्षणों को कौशल भारत मिशन के अंतर्गत एनएसक्यूएफ के साथ जोड़ा गया है और टीआर और आईटी, टीसीएसपी, एटीआई, राष्ट्रीय एससी/एसटी हब, खादी ग्रामोदय विकास योजना, कयर विकास योजना और महिला कयर योजना जैसी स्कीमों के साथ–साथ अनुकूलित, उद्योग–संचालित पाठ्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है।

वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा प्रचालित कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रगति नीचे दिए गए बार चार्ट में प्रदान की गई है:

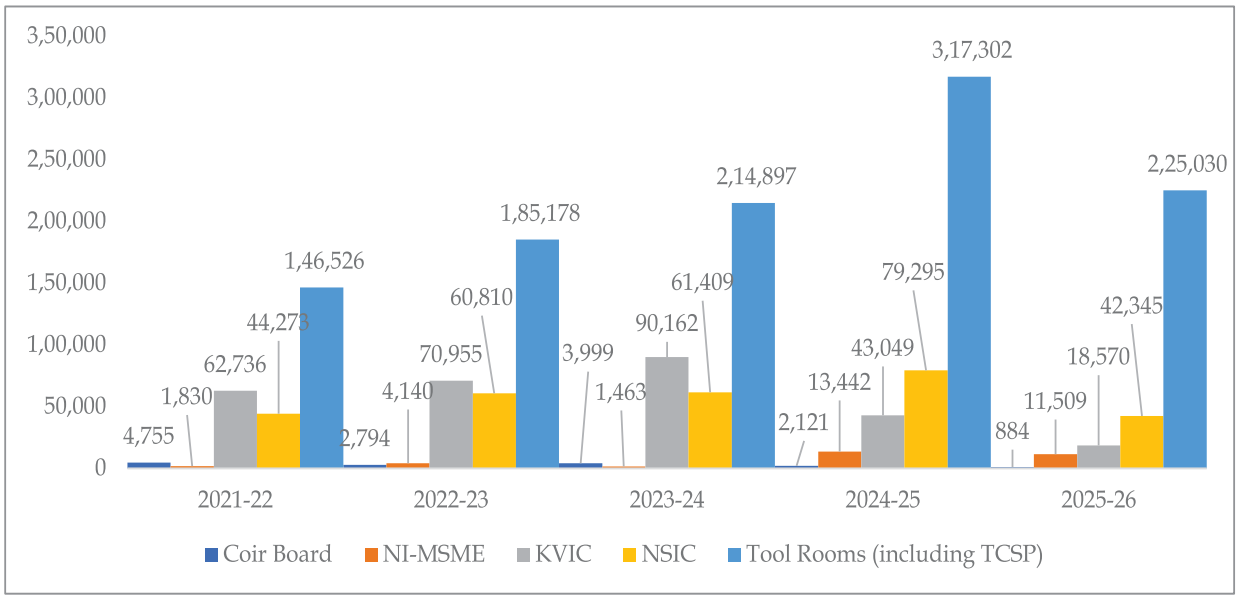

'' : नवंबर, 2025 तक*

1.10 आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत किए गए उपाय

1.10.1 आत्मनिर्भरता एवं स्वदेशी क्षमता विकास

अपने व्यापक *आत्मनिर्भर भारत अभियान* के हिस्से के रूप में, एमएसएमई मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता बढ़ाने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करने के लिए कई पहलें की हैं। इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण अंतःक्षेप प्रौद्योगिकी केंद्रों

(टीसी) का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है। ये केंद्र उन्नत मशीनरी और अवसंरचना से सुसज्जित हैं तथा आत्मनिर्भर, स्वायत्त निकायों के रूप में कार्य करते हैं, जो उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों, कुशल जनशक्ति और एमएसएमई को तकनीकी और व्यावसायिक परामर्शी सहायता प्रदान करते हैं।

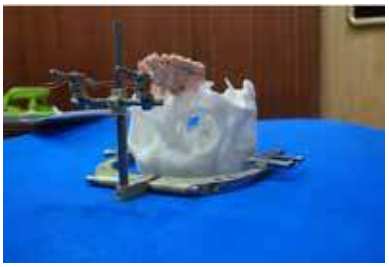

(क) **स्वदेशी चिकित्सा उपकरण विकासः** केंद्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र, भुवनेश्वर ने जटिल चिकित्सा असेंबलियों में स्वदेशी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए उन्नत रिवर्स इंजीनियरिंग और सटीक मशीनिंग के माध्यम से रिजिड एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन (आरईडी–II) चिकित्सा प्रणाली विकसित की।

(ख) **एचएएल के लिए एयरोस्पेस घटक विनिर्माणः** केन्द्रीय टूल रूम, लुधियाना ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के लिए सुखोई विमान घटकों के लिए स्वदेशी रूप से फिक्स्चर और जिग्स विकसित किए, जिससे एयरोस्पेस स्वदेशीकरण को सुदृढ़ किया गया।

(ग) **रक्षा विनिर्माण – हथियार और गोला बारूदः** इंडो–जर्मन टूल रूम, अहमदाबाद ने घरेलू रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देते हुए हथियारों और गोला–बारूद में उपयोग किए जाने वाले ट्रिगर्स के लिए एक मल्टी–कैविटी मेटल इंजेक्शन मोल्ड विकसित किया है।

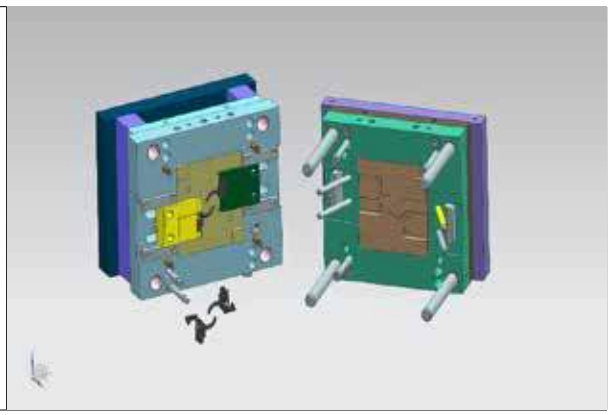

(घ) **विपरीत परिस्थितियों के लिए स्वदेशी रक्षा गियरः** एमएसएमई–प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (पीपीडीसी), मेरठ ने भारतीय सेना के लिए बहुत अधिक ऊंचाई वाले स्थान के लिए उपयुक्त स्लीपिंग बैग और बहुउद्देशीय रक्षा जूते विकसित किए (–50 डिग्री सेल्सियस तक उपयोग करने योग्य), जिससे लागत 40% कम हो गई।

ङ) **स्वदेशी ड्रोन विकासः** एमएसएमई–प्रौद्योगिकी विकास केंद्र (पीपीडीसी), आगरा ने एनआईटी श्रीनगर के सहयोग से 80% स्वदेशी घटकों के साथ एक स्व–संतुलन फिक्स्ड–विंग ड्रोन विकसित किया है, जो लॉजिस्टिक और आपदा रिस्पॉन्स में सहायता प्रदान करता है।

(च) **रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आरएफ और माइक्रोवेव घटकः** टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र, गुवाहाटी ने आरएफ और माइक्रोवेव अनुप्रयोगों के लिए एस–बैंड वेवगाइड एडेप्टर विकसित किए, जिससे लागत में 50% की कमी आई और 30% तेजी से वितरण सुनिश्चित हुआ।

(छ) **एयरोस्पेस इंजन घटकः** केन्द्रीय टूल डिजाइन संस्थान, हैदराबाद ने हाई प्रेशर कंप्रेसर (एचपीसी) अनुप्रयोगों के लिए एयरोफ़ॉइल सुविधाओं के साथ नोजल सेगमेंट का निर्माण किया, जिससे एयरोस्पेस आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ हुई।

(ज) **ऑटोमोटिव मशीनरी आयात प्रतिस्थापनः** इंडो–जर्मन टूल रूम, इंदौर ने टर्बोचार्जर बैलेंसिंग मशीनों के लिए एक महत्त्वपूर्ण फेस प्लेट का निर्माण किया, जो 60% लागत बचत और तेज उपलब्धता के साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।

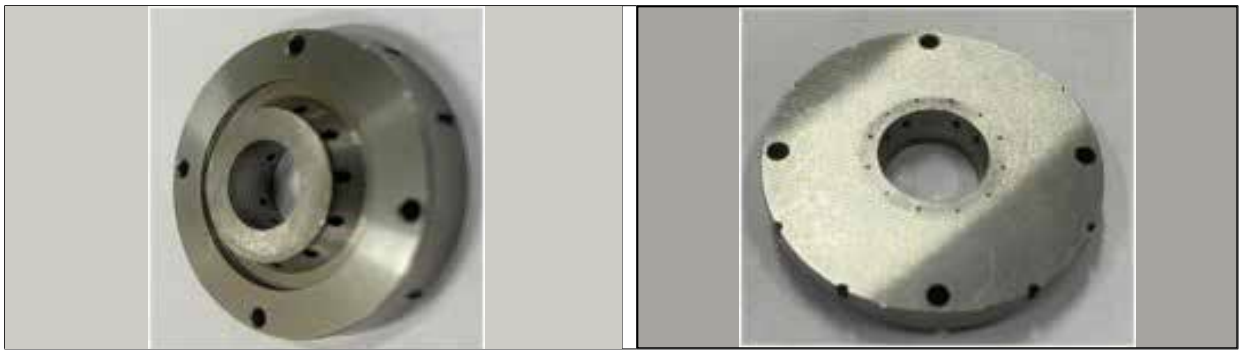

(झ) **रेलवे और इस्पात उद्योग घटकः** इंडो–डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर ने ऑटो कप्लर्स के लिए माउंटिंग बेस विकसित किया, जिसके परिणामस्वरूप लागत में 50% की कमी और लीड–टाइम में 30% की कमी आई।

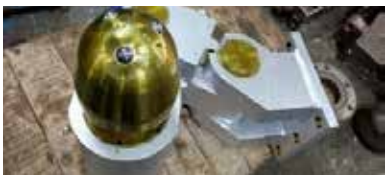

(ञ) **इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया उपकरणः** इंडो–डेनिश टूल रूम, जमशेदपुर ने स्टील बनाने की प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाला एएल–80 तंत्र विकसित किया, जिससे लागत में 45% की कमी आई।

(ट) **फार्मास्युटिकल के लिए घटकः** टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर, गुवाहाटी ने आई–ड्रॉप भरने वाली मशीनों के लिए पिक एंड प्लेस टॉय रॉड्स का निर्माण किया, जिसके परिणामस्वरूप लागत में 60% की कमी और 80% समय की बचत हुई।

(ठ) **पाउच भरने वाली मशीनों के लिए स्वदेशी घटकः** टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र, गुवाहाटी ने पाउच भरने में उपयोग की जाने वाली स्वचालित स्पाउटिंग मशीनों (एएसएम) के लिए घटकों का निर्माण किया, जिसके परिणामस्वरूप लागत में 40% की कमी आई।

(ड) **उच्च उत्पादकता वाले प्रेस उपकरणः** केन्द्रीय टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, कोलकाता ने हाइड्रोलिक डबल–एक्शन ड्रॉ प्रेस टूल का निर्माण किया, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता में 50% की वृद्धि हुई।

(ढ) **स्टील रोलिंग उद्योग के लिए उपकरणः** सेंट्रल टूल रूम, लुधियाना ने स्टील रोलिंग रोलर्स के लिए टेम्पलेट विकसित किए, जिससे स्टील रोलिंग संचालन में गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार हुआ।

(ण) **कॉम्बिनेशन टूल डेवलपमेंटः** सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिज़ाइन, हैदराबाद ने एक कॉम्बिनेशन टूल (ब्लैंकिंग और फॉर्मिंग) का निर्माण किया, जिससे तीन महीने के लीड टाइम की बचत हुई।

1.10.2 आत्मनिर्भर भारत कोष (निधियों का कोष) के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश

- आत्मनिर्भर भारत कोष (एसआरआई फंड) का उद्देश्य इक्विटी निवेश के माध्यम से एमएसएमई को वित्त उपलब्ध कराने की चुनौती का समाधान करना है। पूंजी के पूल को चिह्नित करना आवश्यक है, जिसका अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव के निर्माण के लिए और अधिक लाभ उठाया जा सकता है जिससे एमएसएमई वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सके।

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार ने एमएसएमई के लिए 10,000 करोड़ रुपये का निधियों का कोष स्थापित करने की घोषणा की है। इस कोष को आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष कहा जाता है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में निवेश करने वाली उद्यम पूंजी (वीसी)/प्राइवेट इक्विटी (पीई) फर्मों को सहायता प्रदान करना है।

- यह कोष एमएसएमई क्षेत्र की इक्विटी फंडिंग चुनौतियों का समाधान करता है और उनकी बाधाओं को तोड़ने पर बल देता है और उन्हें वैश्विक चैंपियन बनने के लिए अपनी पूरी अंतर्निहित क्षमता तक बढ़ने की अनुमति देता है। एसआरआई फंड कम सेवा वाले एमएसएमई में विभिन्न प्रकार के फंडों को चैनलाइज़ करने और व्यवहार्य और उच्च विकास वाले एमएसएमई की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है।

- एसआरआई कोष को क्रियान्वित करने के लिए, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीबी) अर्थात राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) को दिनांक 1 सितम्बर, 2021 को श्रेणी II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में पंजीकृत किया गया था। इसके बाद, (i) एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार (ii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (iii) एनवीसीएफएल; और (iv) एसबीआई–कैप वेंचर्स लिमिटेड के बीच दिनांक 12 अक्तूबर, 2021 को अंशदान करार पर हस्ताक्षर किए गए।

- अनुषंगी कोष (डॉटर फंड) द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कोष और एसआरआई कोष द्वारा प्रतिबद्ध कोष 4:1 के अनुपात में हैं और यह आशा की जाती है कि एसआरआई कोष की पहल गुणक प्रभाव उत्पन्न करेगी जिससे एमएसएमई क्षेत्र को लगभग 50,000 करोड़ रूपए की महत्त्वपूर्ण नगदी प्राप्त होगी, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को सक्षम बनाया जा सकेगा।

स्थिति: अक्तूबर 2021 में स्थापना के बाद से, दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार, 69 अनुषंगी निधियों को एनवीसीएफएल (मदर फंड) के साथ सूचीबद्ध किया गया है और इन सहायक निधियों ने इन एमएसएमई में 16,260 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 693 एमएसएमई की सहायता की है। सहायता प्राप्त 693 एमएसएमई में से 90 एमएसएमई का नेतृत्व महिला उद्यमियों द्वारा, 22 एमएसएमई का नेतृत्व ओबीसी उद्यमियों द्वारा और 3 एमएसएमई का नेतृत्व एससी/एसटी उद्यमियों द्वारा किया जाता है।

1.11 विशेष अभियान 5.0% स्वच्छता को संस्थागत बनाना और लंबित मामलों को न्यूनतम करना

2 अक्तूबर, 2025 को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया विशेष अभियान 5.0, स्वच्छता को संस्थागत बनाने, ई–अपशिष्ट और अप्रचलित स्क्रैप के निपटान तथा पीएमओ/वीआईपी संदर्भों, सार्वजनिक शिकायतों, संसदीय आश्वासनों और फ़ाइल समीक्षाओं से संबंधित लंबित मामलों को निपटाने पर केंद्रित है।

मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने कार्यस्थल की स्वच्छता और दक्षता में सुधार के साथ–साथ 7 मानदंडों पर 100% लक्ष्य और 3 अन्य पर 95% से अधिक लक्ष्य प्राप्त किए। 31 अक्तूबर, 2025 तक 23,162 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई तथा 4,280 फाइलों को हटा दिया गया; 953 ई–फ़ाइलों की समीक्षा की गई और 623 को बंद कर दिया गया। गैर–उपयोगी वस्तुओं के निपटान से 22.89 लाख रुपए का राजस्व अर्जित हुआ और 21,045.90 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली हो गया।

स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के उपायों के अलावा, मंत्रालय और इसके संगठनों/क्षेत्रीय कार्यालयों ने ई–अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण–अनुकूल पहल, जनभागीदारी और अपशिष्ट से धन अर्जन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाया, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:

(क) अभियान के इस वर्ष के संस्करण के अंतर्गत, ई–अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के अनुरूप, केवल अधिकृत रिसाइक्लरों के माध्यम से मंत्रालय के अंतर्गत सभी कार्यालयों और क्षेत्रीय इकाइयों से कंप्यूटर, प्रिंटर और बाह्य उपकरणों जैसे इलेक्ट्रॉनिक कचरे का सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से ई–अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है।

(ख) महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी), वर्धा ने 'अपशिष्ट से धन' की थीम को मूर्त रूप देते हुए वर्धा में स्क्रैप आयरन का उपयोग करके गौ माता की एक मूर्ति बनाई। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरणीय चेतना को बढ़ावा देना और पशु स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। एमगिरी ने स्वच्छता जागरूकता फैलाने के लिए अरवी नाका में एक नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया।

विशेष अभियान 5.0 के दौरान माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री स्वच्छता शपथ दिलाते हुए

(ग) एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठनों ने महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा मासिक धर्म अपशिष्ट के निपटान के लिए पर्यावरण की दृष्टि से उत्तरदायी पद्धति को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एमएसएमई मंत्रालय ने नई दिल्ली के नव उद्घाटित कर्तव्य भवन 3 में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें स्थापित की हैं।
- एमगिरी ने भी महिला आश्रम बुनियादी स्कूल, वर्धा, महाराष्ट्र में सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें स्थापित की हैं।

(घ) सीसीआरआई, कलावूर, अलाप्पुझा में, गिरी हुई पत्तियों, कयर पिथ और अन्य जैविक कचरे का उपयोग करके खाद गड्ढे स्थापित किए गए थे। यह पहल पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती है, मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है और पर्यावरण की दृष्टि से सतत अपशिष्ट प्रबंधन में सहायता प्रदान करती है।

एमगिरी ने आर्वी नाका में लोकमहा विद्यालय, वर्धा के सहयोग से स्वच्छता जागरूकता नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया।

(ङ) एक पेड़ माँ के नाम: मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ माननीय एमएसएमई मंत्री, श्री जीतन राम मांझी और माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री, सुश्री शोभा करांदलाजे की उपस्थिति में दिनांक 18.05.2025 को एमएसएमई–डीएफओ, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में कार्यक्रम "एक पेड़ माँ के नाम" का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पर्यावरणीय संधारणीयता पर जोर दिया गया, जिसमें हरित और जिम्मेदार विकास के प्रति एमएसएमई मंत्रालय की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए वृक्षारोपण किया गया।

अध्याय 2

वर्ष के दौरान विशेष आयोजन

परिचय

वर्ष के दौरान, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राष्ट्रपति भवन में उद्यम उत्सव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस–2025, 17वां सिविल सेवा दिवस, आईआईटीएफ–2025, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति हब सम्मेलन, एमएसएमई सेवा पर्व–2025: *विरासत से विकास*, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा हाट–2026 और स्वतंत्रता दिवस समारोह–2025 सहित कई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन किया तथा उनमें भाग लिया। ये कार्यक्रम उद्यमिता, बाजार पहुंच, नवाचार, समावेशन और नीतिगत पहुंच को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण मंच साबित हुए, जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम पारितंत्र को सुदृढ़ करने और विकसित भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को बल मिला।

2.1. उद्यम उत्सव

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 20 से 30 मार्च, 2025 तक राष्ट्रपति भवन में 'उद्यम उत्सव' का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीया राष्ट्रपति ने किया और उन्होंने कारीगरों से वार्ता करते हुए उनके योगदान की सराहना की।

इस आयोजन में सात मंडपों के माध्यम से स्वदेशी शिल्प, उद्यमिता और नवाचार का प्रदर्शन किया गया, जिनमें हस्तशिल्प, कृषि आधारित उत्पाद, हरित एमएसएमई प्रौद्योगिकी, महिला और आदिवासी उद्यमी और पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को शामिल किया गया था।

देश भर से सत्तर (70) प्रदर्शकों ने भाग लिया और अपने उत्पादों और नवाचारों को प्रस्तुत किया। इस आयोजन में 1.5 लाख से अधिक आगंतुक आए तथा इससे लगभग 77 लाख रुपए का व्यापार हुआ। आगंतुकों ने लाइव पॉटरी, व्यापारिक प्रदर्शनियों और हुनर संगीत, नुक्कड़ नाटक और साड़ी ड्रेपिंग सत्र जैसे सांस्कृतिक प्रदर्शनों का अनुभव किया।

माननीय राष्ट्रपति महोदया और एमएसएमई राज्य मंत्री कारीगरों से वार्ता करते हुए

2.2. एमएसएमई दिवस–2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 27 जून 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हाइब्रिड मोड में एमएसएमई दिवस–2025 का आयोजन किया, जिसमें 1,300 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारत की माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि रहीं। साथ ही केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी, माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे और केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार भी उपस्थित रहे।

भारत की माननीया राष्ट्रपति एमएसएमई दिवस–2025 के अवसर पर संबोधित करते हुए

इस अवसर पर भारत की माननीया राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ हैं, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), नवाचार और रोजगार सृजन में, विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। माननीया राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि सतत और समावेशी आर्थिक विकास के लिए एक सुदृढ़ एमएसएमई पारितंत्र आवश्यक है, क्योंकि एमएसएमई अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर रोजगार सृजित करते हैं, साथ ही कमजोर वर्गों को सशक्त बनाते हैं और विकास का विकेंद्रीकरण करते हैं। माननीया राष्ट्रपति ने कहा कि एमएसई वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन, ऋण की उपलब्धता में सुधार, एमएसएमई से अनिवार्य सार्वजनिक खरीद और पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास जैसी

सरकारी पहलों के परिणामस्वरूप एमएसएमई पंजीकरण में तेजी से वृद्धि हुई है। माननीया राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल विलंबित भुगतानों के मुद्दों का समाधान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में एमएसएमई की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला तथा आर्थिक विकास, नवाचार और लचीलेपन में इस क्षेत्र के परिवर्तनकारी योगदान को स्वीकार किया।

2.2.1 प्रमुख पहलें और मुख्य बातें

- **सीजीटीएमएसई के 25 वर्ष पूरे होने का स्मरणोत्सवः** माननीया राष्ट्रपति ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसकी शुरुआत के बाद से, सीजीटीएमएसई ने वित्तीय वर्ष 2024–25 में 3.00 लाख करोड़ रुपये सहित 9.80 लाख करोड़ रुपये की राशि वाली 1.18 करोड़ से अधिक ऋण गारंटी स्वीकृत की है, जो क्रेडिट गारंटी स्कीम की व्यापकता और प्रभाव को दर्शाता है।

भारत की माननीया राष्ट्रपति सीजीटीएमएसई के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी करते हुए। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और माननीया राज्य मंत्री की भी उपस्थित रही।

- **ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) पोर्टल का शुभारंभः** माननीया राष्ट्रपति ने एमएसएमई के लिए ओडीआर पोर्टल का अनावरण किया, जिसे विलंबित भुगतानों से संबंधित विवादों के त्वरित, लागत प्रभावी और संपूर्ण डिजिटल समाधान के लिए कार्यान्वित किया गया है। यह पोर्टल ऑनलाइन फाइलिंग, नोटिस की तामील, दस्तावेज़ीकरण, साक्ष्य प्रस्तुत करने, सुनवाई, आदेश जारी करने और विवाचन निर्णयों को सक्षम बनाता है, जिससे

न्याय तक पहुंच में सुधार होता है, मुकदमेबाजी की लागत कम होती है और एमएसई के लिए व्यापार करने में आसानी बढ़ती है।

- **एमएसएमई हैकाथॉन 5.0 का शुभारंभः** एमएसएमई हैकाथॉन 5.0 का शुभारंभ एमएसएमई चैंपियंस स्कीम (इनक्यूबेशन घटक) के अंतर्गत एमएसएमई के बीच नवाचार, उद्यमिता और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए किया गया था।

- **ज्ञान प्रसार पहलः** केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने मंत्रालय की आंतरिक पत्रिका "एमएसएमई पत्रिका" का शुभारंभ किया और इसकी पहली प्रति माननीया राष्ट्रपति को भेंट की। एमएसएमई को ऋण विकल्पों, अधिकारों और सुविचारित वित्तीय निर्णय लेने के संबंध में मार्गदर्शन देने हेतु "नो योर लेंडर" शीर्षक से एक पुस्तिका भी जारी की गई।

भारत की माननीया राष्ट्रपति द्वारा '' नो योर लेंडर'' पुस्तिका का विमोचन

2.2.2 समझौता ज्ञापन और संस्थागत सहयोग

- एमएसएमई के लिए कार्यशील पूंजी की सुविधा बढ़ाने के लिए सी2एफओ और केआरईडीएक्स (ट्रेड्स प्लेटफॉर्म) के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।
- एनएसआईसी और टैली सॉल्यूशंस के बीच एमएसएमई के डिजिटल सशक्तीकरण और वित्तीय प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)।
- क्षमता निर्माण और उद्यमिता विकास के लिए एनएसआईसी और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के बीच समझौता ज्ञापन।
- एमएसएमई मंत्रालय और सीएसआईआर के बीच एमएसएमई के नवाचारों के वाणिज्यीकरण को सहायता प्रदान करने और लाइसेंस–मुक्त खरीद को सुगम बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- असम और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ–साथ मत्स्य विभाग के साथ उद्यम डेटा साझाकरण के लिए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका उद्देश्य साक्ष्य–आधारित नीति निर्माण और निर्णय लेने को सुदृढ़ करना था।
- एपीआई–स्तर के डेटा एकीकरण के लिए राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन, डिजिटल एमएसएमई पारितंत्र को और अधिक सुदृढ़ करना।

2.3. 17वां सिविल सेवा दिवस, 2025

17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल, 2025 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में देश के सिविल सेवकों को संबोधित किया तथा उन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। भारत सरकार प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को 'सिविल सेवा दिवस' मनाती है, ताकि सिविल सेवक नागरिकों के हित में स्वयं को समर्पित कर सकें तथा लोक सेवा एवं कार्य में उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत कर सकें। इस तिथि को उस दिन की याद में चुना गया है, जब स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने वर्ष 1947 में मेटकाफ हाउस, दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित किया था। उन्होंने सिविल सेवकों को 'भारत का स्टील फ्रेम' बताया था।

अपने संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का सिविल सेवा दिवस विशेष महत्त्व रखता है क्योंकि देश संविधान की 75वीं वर्षगांठ और सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि देश विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, ऐसे में सिविल सेवकों पर अत्यंत विशाल और ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि "प्रगति के रथ के प्रत्येक पहिए को एक साथ चलना चाहिए," और अधिकारियों से आह्वान किया कि वे नागरिक–केंद्रित, सत्यनिष्ठा से प्रेरित और नवाचार–उन्मुख रहें तथा समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें, ताकि कोई भी गांव, कोई भी परिवार और कोई भी नागरिक पीछे न छूटे।

माननीय प्रधानमंत्री 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर संबोधित करते हुए

वर्ष 2025 में, ज़िलों के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार श्रेणियों के अंतर्गत 16 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें नागरिकों के कल्याण में योगदान देने वाली अनुकरणीय पहलों को मान्यता दी गई। प्रधानमंत्री पुरस्कारों का उद्देश्य लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए ज़िला, राज्य और केंद्र सरकार के संगठनों द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट शासन पद्धतियों और नवाचारों को मान्यता प्रदान करना है।

नवाचार (केंद्रीय) श्रेणी के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार स्तर पर पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के दौरान अपनाई गई नवोन्मेषी पद्धतियों की मान्यता में, एमएसएमई मंत्रालय को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार–2024 से सम्मानित किया गया।

2.4. भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (आईईटीएफ), 2025 में "एमएसएमई पवेलियन"

नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 44वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) में, माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड और राष्ट्रीय एससी–एसटी हब (एनएसएसएच) पवेलियन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे और अध्यक्ष, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) श्री मनोज कुमार भी उपस्थित थे।

''जीवंत एमएसएमई , विकसित भारत'' थीम पर आधारित एमएसएमई पवेलियन में आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हुए भारत के सूक्ष्म और लघु उद्यमों की विविधता और उद्यमशीलता की क्षमता का प्रदर्शन किया गया। 29 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उद्यमों और विश्वकर्माओं को कुल 292 स्टॉल आवंटित किए गए थे, जिनमें महिला उद्यमियों (67% से अधिक), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों (34% से अधिक), दिव्यांगजनों, पहली बार प्रदर्शनी में भाग लेने वाले और जीआई–टैग तथा ओडीओपी उत्पादों का प्रदर्शन करने वाले उद्यमों का मजबूत प्रतिनिधित्व शामिल था।

दिल्ली में आईआईटीएफ–2025 में एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटनः माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री के साथ माननीया राज्य मंत्री महोदया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और केवीआईसी के अध्यक्ष दीप प्रज्ज्वलित करते हुए तथा प्रदर्शकों से वार्ता करते हुए

इन पवेलियनों में वस्त्र, हस्तशिल्प, हथकरघा, नारियल के रेशे से बने उत्पाद और पर्यावरण अनुकूल उत्पाद, धातु और चमड़े के सामान, खाद्य पदार्थ, खिलौने और पारंपरिक शिल्प सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की गई। कयर बोर्ड पवेलियन में 31 प्रदर्शकों ने परंपरागत और मूल्यवर्धित नारियल के रेशे से बने उत्पादों को प्रदर्शित किया, जिससे कारीगरों और उद्यमियों को भावी खरीदारों से जुड़ने और नए बाजार अवसरों की खोज करने का मंच मिला। आईआईटीएफ–2025 में कयर बोर्ड पवेलियन को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया।

''विकसित भारत @ 2047'' थीम पर आधारित खादी इंडिया पवेलियन में पीएमईजीपी और एसएफयूआरटीआई के अंतर्गत सहायता प्राप्त इकाइयों सहित देश भर से 150 प्रदर्शकों ने भाग लिया, जिनमें महिला एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों की महत्त्वपूर्ण भागीदारी रही। इसके समानांतर, एनएसएसएच पवेलियन में 10 राज्यों के अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के उत्पादों का प्रदर्शन किया गया, जो सीमांत वर्ग के लिए समावेशी विकास, उद्यम विकास और बाजार तक पहुंच के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है।

2.5. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और राष्ट्रीय एससी–एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव (प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की द्वितीय वर्षगांठ) – 2025

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 17.09.2023 को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम का शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य हाथों और औजारों से काम करने वाले 18 ट्रेड के कारीगरों और शिल्पकारों को संपूर्ण सहायता प्रदान करना है। दो वर्ष से भी कम समय में, 30 लाख लाभार्थी सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं।

मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम की दूसरी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 17 सितंबर, 2025 को बिहार के बोधगया में 'पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय एससी–एसटी हब मेगा कॉन्क्लेव' का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे उपस्थित रहीं। सम्मेलन में बिहार सरकार के उद्योग विभाग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा, सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार, लघु जल संसाधन मंत्री श्री संतोष कुमार सुमन तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री श्री जनक राम भी शामिल हुए।

इस विशाल सम्मेलन ने आकांक्षी और मौजूदा उद्यमियों को अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए एक संवाद मंच (प्लेटफ़ॉर्म) प्रदान किया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम, एनएसएसएच और पीएमईजीपी के 2,500 से अधिक लाभार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के लाभार्थियों द्वारा अनुभव साझा करने के सत्र आयोजित किए गए। कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने और बिक्री करने के लिए एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा, पीएमईजीपी और ग्रामोद्योग विकास योजना के लाभार्थियों को ऋण प्रमाण पत्र, टूलकिट/सिलाई मशीनें और मार्जिन मनी सब्सिडी प्रदान की गई।

एमएसएमई मंत्रालय ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत डिजाइन सहायता, क्षमता निर्माण और ग्रामीण आजीविका संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद (एनआईडी) और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (आईआरएमए) के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए।

2.6. एमएसएमई सेवा पर्व–2025: विरासत से विकास

एमएसएमई मंत्रालय ने 28–30 सितंबर, 2025 को रुद्राक्ष इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में एमएसएमई सेवा पर्व–2025: विरासत से विकास मनाया। माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने 28 सितंबर, 2025 को माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे की गरिमामय उपस्थिति में उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की।

माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, श्री जीतन राम मांझी, एमएसएमई सेवा पर्व–2025: विरासत से विकास, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में संबोधित करते हुए

इस कार्यक्रम में कारीगरों, उद्यमियों, संस्थाओं और समुदायों को एक साथ लाया गया, ताकि सेवा, सांस्कृतिक विरासत और एमएसएमई पहलों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। माननीय केंद्रीय मंत्री ने तीन दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जिसमें 130 स्टॉल लगाए गए थे और स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित किया गया था। अपने संबोधन में, उन्होंने रोजगार सृजन में एमएसएमई की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और उद्यम पंजीकरण, पीएमईजीपी, सीजीएसएमएसई और एनएसएसएच जैसी प्रमुख पहलों के साथ–साथ अवसंरचना को सुदृढ़ करने, कौशल विकास और वित्त की उपलब्धता को बेहतर बनाने के प्रयासों पर जोर दिया।

समारोह के भाग के रूप में, माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने महिला परिचर्चा में भाग लिया, जहाँ उन्होंने महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों से वार्ता की और महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और उद्यम पोर्टल पर पंजीकरण को प्रोत्साहित किया। उन्होंने नमोघाट में स्वच्छता कार्यक्रम में भी भाग लिया, जहाँ उन्होंने सफाईकर्मियों से बातचीत की और उनके योगदान की सराहना की।

माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री, सुश्री शोभा करांदलाजे, एमएसएमई सेवा पर्व–2025 में सभा को संबोधित करते हुए और वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए।

एमएसएमई सेवा पर्व–2025 के प्रमुख आकर्षणों में केवीआईसी और एनएसआईसी के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान–प्रदान, पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को ऋण चेक का वितरण, पीएमईजीपी मार्जिन मनी सब्सिडी और ग्रामोद्योग विकास योजना लाभार्थियों को टूलकिट का वितरण शामिल थे, जो समावेशी विकास और विकसित भारत के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हैं।

2.7. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा और राष्ट्रीय एससी–एसटी हब सम्मेलन, ओडिशा

एमएसएमई मंत्रालय ने 16 अप्रैल, 2025 को महाराजा श्रीराम चंद्र भांजा देव विश्वविद्यालय, बारीपदा, मयूरभंज, ओडिशा में पीएम विश्वकर्मा–राष्ट्रीय एससी–एसटी हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया, जिसकी सह–अध्यक्षता माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी और ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने की।

48 स्टालों वाली प्रदर्शनी में पीएम विश्वकर्मा, राष्ट्रीय एससी–एसटी हब, केवीआईसी और पीएमईजीपी के अंतर्गत शुरू की गई पहलों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें बैंकों, सिडबी और कयर इकाइयों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के दौरान, लाभार्थियों को बैंक ऋण सौंपने के साथ–साथ डिजिटल रूप से 6,877 पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र वितरित किए गए। सम्मेलन में रोजगार सृजन, कारीगरों के सशक्तीकरण और आजीविका संवर्धन में एमएसएमई की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थी को उद्यम प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए

2.8. स्वतंत्रता दिवस समारोह–2025 के लिए एनएसएसएच लाभार्थियों को 'विशेष अतिथि' के रूप में आमंत्रित करना

राष्ट्रीय एससी–एसटी हब (एनएसएसएच) स्कीम का शुभारंभ अक्तूबर, 2016 में किया गया। शुरू की गई इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले लघु एवं मध्यम उद्यम से अधिदेशित 4% सार्वजनिक खरीद को सुगम बनाना है। यह स्कीम कौशल विकास, क्षमता निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार संपर्क और बोली में भागीदारी को सुगम बनाकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को सहायता प्रदान करती है।

इस स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय ने 100 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों और उनके जीवनसाथियों को भारत सरकार के 'विशेष अतिथि' के तौर पर नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह

(आईडीसी)–2025 में आमंत्रित किया। लाभार्थी विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से थे, जिनमें छह उत्तर–पूर्वी राज्य और छह संघ राज्य क्षेत्र शामिल थे। कार्यक्रम का प्रचालन माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री ने किया, जिसके दौरान लाभार्थियों ने अपनी उद्यमशीलता की यात्रा साझा की और भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया।

एनएसएसएच स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को भारत सरकार के स्वतंत्रता दिवस समारोह (आईडीसी) 2025 में 'विशेष अतिथि' के तौर पर आमंत्रित किया गया।

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी और एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित भारत सरकार के 'विशेष अतिथियों' का स्वागत किया।

2.9. पीएम विश्वकर्मा हाट

पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन 17 से 31 जनवरी, 2026 तक दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में किया गया तथा इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी और माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे द्वारा 18 जनवरी, 2026 को किया गया था। यह आयोजन प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत एक प्रमुख बाजार संपर्क पहल के रूप में किया गया था।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से विविध पारंपरिक ट्रेड का प्रतिनिधित्व करने वाले पीएम विश्वकर्मा के कुल 117 कारीगरों ने भाग लिया। इस हाट ने प्रत्यक्ष बाजार पहुंच, एकसमान पीएम विश्वकर्मा ब्रांडेड स्टॉल और पैकेजिंग, डिजिटल भुगतान और ई–कॉमर्स में शामिल होने की सुविधा प्रदान की।

इस आयोजन में 50,000 से अधिक आगंतुक आए और कारीगरों ने लगभग 2 करोड़ रुपए की बिक्री की। 20 से अधिक देशों के दूतावासों के साथ वार्ता से भारतीय हस्तशिल्प की अंतरराष्ट्रीय दृश्यता में वृद्धि हुई।

कुल मिलाकर, पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 ने कारीगरों की आय, ब्रांडिंग, डिजिटल अंगीकरण और वैश्विक स्तर पर पहचान को सुदृढ़ किया, जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत स्थायी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एक स्केलेबल मॉडल का प्रदर्शन करता है।

दिल्ली हाट, नई दिल्ली में आयोजित पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 की झलकियां–परंपरागत कारीगरों का प्रदर्शन, लाइव मार्केट में भागीदारी और भारतीय शिल्पकला की अंतरराष्ट्रीय सराहना।

2.10. दक्षिण–दक्षिण सहयोग के अंतर्गत राजदूत के साथ वार्ता

भारत के विदेश मंत्रालय के नेतृत्व में मध्य अमेरिका, कैरेबियन, ओशिनिया, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के एक प्रतिनिधिमंडल ने एनएसआईसी का दौरा किया ताकि भारत के एमएसएमई पारितंत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके और बेहतर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के रास्ते तलाशे जा सकें।

भारत के लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पारितंत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए मध्य अमेरिका, कैरेबियन, ओशिनिया और पश्चिम एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों के राजदूतों और उच्चायुक्तों का प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर आया।

प्रतिनिधिमंडल को भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) परिदृश्य, संस्थागत सहायता तंत्र और उद्यम प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई प्रमुख पहलों से अवगत कराया गया। चर्चा मुख्यतः प्रौद्योगिकी अंतरण, कौशल विकास, इनक्यूबेशन, बाजार पहुंच और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही। इस यात्रा ने भारत और साझेदार देशों के बीच आर्थिक जुड़ाव को गहरा करने और पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यनीतिक स्तंभ के रूप में एमएसएमई सहयोग की बढ़ती क्षमता को रेखांकित किया।

2.11. ओडीआर पोर्टलः आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 में शामिल

इस वर्ष की एक प्रमुख पहल ओडीआर पोर्टल का उल्लेख आर्थिक सर्वेक्षण, 2025–26 में किया गया है। प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया हैः

"विलंबित भुगतान की निरंतरता एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक गंभीर चुनौती बनी हुई है, अनुमानित 8.1 लाख करोड़ रुपए विलंबित भुगतान में फंसे हुए हैं, जिससे कार्यशील पूंजी प्रभावित हो रही है और विकास बाधित हो रहा है। जब कोई एमएसएमई किसी खरीदार के खिलाफ भुगतान में देरी का मामला दर्ज करता है, तो इससे व्यापारिक संबंध तनावपूर्ण या यहां तक कि समाप्त भी हो सकते हैं। खरीदार इस मामले को एक विपरीत कदम मान सकते हैं और नए ऑर्डर देना बंद कर सकते हैं या साझेदारी पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। चूंकि एमएसएमई दीर्घकालिक व्यावसायिक संबंधों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, इसलिए भविष्य के कारोबार को खोने का डर उन्हें कानूनी विकल्प अपनाने से रोकता है, भले ही बड़ी बकाया राशि लंबित हो।

" एमएसई हेतु विलंबित भुगतानों के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) स्कीम, और इसके अंतर्गत विकसित एमएसएमई ओडीआर पोर्टल एक संरचित प्रक्रिया शुरू करते हैं जो एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत विवाद के औपचारिक न्यायनिर्णय में जाने से पहले विक्रेता और खरीदार के बीच सौहार्दपूर्ण निपटान को प्रोत्साहित करती है। यह प्रारंभिक, संवाद–आधारित समाधान तंत्र एमएसएमई को व्यावसायिक संबंधों को कमजोर किए बिना

विलंबित भुगतानों की वसूली करने की अनुमति देता है।"

''पोर्टल को सुलभता को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें एक संपूर्ण डिजिटल प्रक्रिया शामिल है जो पारंपरिक माध्यमों की तुलना में तेज़ और अधिक लागत प्रभावी है। इसकी कम लागत वाली संरचना, बहुस्तरीय समाधान तंत्र (जिसमें बातचीत, सुलह और मध्यस्थता शामिल है) और कई भाषाओं में 24X7 उपलब्धता, छोटे से छोटे दावों के लिए भी विवाद समाधान को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाती है। अंततः, ओडीआर पहल विश्वास बढ़ाती है, संविदात्मक अनुशासन को बढ़ावा देती है और एमएसएमई पारितंत्र को प्रभावित करने वाले नकदी प्रवाह की कमी को सीधे कम कर सकती है, जिससे अधिक लचीलापन और प्रतिस्पर्धात्मकता सुनिश्चित होती है।

"ओडीआर पोर्टल के शुभारंभ के बाद से, आठ माह के भीतर 17 मामलों का निपटारा किया गया है, जिनमें से 15 मामले प्री–एमएसईएफसी (सौहार्दपूर्ण निपटान) चरण में और 2 मामले सुलह चरण में हल किए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप "60.60 लाख रुपए" का निपटारा हुआ है।

अध्याय 3

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र का अवलोकन

3.1. भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका

3.1.1 एमएसएमई, व्यापार की वृद्धि को बढ़ाने और व्यापार नवाचार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाते हैं। अलग–अलग क्षेत्र में अलग–अलग तरह के उत्पाद और सेवाएं देकर, एमएसएमई घरेलू और वैश्विक बाजार की मांगों को पूरा करते हैं। ये उद्यम बड़े उद्योगों के मुकाबले कम पूंजी लागत पर रोज़गार के बड़े अवसर सृजित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। देश की अर्थव्यवस्था के अलग–अलग पहलुओं में एमएसएमई की भूमिका और योगदान निम्नानुसार है:

एमएसएमई क्षेत्र

31.1% जीडीपी में

35% विनिर्माण उत्पादन में

48.58% निर्यात में

कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता

33.5 करोड़

रोज़गार (उद्यम पोर्टल और यूएपी)

7.61 करोड़

उद्यम/उद्यम असिस्ट पर पंजीकृत एमएसएमई

**स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2023–24)*

***वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस) से प्राप्त आंकडे (2024–25)*

3.2. एमएसएमई का पंजीकरण

3.2.1 **उद्यम पंजीकरण पोर्टलः** उद्यम पंजीकरण पोर्टल एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत एमएसएमई की औपचारिक मान्यता के लिए मूलभूत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, जो उद्यमों की एक समान पहचान और सरकारी स्कीमों, प्रोत्साहनों और संवैधानिक लाभों तक उनकी निर्बाध पहुंच को सक्षम बनाता है। एक आसान, ऑनलाइन और पेपररहित प्रणाली के तौर पर डिज़ाइन किया गया उद्यम पंजीकरण निःशुल्क है और स्व–घोषणा पर आधारित है, जिससे अनुपालन का बोझ काफी कम होता है और व्यापार करने में आसानी होती है। उद्यम पोर्टल ने पहले के उद्योग आधार मेमोरेंडम (यूएएम) को प्रतिस्थापित किया है, जिससे पैन और जीएसटी प्रणालियों के साथ एकीकृत एक गतिशील और भरोसेमंद एमएसएमई डेटाबेस बना है। सभी मौजूदा और भावी उद्यमी उद्यम पंजीकरण पोर्टल (https://udyamregistration.gov.in) पर पंजीकरण कर सकते हैं।

एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 18.10.2022 की अधिसूचना सं. का.आ. 4926 (अ.) के माध्यम से अधिसूचना सं. का. आ. 2119(अ.) दिनांक 26.06.2020 में संशोधन किया है ताकि एमएसएमई को गैर–कर के लाभ प्रदान किए जा सकें। इस संशोधन में यह प्रावधान है कि ''संयंत्र और मशीनरी या उपकरण या कारोबार या दोनों में निवेश के संदर्भ में ऊर्ध्वाधर परिवर्तन और परिणामी पुनः वर्गीकरण के मामले में, एक उद्यम इस प्रकार के ऊर्ध्वाधर परिवर्तन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए, पुनः वर्गीकरण से पहले श्रेणी (सूक्ष्म या लघु या मध्यम) के सभी गैर–कर लाभ उठाना जारी रखेगा।''

3.2.2 **उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्मः** एमएसएमई मंत्रालय ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सहयोग से दिनांक 11.01.2023 को अनौपचारिक लघु उद्योग (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए एक पोर्टल उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) का शुभारंभ किया। सरकार ने अधिसूचित किया है कि प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आईएमई को यूएपी पर जारी प्रमाणपत्र को उद्यम पंजीकरण प्रमाणपत्र के बराबर माना जाएगा। इससे रजिस्टर्ड आईएमई को पीएसएल के लाभ उठाने और यूएपी पर आईएमई को ऑन–बोर्ड करने में सहायता प्राप्त हुई है, ताकि उन उद्यमों को औपचारिक बनाया जा सके जिन्हें जीएसटी प्रणाली से छूट मिली हुई है।

दिनांक 31.01.2026 की स्थिति के अनुसार, यूएपी पर आईएमई समेत कुल 7,61,12,097 एमएसएमई पंजीकृत हैं। विनिर्माण श्रेणी में 1,59,56,949 उद्यम पंजीकृत हैं, सेवा क्षेत्र में 2,72,74,600 उद्यम पंजीकृत हैं तथा व्यापार श्रेणी में 3,28,80,548 उद्यम पंजीकृत हैं।

किसी अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र की सफल वृद्धि के आकलन के लिए नए एमएसएमई के पंजीकरण का डेटा आवश्यक संकेतकों में से एक है; यह अर्थव्यवस्था में ऐसे उद्यम शुरू करने के लिए सही माहौल और उद्यमियों के ऊंचे हौसले को भी दर्शाता है ।

3.2.3 यूएपी पर पंजीकृत आईएमई समेत उद्यम पंजीकरण का विश्लेषण विनिर्माण, सेवा और व्यापार करने वाले एमएसएमई का ब्रेक–अप देता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के मुकाबले व्यापार और सेवा क्षेत्र में एमएसएमई का उद्यम पंजीकरण का अनुपात अधिक है। विस्तृत विवरण चित्र 3.1 में दिया गया है।

चित्र 3.1: 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार यूएपी पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम सहित उद्यम पंजीकरण का हिस्सा: विनिर्माण, सेवा और व्यापार

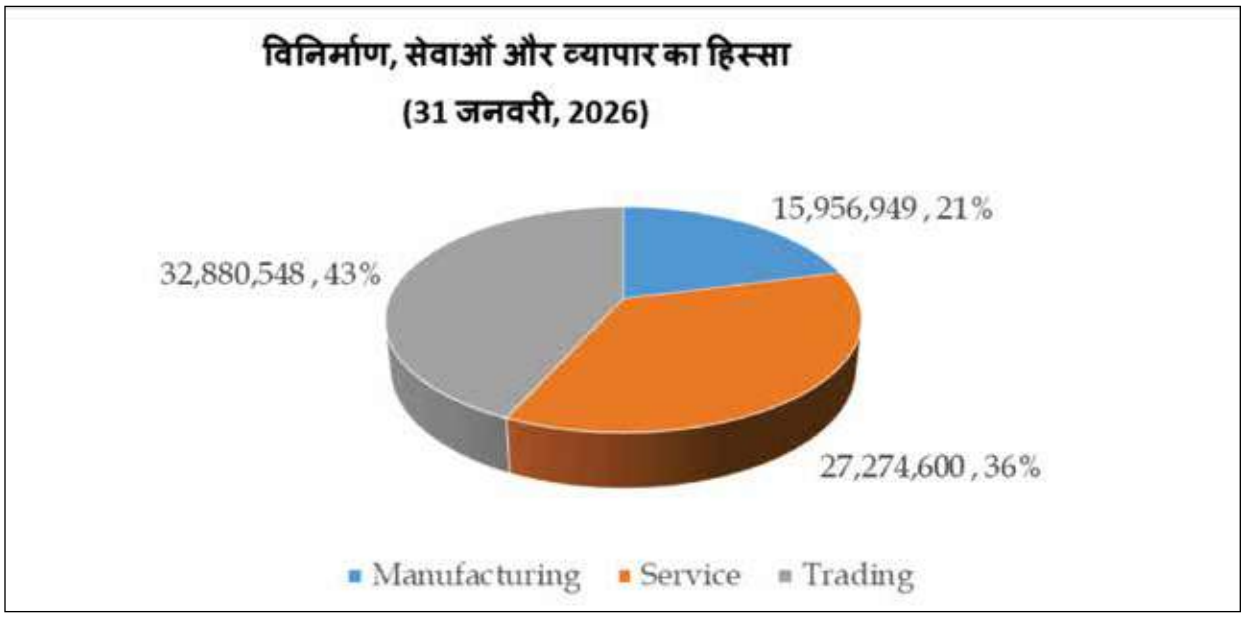

3.2.4 चित्र 3.2 में 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार यूएपी पर आईएमई सहित उद्यम पंजीकरण का वितरण दर्शाया गया है। जैसा कि देखा जा सकता है, कुल उद्यम पंजीकरण में सूक्ष्म उद्यमों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद लघु और मध्यम उद्यम आते हैं।

चित्र 3.2: उद्यम पंजीकरण के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वितरण (यूएपी पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) (% शेयर)

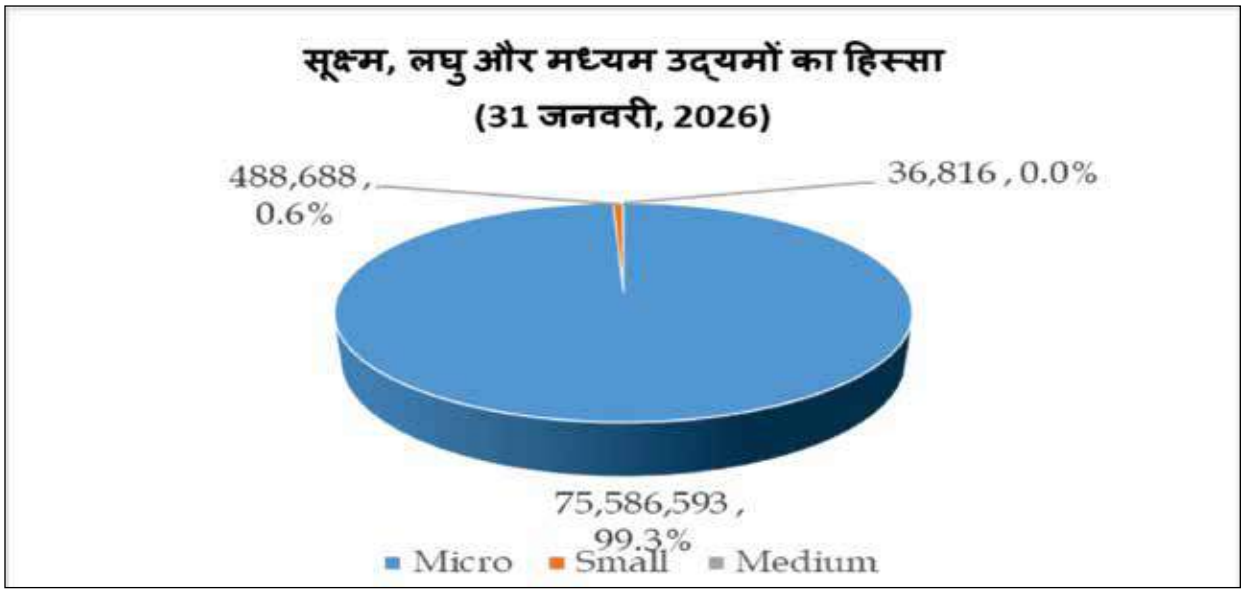

3.2.5 उद्यम पंजीकरण पोर्टल उद्यमों के मालिकों की सामाजिक श्रेणी के बारे में भी जानकारी एकत्र करता है। चित्र 3.3 दिनांक 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य श्रेणियों के वितरण को दर्शाता है।

चित्र 3.3: दिनांक 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार उद्यम पंजीकरण (यूएपी पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) पर एससी/एसटी/ओबीसी स्वामित्व वाले उद्यमों/सामान्य उद्यमों का वितरण।

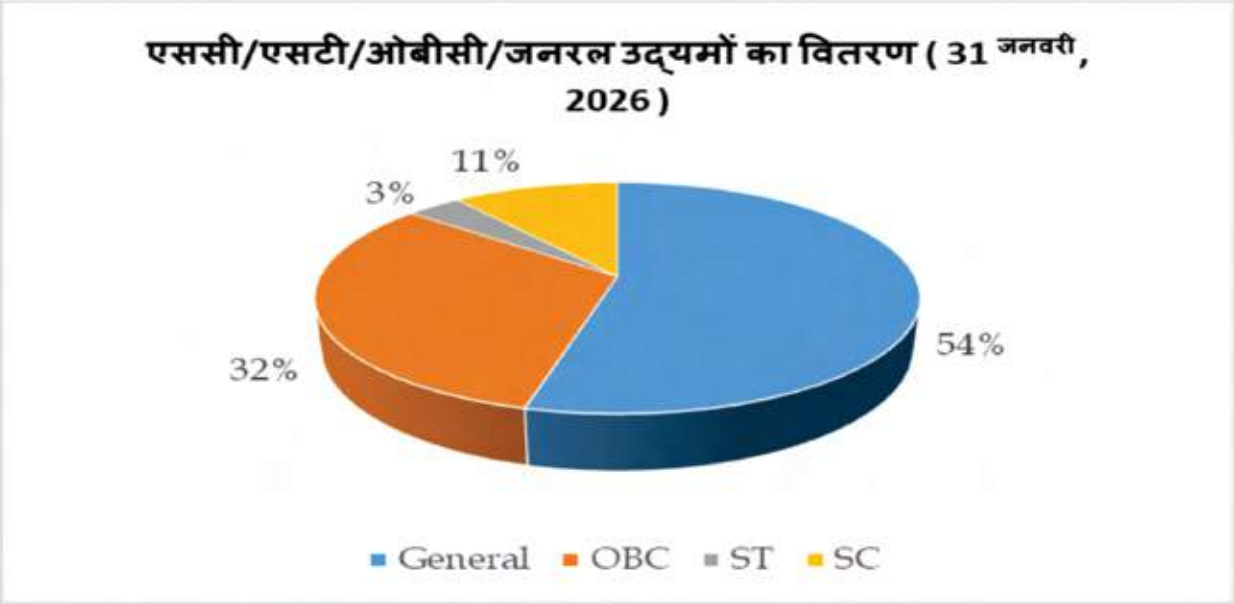

3.2.6 तालिका 3.1 में दिनांक 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पंजीकरण के वितरण को दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार यूएपी पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित उद्यम पंजीकरण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार वितरण

क्र. सं.	राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	21,645	156	4	21,805
2	आंध्र प्रदेश	38,00,597	16,986	982	38,18,565
3	अरुणाचल प्रदेश	46,678	379	19	47,076
4	असम	14,50,337	6,695	519	14,57,551
5	बिहार	41,26,666	11,974	583	41,39,223
6	चंडीगढ़	77,515	1,263	132	78,910
7	छत्तीसगढ़	13,04,567	8,344	720	13,13,631
8	दिल्ली	13,87,179	28,418	2,751	14,18,348
9	गोवा	1,26,553	1,121	77	1,27,751
10	गुजरात	42,07,089	54,125	4,225	42,65,439
11	हरियाणा	19,29,969	23,022	1,763	19,54,754
12	हिमाचल प्रदेश	3,32,203	2,572	209	3,34,984

क्र. सं.	राज्य	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल
13	जम्मू एवं कश्मीर	8,15,822	3,220	215	8,19,257
14	झारखंड	15,10,829	5,904	356	15,17,089
15	कर्नाटक	48,40,286	31,489	2,293	48,74,068
16	केरल	17,87,781	12,923	768	18,01,472
17	लद्दाख	19,745	114	3	19,862
18	लक्षद्वीप	2,431	-	-	2,431
19	मध्य प्रदेश	46,73,947	19,811	1,179	46,94,937
20	महाराष्ट्र	98,15,933	74,542	6,893	98,97,368
21	मणिपुर	1,72,958	424	18	1,73,400
22	मेघालय	70,438	412	32	70,882
23	मिजोरम	50,709	212	9	50,930
24	नागालैंड	72,503	176	16	72,695
25	ओडिशा	23,41,171	10,022	607	23,51,800
26	पुदुचेरी	1,05,645	666	59	1,06,370
27	पंजाब	20,66,029	16,914	1,226	20,84,169
28	राजस्थान	42,89,863	27,205	1,659	43,18,727
29	सिक्किम	35,079	164	13	35,256
30	तमिलनाडु	60,08,953	39,259	2,822	60,51,034
31	तेलंगाना	37,02,077	20,182	1,783	37,24,042
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	33,931	916	135	34,982
33	त्रिपुरा	3,08,198	701	47	3,08,946
34	उत्तर प्रदेश	82,67,274	40,249	2,648	83,10,171
35	उत्तराखंड	6,24,035	4,040	273	6,28,348
36	पश्चिम बंगाल	51,59,958	24,088	1,778	51,85,824
	कुलः–	**7,55,86,593**	**4,88,688**	**36,816**	**7,61,12,097**

3.2.7 यूएपी पर आईईएम सहित उद्यम पंजीकरण, एमएसएमई द्वारा घोषित रोज़गार डेटा भी कैप्चर करता है। चित्र 3.4 दिनांक 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार एमएसएमई द्वारा दिए गए रोज़गार के वितरण को दर्शाता है।

चित्र 3.4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा प्रदान किए गए रोजगार का वितरण

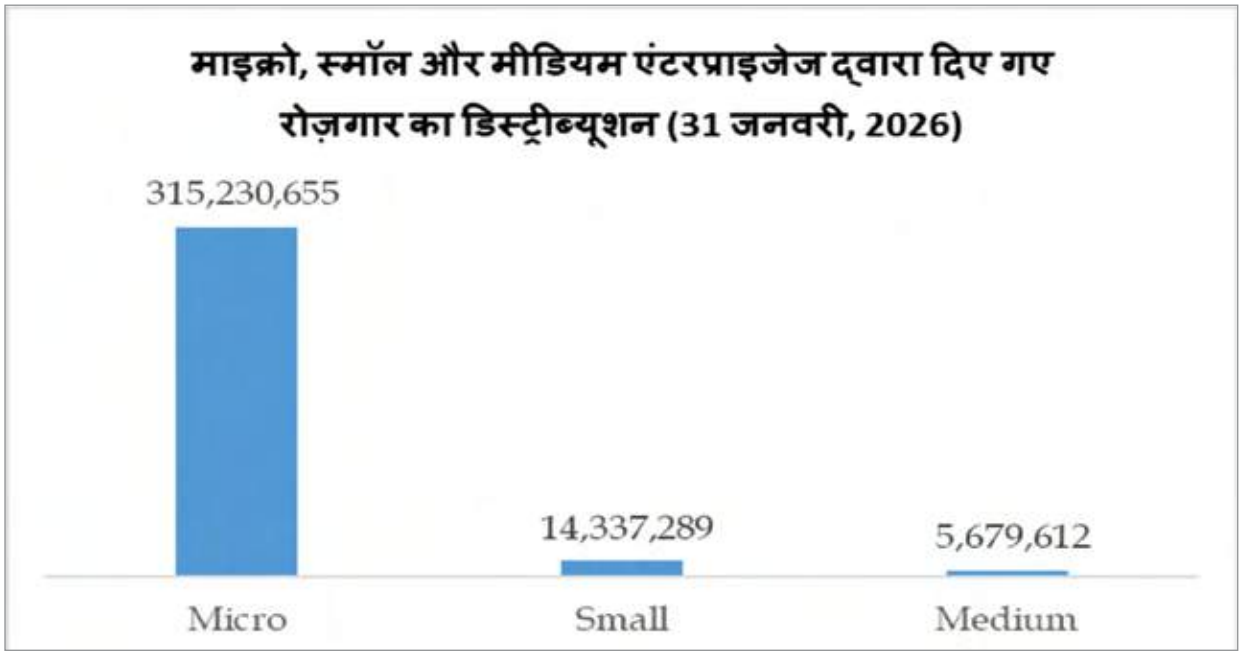

3.2.8 31 जनवरी, 2026 तक की स्थिति के अनुसार लिंग–वार वितरण चित्र 3.5 में दर्शाया गया है। यूएपी पर आईएमई सहित उद्यम पंजीकरण, उद्यमों का लिंग आधारित वितरण भी प्रदान करता है।

चित्र 3.5: 31 जनवरी, 2026 तक की स्थिति के अनुसार, एमएसएमई (यूएपी पर अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों सहित) के स्वामित्व का लिंग–वार वितरण।

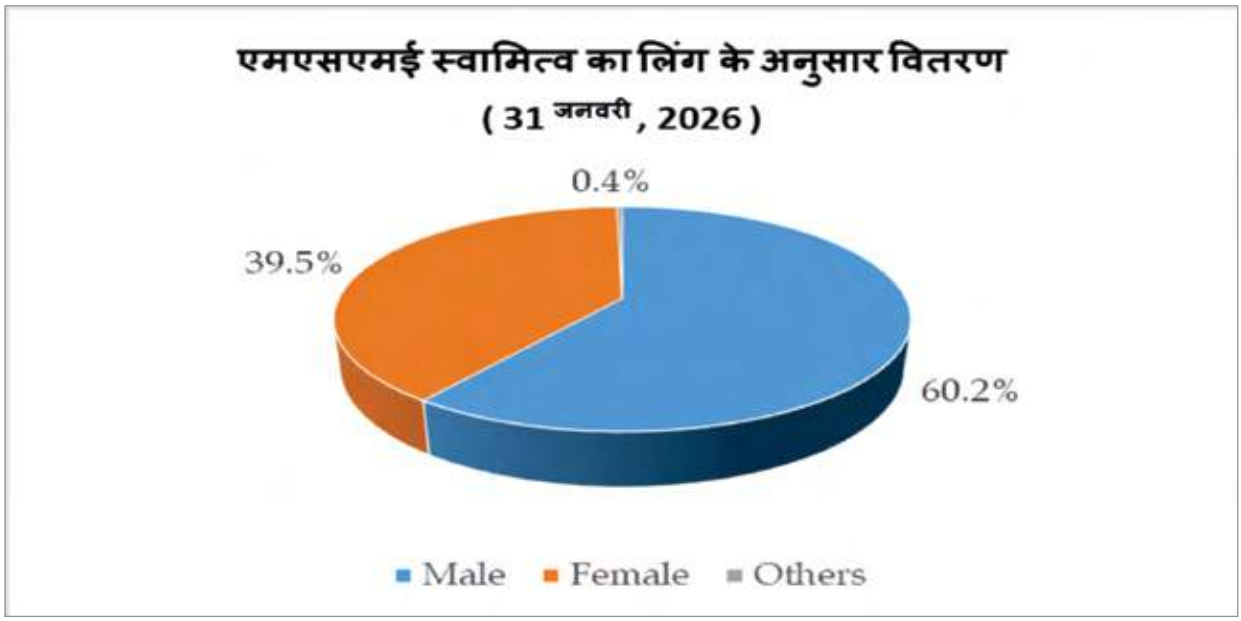

3.2.9. 31 जनवरी, 2026 की स्थिति के अनुसार उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम का कारोबार–वार वितरण का डेटा चित्र 3.6 में दिया गया है।

चित्र 3.6: 31 दिसंबर, 2026 की स्थिति के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का कारोबार–वार वितरण।

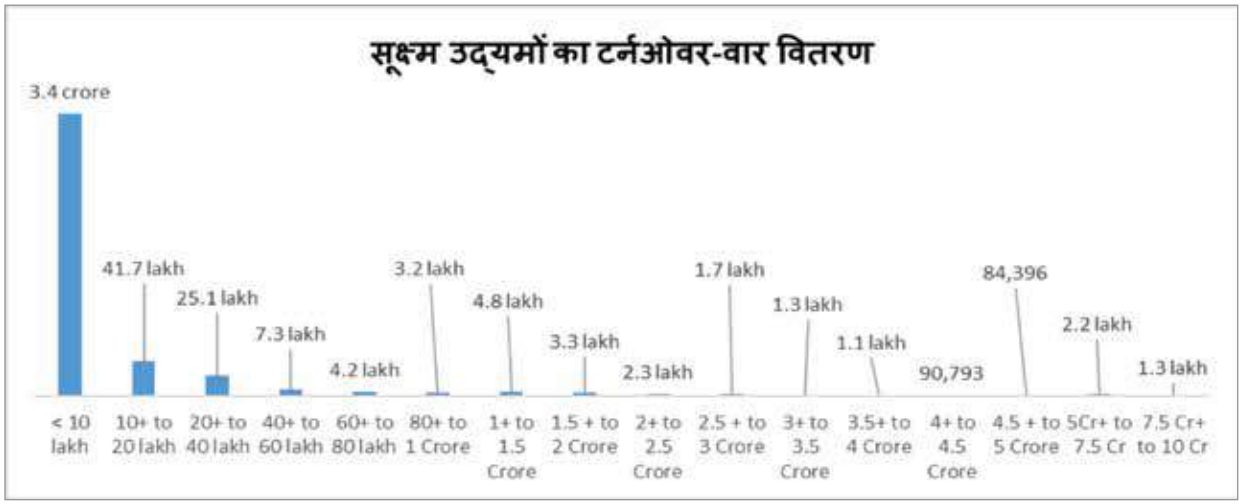

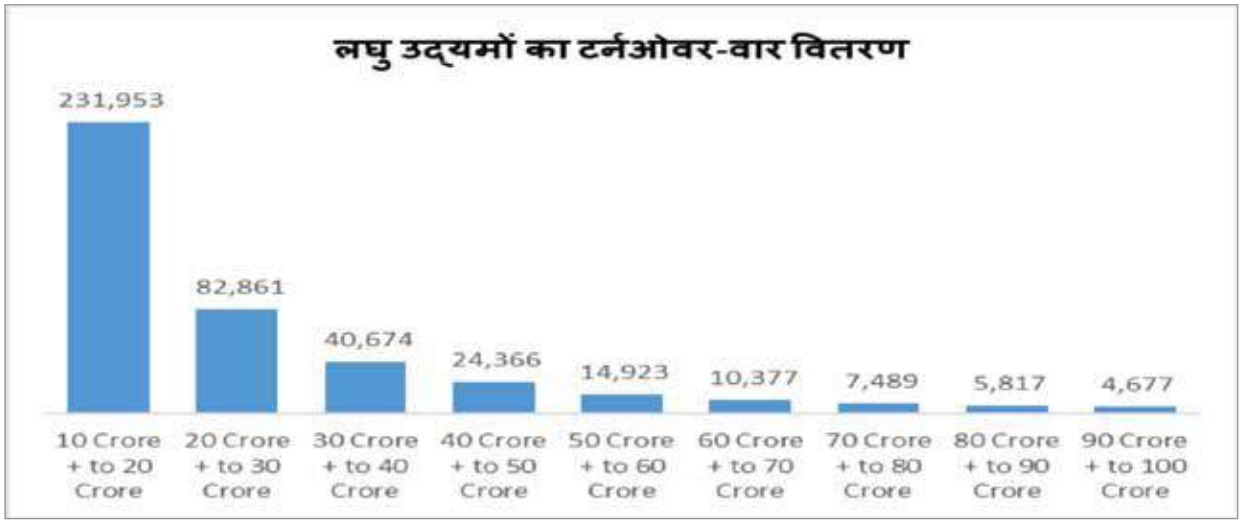

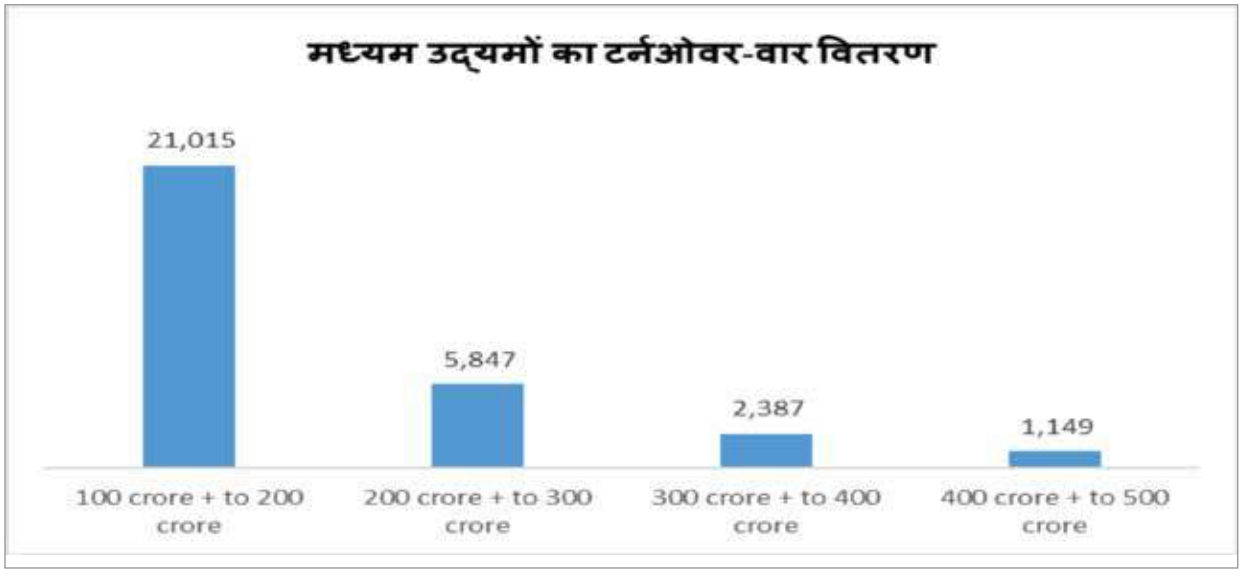

पी एम विश्वकर्मा
सम्मान · सामर्थ्य · समृद्धि

अध्याय 4

संबद्ध कार्यालय, सांविधिक निकाय और संगठन

परिचय

एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत कई संगठन नीतिगत कार्यान्वयन और क्षेत्रीय विकास में सहयोग करते हैं। प्रमुख संस्थानों में **विकास आयुक्त का कार्यालय (एमएसएमई), केवीआईसी, कयर बोर्ड, एनएसआईसी, निम्समे** और **एमगिरी** शामिल हैं, जो उद्यमिता विकास, कौशल उन्नयन, रोजगार सृजन, नवाचार और ग्रामीण एवं पारंपरिक उद्योगों का संवर्धन करने में योगदान करते हैं, जिससे एमएसएमई क्षेत्र के समावेशी और सतत विकास में सहायता मिलती है।

4.1. विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय

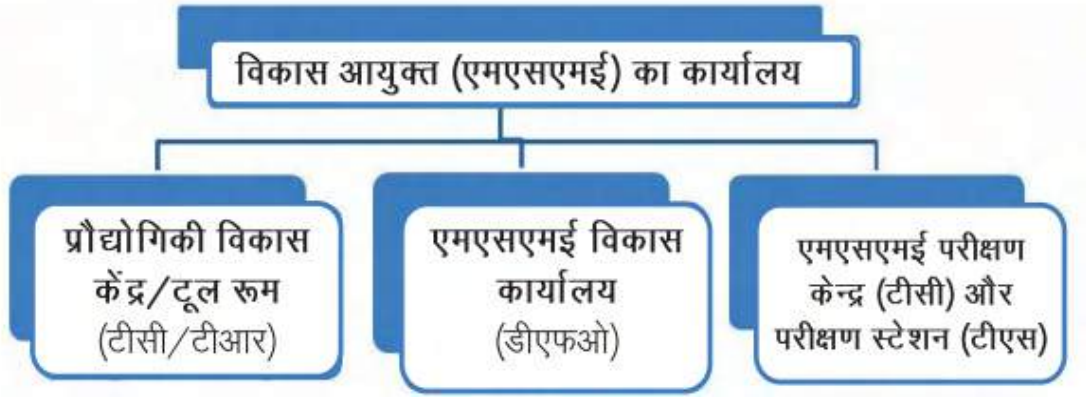

विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय एमएसएमई मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है, जिसका नेतृत्व अपर सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई) करते हैं। विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय देश भर में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण, समन्वय, कार्यान्वयन और निगरानी में एमएसएमई मंत्रालय की सहायता करता है।

देश भर में इसके क्षेत्रीय संगठनों और संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसमें 33 एमएसएमई विकास कार्यालय (एमएसएमई–डीएफओ), 31 शाखा एमएसएमई–डीएफओ, 2 एमएसएमई विकास न्यूक्लियस सेल (लद्दाख एवं लक्षद्वीप), 7 एमएसएमई परीक्षण केंद्र (एमएसएमई–टीसी), 7 एमएसएमई–परीक्षण स्टेशन (एमएसएमई–टीएस), 18 प्रौद्योगिकी केंद्र (जिन्हें टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर और टीआई) भी कहा जाता है) शामिल हैं।

4.1.1. कार्य

विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली मुख्य सेवाएं हैं:

- सरकार को एमएसएमई के संवर्धन और विकास के लिए नीति निरूपण में सलाह देना।

- एमएसएमई को तकनीकी–आर्थिक और प्रबंधकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएं और विस्तार सेवाएं प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और अवसंरचना के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
- प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के जरिए मानव संसाधन का विकास करना।
- एमएसएमई पारितंत्र विकास के लिए एक माध्यम के रूप में क्लस्टर विकास को सुविधाजनक बनाना।
- केन्द्रीय मंत्रालयों, नीति आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों और एमएसएमई के विकास से संबंधित अन्य संगठनों के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना।
- सीपीएसयू सहित बड़े उद्योगों के सहायक के रूप में एमएसएमई के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का विकास करना एवं उनका समन्वय करना।
- निर्यात बास्किट की हिस्सेदारी में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- ऋण तक पहुंच को बढ़ाना।

4.1.2. टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर और टीआई) (प्रौद्योगिकी केन्द्र के रूप में भी ख्यात)

4.1.2.1. एमएसएमई मंत्रालय ने उद्योगों को उन्नत तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 1967 से 1999 के बीच 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थान (टीआर/टीआई) स्थापित किए हैं, जिन्हें आमतौर पर प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) के रूप में जाना जाता है। ये केंद्र सामान्य इंजीनियरिंग, फोर्जिंग और फाउंड्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, विद्युत उपकरण, कांच, जूते, खेल सामग्री, सुगंध और स्वाद तथा संबद्ध क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में औजारों, सांचों, डाई और सटीक घटकों के डिजाइन और निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं।

कई तकनीकी केंद्र रक्षा और वायु–अंतरिक्ष सहित कार्यनीतिक क्षेत्रों को विशेष सहायता भी प्रदान करते हैं। उपकरण और विनिर्माण में प्रौद्योगिकी सेवाओं और परामर्श के अतिरिक्त, तकनीकी केंद्र व्यावहारिक कौशल विकास, बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देने और उद्योग के लिए तैयार कार्यबल बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी निम्न 18 तकनीकी केंद्र एमएसएमई मंत्रालय के अधीन स्वायत्त, आत्मनिर्भर निकायों के रूप में कार्य करते हैं।

1. केंद्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीटीटीसी), कोलकाता
2. सेंट्रल टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना
3. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), इंदौर
4. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), अहमदाबाद
5. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), औरंगाबाद
6. इंडो डेनिश टूल रूम (आईडीटीआर), जमशेदपुर
7. केंद्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र (सीटीटीसी), भुवनेश्वर
8. टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (टीआरटीसी), गुवाहाटी
9. केंद्रीय हस्त उपकरण संस्थान (सीआईएचटी), जालंधर

10. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टूल डिजाइन (सीआईटीडी), हैदराबाद

11. इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा एवं प्रशिक्षण केंद्र (ईएसटीसी), रामनगर

12. विद्युत मापन उपकरण डिजाइन संस्थान (आइडीएमाई), मुंबई

13. सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र (एफएफडीसी), कन्नौज

14. कांच उद्योग विकास केंद्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद

15. प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), आगरा

16. प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), मेरठ

17. केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), आगरा

18. केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चेन्नई

ये तकनीकी केंद्र अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित हैं। मंत्रालय इन केंद्रों को प्रासंगिक बनाए रखने और उन्हें अपने–अपने क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक से अवगत कराने के लिए सहयोग प्रदान करता है, साथ ही समय–समय पर सीएनसी मशीनिंग, वैक्यूम हीट ट्रीटमेंट, 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, सीएडी/सीएएम आदि जैसी नई तकनीकों को भी शामिल करता है।

4.1.2.2. आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत उद्योग, कार्यनीतिक क्षेत्र और आत्मनिर्भरता के लिए किए गए कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

➢ आईजीटीआर औरंगाबाद द्वारा निम्नलिखित के लिए मशीनिंग कार्य किया गया:

(i) इसरो, अहमदाबाद के लिए चंद्रयान मिशन के विभिन्न घटक।

(ii) मैसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक के लिए हल्के लड़ाकू विमान (एलसीए) तेजस के पुर्जे।

एलसीए तेजस और चंद्रयान मिशन के लिए घटक

➢ आईजीटीआर अहमदाबाद ने 11 इंसर्ट (जिन्हें नीदरलैंड से आयात करने की योजना थी) के साथ परीक्षण नमूना मोल्ड विकसित किया, जिससे लागत में 75% की कमी आई।

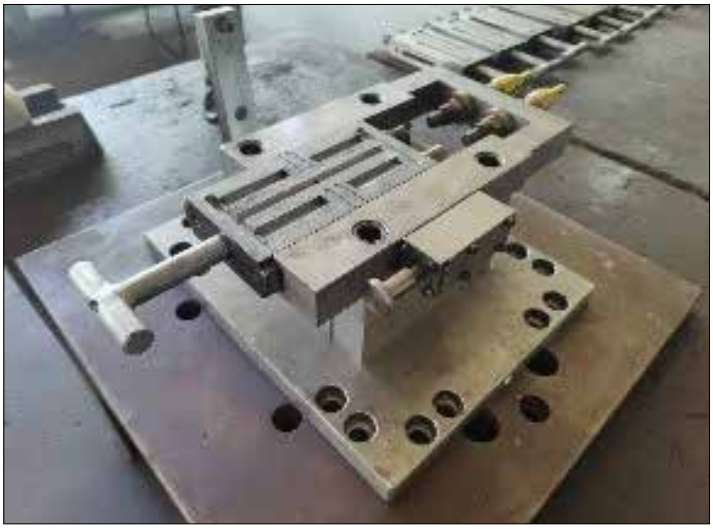

11 इंसर्ट वाला मोल्ड

- भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी) ने मानवरहित अंतरिक्ष मिशनों के दौरान मानवीय कार्यों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किए गए ह्यूमनॉइड रोबोट 'व्योममित्र' के लिए उच्च परिशुद्धता वाले यांत्रिक घटकों को विकसित करके इसरो के गगनयान मिशन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

मानवाकार रोबोट 'व्योममित्र' के लिए घटक

4.1.2.3. बेरोजगार युवाओं और उद्योग जगत के कार्यबलों को महत्त्वपूर्ण कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में टीसी की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। टीसी द्वारा संचालित पाठ्यक्रम एनएसक्यूएफ के अनुरूप हैं, एआईसीटीई /एनसीवीईटी /एससीवीटी से अनुमोदित हैं और साथ ही उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित पाठ्यक्रम भी हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुपालन में विभिन्न एनएसक्यूएफ पाठ्यक्रम विकसित किए गए हैं। 18 टीआर और टीआई के छात्र इन टीआर और टीआई के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कौशल प्रतियोगिता कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं।

कौशल विकास के माध्यम से दिव्यांगजन युवाओं का सशक्तीकरण

उभरती प्रौद्योगिकियों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण

4.1.2.4. सभी टूल रूम और तकनीकी संस्थान संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे आईएसओ 9001–2015 प्रमाणित संस्थान हैं और उनमें से कुछ आईएसओ–14001, ओएचएसएएस–18001, आईएसओ–29990, आईएसओ/आईईसी 17025:2017 और आईएसओ–50001 प्रमाणित हैं। केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र, भुवनेश्वर भी एरोस्पेस घटक की आपूर्ति के लिए एएस–9100 प्रमाणित है।

4.1.2.5. वर्ष 2025–26 (दिसंबर 25 तक) के दौरान टीआर और टीआई का वास्तविक कार्य–निष्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की संख्या (संख्या में)	सहायता–प्राप्त इकाई (संख्या में)
2025-26 (दिसंबर 25 तक)	2,37,121	35,965

4.1.2.6. प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी)

मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों की सफलता को और बढ़ाने तथा उनकी पहुँच का विस्तार करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय ने 2,402 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) स्थापित करना तथा मौजूदा केंद्रों को उन्नत करना है। टीसीएसपी को एक नवोन्मेषी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देकर प्रमुख विनिर्माण उद्योगों में

एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नए प्रौद्योगिकी केंद्र स्थान	क्षेत्र
1	आंध्र प्रदेश	पुडी (वाइजैग)	सामान्य अभियांत्रिकी
2	बिहार	पटना	सामान्य अभियांत्रिकी
3	छत्तीसगढ़	दुर्ग	सामान्य अभियांत्रिकी
4	हिमाचल प्रदेश	बद्दी	सामान्य अभियांत्रिकी
5	हरियाणा	रोहतक	सामान्य अभियांत्रिकी
6	कर्नाटक	बैंगलुरु	इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम)
7	केरल	कोच्चि	सामान्य अभियांत्रिकी
8	मध्य प्रदेश	भोपाल	सामान्य अभियांत्रिकी
9	मणिपुर	इम्फाल	सुगंध और स्वाद
10	पुदुचेरी	पुदुचेरी	इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम)
11	राजस्थान	भिवाड़ी	ऑटो एवं घटक (कंपोनेन्ट)
12	तमिलनाडु	श्री पेरुमबदूर	सामान्य अभियांत्रिकी
13	उत्तर प्रदेश	ग्रेटर नोएडा	इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ईएसडीएम)
14	उत्तर प्रदेश	कानपुर	सामान्य अभियांत्रिकी
15	उत्तराखंड	सितारगंज	ऑटो एवं घटक (कंपोनेन्ट)

मुख्य बिन्दु:

- 15 प्रशिक्षण केन्द्रों में से 9 प्रशिक्षण केन्द्रों की सिविल अवसंरचना पूरा हो चुकी है और उन्हें राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है।
- 13 टीसी द्वारा एमएसएमई के लिए प्रशिक्षण, परामर्श तथा उत्पादन सहयोग की गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं। संस्थान की स्थापना से अब तक विभिन्न अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उद्योग–उन्मुख पाठ्यक्रमों के अंतर्गत कुल 1,27,642 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जबकि सहायता–प्राप्त एमएसएमई इकाइयां 4,347 हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान कुल 40,158 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि सहायता–प्राप्त एमएसएमई इकाइयां 1,241 हैं।
- इन नए टीसी ने उत्पादन कार्यादेश तथा परामर्श सेवाएँ प्राप्त कर उनका सफलतापूर्वक निष्पादन किया है।
- पुदुचेरी, दुर्ग, बेंगलुरु और बद्दी में 4 टीसी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी)/मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण (टीओए) कार्यक्रमों के तहत प्रमाणित मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

4.1.2.7. नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना

मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्र पारितंत्र को विस्तारित और सुदृढ़ करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय 3,500 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ "नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना" नामक स्कीम को क्रियान्वित कर रहा है। इस

पहल के अंतर्गत, 18 मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों और विश्व बैंक समर्थित प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के तहत 15 प्रौद्योगिकी केंद्रों के अतिरिक्त, 20 नए प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) और 100 विस्तार केंद्र (ईसी) स्थापित किए जा रहे हैं।

इस स्कीम का उद्देश्य प्रौद्योगिकी सहायता, कौशल विकास, इनक्यूबेशन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए टीसी और ईसी का भविष्य–उन्मुख अखिल भारतीय नेटवर्क बनाना है, जिससे रोजगार क्षमता में सुधार हो, उद्यमिता का पोषण हो और नए एमएसएमई का सृजन संभव हो सके।

इन केंद्रों को हब–एंड–स्पोक मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसमें विस्तार केंद्र (स्पोक) मार्गदर्शन और प्रशासनिक सहायता के लिए एक मुख्य प्रौद्योगिकी केंद्र (हब) के अधीन काम करते हैं। यह मॉडल आकांक्षी जिलों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) सहित व्यापक क्षेत्रीय कवरेज सुनिश्चित करता है।

प्रस्तावित केंद्र सामान्य इंजीनियरिंग, सुगंध और स्वाद, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम), खेल और अन्य उद्योग–संबंधित जैसे प्रमुख क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेंगे, साथ ही उद्योग–अकादमिक संबंधों को मजबूत करेंगे और उन्नत सुविधाओं के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देंगे, जिसमें इनक्यूबेशन और एआर/वीआर और एआई जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना की स्थिति:

अब तक 20 टीसी के लिए स्थान स्वीकृत किए जा चुके हैं और 16 स्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के पास है। 4 टीसी का भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है।

विस्तार केंद्रों की स्थापना की स्थिति:

इस स्कीम के अंतर्गत, 100 विस्तार केंद्र स्थापित किए जाने हैं और विस्तार केंद्र स्थापित करने के लिए 62 स्थानों को अनुमोदित किया गया है। विस्तार केंद्रों के लिए अनुमोदित 62 स्थानों में से 25 केंद्र कार्यरत हैं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं तथा एमएसएमई की सहायता कर रहे हैं। दिनांक 31 दिसंबर, 2025 तक इन 25 कार्यरत विस्तार केंद्रों ने 1,40,468 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है और 2979 एमएसएमई की सहायता की है।

4.1.3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास कार्यालय (एमएसएमई–डीएफओ)

4.1.3.1. एमएसएमई– विकास कार्यालय

एमएसएमई–डीएफओ विकास आयुक्त (एमएसएमई), एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमएसएमई को अंतिम स्तर तक सहायता प्रदान करते हैं। वर्तमान में, 33 एमएसएमई–डीएफओ, 31 शाखा डीएफओ और 2 एमएसएमई विकास केंद्रक प्रकोष्ठ (लद्दाख और लक्षद्वीप) कार्यरत हैं। इन कार्यालयों में भारतीय उद्यम विकास सेवा (आईईडीएस) के अधिकारी तैनात हैं, जिन्हें भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) और भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के कर्मियों का सहयोग प्राप्त है।

एमएसएमई–डीएफओ एमएसएमई को उद्यम पंजीकरण, जेम, जीएसटी, आईपीआर, डिज़ाइन, इनक्यूबेशन, लीन, एमएसई–सीडीपी, खरीद और विपणन सहायता, पीएम विश्वकर्मा, ईएसडीपी और लोक प्रापण नीति सहित वित्त, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, पंजीकरण और सरकारी स्कीमों तक पहुंच प्रदान करते हैं। वे एमएसई विकास के लिए डीआईसी, केवीआईसी, एनएसआईसी और राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ समन्वय भी करते हैं।

4.1.3.2. संस्थागत क्षमता सुदृढ़ीकरणः 65 आईईडीएस अधिकारियों की नियुक्ति

4.1.3.2.1. नवगठित आईईडीएस कैडर के कार्यान्वयन के बाद, वर्ष 2025 में 65 अधिकारियों (29 सहायक निदेशक ग्रेड–I और 36 सहायक निदेशक ग्रेड–II) की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से किए गए पहले बैच को चिह्नित करती है, जो मंत्रालय के संस्थागत फ्रेमवर्क को विशिष्ट रूप से सुदृढ़ करती है।

4.1.3.2.2. भारत के एमएसएमई पारितंत्र को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और दूरदर्शिता से नव नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षित और लैस करने हेतु, मंत्रालय ने आईआईटी– रुड़की, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन सेंटर में दिनांक 6 से 17 अक्तूबर 2025 तक दो सप्ताह का आवासीय प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में प्रभावी कार्यान्वयन और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक, नीतिगत और तकनीकी दक्षताओं का सृजन करना था।

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से आईईडीएस कैडर में 65 अधिकारियों की भर्ती

4.1.3.3. परामर्श एवं तकनीकी सहायता

एमएसएमई–डीएफओ निम्नलिखित विषयों पर तकनीकी–आर्थिक परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं:

- उत्पाद की पहचान और विकास
- उपयुक्त मशीनरी का चयन
- औद्योगिक डिज़ाइनिंग आधुनिकीकरण
- परियोजना प्रोफाइल तैयार करना और परियोजना मूल्यांकन
- तकनीकी सहायता सेवाएं
- पर्यावरणीय परियोजनाओं सहित लघु उद्यमों के लिए संवर्धी कार्यक्रम
- एमएसई इकाइयों का उन्नयन/आधुनिकीकरण
- केंद्र और राज्य सरकार के बीच संपर्क

- बाजार और औद्योगिक संभावना संबंधी सेवाओं से जुड़े उत्पादों का विकास

4.1.3.4. बाजार अनुसंधान

एमएसएमई–डीएफओ निम्नलिखित माध्यम से औद्योगिक विकास में सहयोग करते हैं:

- नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना के लिए उत्पादों की पहचान।
- औद्योगिक परिप्रेक्ष्य की तैयारी।
- औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण।
- परियोजनाओं का उनकी तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता हेतु मूल्यांकन।
- बाजार सर्वेक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट।
- नियमित विकास गतिविधियों के अतिरिक्त जागरूकता सृजित करना।

4.1.3.5. समन्वय और कार्यान्वयन

एमएसएमई–डीएफओ निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

- एमएसएमई स्कीमों और सेवाओं का कार्यान्वयन।
- एमएसएमई नीति संबंधी मामलों पर सरकार को सलाह देना।
- केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, बैंकों और संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करना।
- औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाओं में एमएसएमई के एकीकरण का समन्वय करना।

4.1.3.6. क्लस्टर विकास गतिविधि

एमएसई–क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, एमएसएमई–डीएफओ निम्नलिखित के लिए तकनीकी–प्रबंधकीय सहायता प्रदान करते हैं:

- प्रौद्योगिकी, कौशल, गुणवत्ता और बाजार पहुंच से संबंधित सामान्य क्लस्टर समस्याओं का समाधान करना।
- स्वयं सहायता समूहों, संघों और उद्योग संघों के माध्यम से क्षमता वर्धन करना।
- औद्योगिक अवसंरचना और साझा सुविधा केंद्रों का निर्माण/उन्नयन।
- हरित और सतत विनिर्माण पद्धतियों को बढ़ावा देना।

4.1.3.7. परियोजना प्रोफाइल

एमएसएमई–डीएफओ व्यवहार्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए परियोजना प्रोफाइल तैयार करते हैं, जिनमें उत्पाद विनिर्देश, विनिर्माण प्रक्रिया, पूंजी और मानव संसाधन आवश्यकताएं, बाजार क्षमता और मशीनरी तथा कच्चे माल के स्रोत जैसी विस्तृत जानकारी शामिल होती हैं। ये प्रोफाइल संबंधित डीएफओ की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।

4.1.3.8. जिला औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण रिपोर्ट

एमएसएमई–डीएफओ एमएसएमई विकास के अवसरों की पहचान के लिए आकांक्षी जिलों सहित जिला औद्योगिक क्षमता सर्वेक्षण रिपोर्ट और जिला विकास स्कीमें तैयार करते हैं।

4.1.3.9. एमएसएमई को वित्त प्राप्त करने में सहायता

एमएसएमई–डीएफओ एमएसएमई को ऋण प्रवाह में सहायता प्रदान करते हैं:

- राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी), जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) और आरबीआई अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों में भाग लेना।
- बैंकों और नियामकों के साथ एमएसएमई के ऋण संबंधी मुद्दों और शिकायतों को उठाना।
- चैंपियंस पोर्टल के माध्यम से क्रेडिट संबंधी शिकायतों का समाधान करना।
- उद्यमी विकास प्रकोष्ठों (ईडीसी) के माध्यम से त्रैमासिक ऋण सुविधा कार्यक्रम आयोजित करना।
- बैंक वित्तपोषण के लिए मॉडल परियोजना रिपोर्ट और मार्गदर्शन प्रदान करना।

4.1.3.10. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम का कार्यान्वयनः

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम के अंतर्गत, जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से लाभार्थियों के पंजीकरण, जांच और अंतिम अनुमोदन की जिम्मेदारी एमएसएमई–डीएफओ की होती है। वे जमीनी स्तर पर स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों और सीजीटीएमएसई के साथ समन्वय भी करते हैं।

4.1.4. एमएसएमई परीक्षण केंद्र और परीक्षण स्टेशन

विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय ने नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पटना और दीमापुर में सात एमएसएमई परीक्षण केंद्र (टीसी) स्थापित किए हैं। ये केंद्र उद्योगों को विशेष रूप से एमएसएमई पर केंद्रित करते हुए कच्चे माल, अर्ध–निर्मित और तैयार उत्पादों सहित परीक्षण और कैलिब्रेशन सेवाएं प्रदान करते हैं। इन केंद्रों का संचालन आईईडीएस कैडर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

औद्योगिक समूहों और कार्यनीतिक स्थानों तक परीक्षण सुविधाओं का विस्तार करने के लिए, मंत्रालय ने 1982 में जयपुर, भोपाल, कोल्हापुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, पुडुचेरी और एट्टुमानूर में सात एमएसएमई परीक्षण केंद्र (टीएस) स्थापित किए। ये परीक्षण केंद्र एमएसएमई परीक्षण केंद्रों के विस्तार के रूप में कार्य करते हैं, जो दूरदराज के क्षेत्रों में एमएसएमई की जरूरतों को पूरा करते हैं और उद्योग की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय–समय पर इनका उन्नयन किया जाता है।

परीक्षण केंद्र रासायनिक, यांत्रिक, धातुकर्म और विद्युत विषयों में अत्याधुनिक स्वदेशी और आयातित उपकरणों से सुसज्जित हैं, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रदर्शन, प्रकार और स्वीकृति परीक्षण के साथ–साथ मापने वाले उपकरणों और यंत्रों के कैलिब्रेशन को सक्षम बनाते हैं।

4.1.4.1. एमएसएमई परीक्षण केंद्र – मुख्य विशेषताएं

- एमएसएमई पर विशेष ध्यान देते हुए उद्योगों को कच्चे माल, अर्ध–निर्मित और तैयार उत्पादों के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना।
- मापन उपकरणों और यंत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप कैलिब्रेशन सेवाएं प्रदान करना।
- तकनीकी सहायता के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने में एमएसएमई को सहयोग करना।
- उत्पाद–विशिष्ट परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि एमएसएमई अपनी इन–हाउस परीक्षण क्षमता विकसित कर सकें।
- बीआईएस लाइसेंस/गुणवत्ता चिह्न प्राप्त करने के लिए परीक्षण की सुविधा प्रदान करके बीआईएस मानकीकरण प्रयासों को सहयोग करना।
- सरकारी विभागों जैसे रेलवे, रक्षा और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा एमएसएमई से खरीदी गई सामग्रियों का परीक्षण करना।
- परीक्षण, गुणवत्ता प्रबंधन और प्रक्रिया–वार गुणवत्ता प्रणालियों में परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

4.1.4.2. एमएसएमई द्वारा परीक्षण और कैलिब्रेशन के अतिरिक्त प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं – परीक्षण केंद्र/परीक्षण स्टेशन

- विनिर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एमएसएमई को तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- परीक्षण, गुणवत्ता प्रबंधन और प्रक्रिया–वार गुणवत्ता प्रणालियों में परामर्श सेवाएं प्रदान करना।
- गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं में रोजगार के लिए युवाओं को उत्पाद परीक्षण में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना।
- एमएसएमई द्वारा प्रायोजित श्रमिकों के लिए उत्पाद–विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ताकि इन–हाउस परीक्षण सुविधाएं स्थापित की जा सकें।
- संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम), आईएसओ–9000 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और विद्युत एवं संबद्ध उत्पादों के लिए गुणवत्ता मानकों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।

4.2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत एमएसएमई मंत्रालय के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है, जो खादी और ग्रामोद्योग के प्रचार और विकास में संलग्न है और जिसका प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। विकेंद्रीकृत क्षेत्र में एक प्रमुख संगठन के रूप में, केवीआईसी न्यूनतम प्रति व्यक्ति निवेश पर स्थायी गैर–कृषि रोजगार सृजित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कार्यकलापों में कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान और विकास, विपणन और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों का सृजन शामिल हैं।

खादी कताई गतिविधियाँ

चमड़े के फुटवियर विनिर्माण टूल किट

4.2.1. मुख्य उद्देश्य

केवीआईसी के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

i. जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना;

ii. आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिक्री योग्य वस्तुओं का उत्पादन करना; तथा

iii. लोगों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एक सुदृढ़ ग्रामीण सामुदायिक भावना को जागृत करना।

4.2.2. कार्य

केवीआईसी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केवीआईसी के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: –

i. खादी और ग्रामोद्योग में कार्यरत या रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के प्रशिक्षण की स्कीम बनाना और उसका आयोजन करना;

ii. प्रत्यक्ष या विनिर्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से कच्चे माल और उपकरणों का भंडार बनाना और उनकी आपूर्ति करना या हाथ से काते गए सूत या खादी या ग्रामोद्योग के उत्पादन में लगे हुए या लगने वाले संभावित व्यक्तियों को कच्चे माल और उपकरणों की आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर आपूर्ति की व्यवस्था करना;

iii. कच्चे माल या अर्ध–तैयार वस्तुओं के प्रसंस्करण के लिए सामान्य सेवा सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करना और सहायता करना और अन्यथा खादी या ग्रामोद्योगों के उत्पादों के उत्पादन और विपणन की सुविधा प्रदान करना;

iv. खादी या ग्रामोद्योगों या हस्तशिल्प के उत्पादों की बिक्री और विपणन को बढ़ावा देना और इस उद्देश्य के लिए जहां भी आवश्यक और संभव हो, स्थापित विपणन एजेंसियों के साथ संबंध बनाना;

v. खादी और ग्रामोद्योगों में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना, जिसमें उत्पादकता बढ़ाने, कठिन परिश्रम को समाप्त करने और अन्यथा उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाने के लिए गैर–पारंपरिक ऊर्जा और विद्युत शक्ति का उपयोग शामिल है और इस तरह के शोध से प्राप्त मुख्य परिणामों के प्रसार की व्यवस्था करना;

vi. खादी या ग्रामोद्योग के विकास और संचालन में लगे संस्थानों या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से या विनिर्दिष्ट एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के उद्देश्य से डिजाइन, प्रोटोटाइप और अन्य तकनीकी जानकारी की आपूर्ति के माध्यम से उनका मार्गदर्शन करना, जिनके लिए आयोग की राय में प्रभावी मांग है;

vii. प्रामाणिकता सुनिश्चित करना और गुणवत्ता के मानक स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद उक्त मानकों के अनुरूप हों, जिसमें संबंधित व्यक्तियों को प्रमाण–पत्र या मान्यता–पत्र जारी करना शामिल है।

4.2.3. संगठन

4.2.3.1. आयोग मुंबई में स्थित अपने मुख्यालय और नई दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित छह क्षेत्रीय कार्यालयों तथा पूरे देश में फैले 44 राज्य/ मंडल/उप कार्यालयों के साथ कार्य करता है।

4.2.3.2. केवीआईसी का संगठनात्मक स्वरूप निम्नानुसार है:

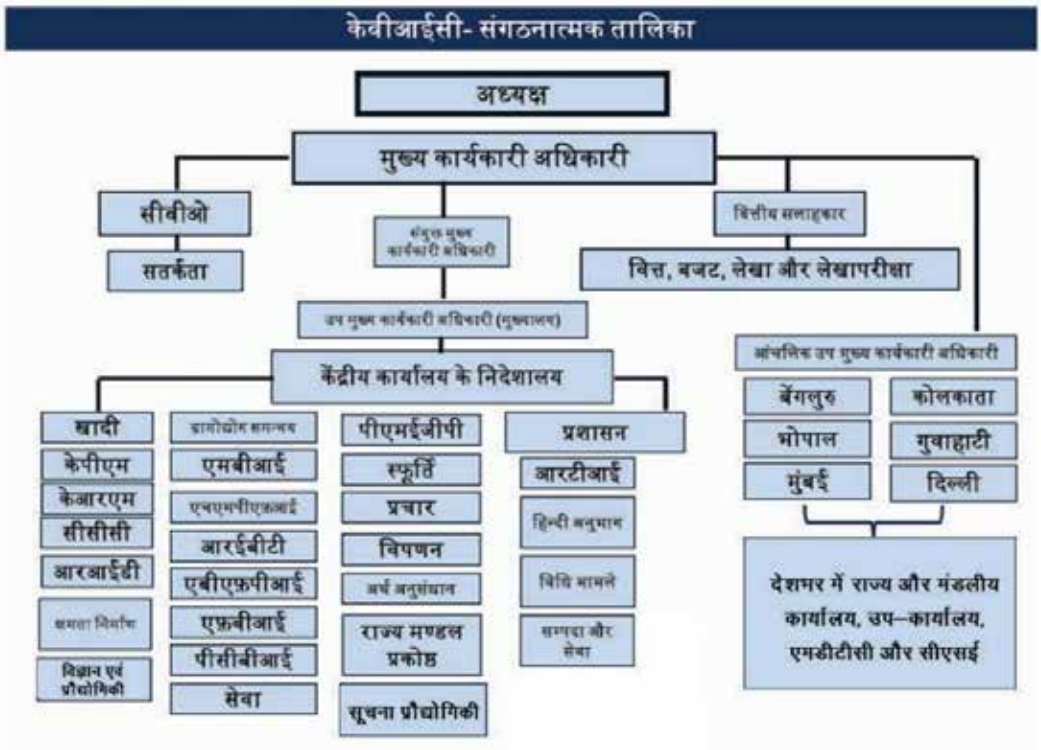

4.2.3.3. केवीआईसी अपने 35 विभागीय और गैर–विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, जिससे व्यक्तियों को खादी और ग्रामोद्योग में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्राप्त होते हैं। खादी और ग्रामोद्योग संस्थानों और इकाइयों, साथ ही खादी ग्रामोद्योग भवनों और भंडारों द्वारा तैयार उत्पादों का विपणन एक विशाल नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। इसमें 8 विभागीय बिक्री केंद्र (खादी इंडिया), केवीआईसी की 15 शाखाएँ और देश भर में खादी संस्थाओ द्वारा संचालित 8,035 बिक्री केंद्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, केवीआईसी अपने पाँच केंद्रीय पूनी (स्लिवर) संयंत्रों (सीएसपी) के माध्यम से खादी संस्थाओं को उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।

4.2.3.4. खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) कार्यक्रम का कार्यान्वयन 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) और पंजीकृत केवीआई संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। खादी कार्यक्रम का निष्पादन विशेष रूप से केवीआईसी या संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केवीआईबी के साथ पंजीकृत संस्थानों द्वारा किया जाता है।

4.2.4. खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने की पहल

केवीआईसी द्वारा खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

- कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए, केवीआईसी ने दिनांक 01.04.2025 से कताई मजदूरी को 20 % बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लच्छा से 15.00 रुपये प्रति लच्छा कर दिया है।
- केवीआईसी ने खादी संस्था की कच्चे माल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राजस्थान के बीकानेर में मैरिनो वूल बैंक की स्थापना की है।
- केंद्रीय स्लिवर प्लांट्स (सीएसपी) के लाभ के लिए एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित किया गया है, ताकि खादी संस्थानों (केआई) को कच्चे माल (स्लिवर/रोविंग) की आपूर्ति को रिकॉर्ड किया जा सके।
- मैनुअल बजट की समस्या को कम करने के लिए, केवीआईसी ने खादी संस्थाओं (केआई) के लिए एक ऑनलाइन बजट प्रणाली तैयार, विकसित और शुरू की है, जिससे खादी संस्थान पिछले वर्ष की कार्य–प्रदर्शन उपलब्धि और बजट वर्ष के लिए कार्य योजना जैसी सभी विस्तृत जानकारी के साथ अपना बजट प्रस्तुत कर सकें।
- खादी क्षेत्र में गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए, केवीआईसी ने कच्चे माल से तैयार माल (खेत से फैशन तक) तक गुणवत्ता आपूर्ति श्रृंखला में अंतःक्षेप बढ़ाने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (वाणिज्य मंत्रालय) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- ग्रामोद्योग विकास योजना के कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई) वर्टिकल के तहत 'पॉपकॉर्न बनाने' की एक नई गतिविधि को जोड़ा गया है।
- लेह में पश्मीना ऊन प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया, जिससे यह सुनिश्चित हो कि पश्मीना ऊन की रोविंग स्थानीय खादी कारीगरों को पश्मीना ऊनी धागे के उत्पादन के लिए आसानी से उपलब्ध हो।
- केवीआईसी ने समग्र सरकारी दृष्टिकोण के माध्यम से बेहतर बाजार पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पारितंत्र बनाने हेतु राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान को बढ़ावा देने के लक्ष्य से, **"हर घर स्वदेशी, घर–घर स्वदेशी"** टैग लाइन के साथ खादी महोत्सव का आयोजन दिनांक 17.09.2025 से 23.10.2025 तक पूरे देश में किया गया, जिसका उद्देश्य खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों को बढ़ावा देना था। खादी महोत्सव के अंतर्गत, केवीआईसी द्वारा खादी यात्राओं, विभिन्न बिक्री अभियानों, प्रदर्शनियों, कई सेमिनारों आदि जैसी विभिन्न प्रचार, शैक्षिक और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया।
- आयोग की सहभागिता वाले विशेष आयोजनों का विवरण रिपोर्ट के अध्याय 2 में "वर्ष के दौरान विशेष आयोजन" शीर्षक वाले खंड में दिया गया है।

4.2.5. भारत में खादी क्षेत्र

4.2.5.1. खादी गतिविधि को बहुत कम पूंजी निवेश पर ग्रामीण कारीगरों को उनके स्थान पर रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में व्यापक रूप माना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद, खादी और ग्रामोद्योग

की उत्पादकता राष्ट्रवाद का एक गहरा प्रतीक बन गई। इसके परिणामस्वरूप, खादी को महज एक कपड़े की अपनी पहचान से परे जाकर स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में जाना जाने लगा।

दिनांक 17 सितंबर, 2025 को माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी और माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे जी द्वारा बिहार के बोधगया में एक विशेष लघु प्रदर्शनी का उद्घाटन।

4.2.5.2. केवीआईसी के व्यापक नेटवर्क में भारत भर में विभिन्न केवीआईसी कार्यक्रमों को लागू करने वाले 2,985 से अधिक खादी संस्थान शामिल हैं। यह पहल 5 लाख से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करती है, जिसमें महिला कारीगर कार्यबल का हिस्सा 80 प्रतिशत से अधिक है।

4.2.5.3. खादी क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में बिक्री में लगातार वृद्धि देखी गई है। पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) के बिक्री आंकड़े निम्नानुसार हैं:

खादी क्षेत्रः बिक्री

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बिक्री
2020 - 21#	3527.71
2021 - 22#	5051.72
2022 - 23 #	5942.93
2023 - 24 (पी) #	6496.01
2024 – 25 (पी) #	7145.61
2025 – 26 (दिनांक 31.12.2025 तक) #	6156.71

#पॉलीवस्त्र और सोलरवस्त्र सहित

केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह ने दिनांक 3 अक्तूबर, 2025 को रोहतक में आयोजित 'खादी कारीगर महोत्सव' में ऑनलाइन माध्यम से कारीगरों को मशीनें, टूलकिट और मार्जिन मनी वितरित की। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सैनी, माननीय राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह, सहकारिता राज्य मंत्री माननीय श्री कृष्ण पाल गुर्जर और केवीआईसी के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार उपस्थित थे।

4.2.6. खादी विकास योजना

खादी विकास योजना (केवीवाई) खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) की सर्वसमावेशी स्कीम के अंतर्गत एक उप–स्कीम है और इसे केवीआईसी द्वारा खादी के संवर्धन और विकास के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है।

केवीवाई स्कीम के प्रमुख घटक निम्नानुसार हैं:

1. आशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए):

मुख्य विशेषताएं:

- भारत सरकार ने वर्ष 2016–17 की तीसरी तिमाही से ''आशोधित बाजार विकास सहायता'' (एमएमडीए) स्कीम की शुरूआत की।
- आशोधित एमडीए स्कीम का उद्देश्य बिक्री मूल्य को लागत चार्ट से अलग करना तथा नियंत्रण हटाना है, जिससे संस्थाओं को खादी में मूल्य संवर्धन का अवसर मिलेगा; ताकि उत्पादों की बिक्री बाजारोन्मुखी मूल्यों पर की जा सके।
- कपास/मलमल, ऊन और पॉलीवस्त्र के लिए आशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) की गणना मूल लागत पर 35% की दर से और रेशमी खादी के लिए मूल लागत पर 20% की दर से की जाएगी, जिसमें कच्चे माल की लागत के अलावा ग्रे कपड़े पर रूपांतरण शुल्क और मार्जिन रहित प्रसंस्करण शुल्क शामिल होंगे।

उपलब्धियां:

- वर्ष 2024–25 के दौरान, एमएमडीए के अंतर्गत 1,097 खादी संस्थानों को 245.00 करोड़ रुपये संवितरित किए गए और 1,45,484 कारीगर लाभान्वित हुए।
- वर्ष 2025–26 के दौरान (दिनांक 31–12–2025 तक), एमएमडीए के अंतर्गत 935 खादी संस्थानों को 137.35 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं।

2. ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण–पत्र (आईएसईसी) स्कीमः

मुख्य विशेषताएं:

- यह स्कीम खादी संस्थाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से अतिरिक्त निधि जुटाने हेतु मई, 1977 में शुरु की गई।
- आईएसईसी स्कीम खादी और पॉलीवस्त्र कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले केवीआईसी/केवीआईबी के अंतर्गत पंजीकृत सभी खादी संस्थानों के लिए लागू है। इस स्कीम के अंतर्गत, केवीआई संस्थानों की आवश्यकता के अनुसार पूंजीगत व्यय (सीई) के साथ–साथ कार्यशील पूंजी के लिए 4% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से ऋणदाता बैंकों को वास्तविक उधार दर और 4% के बीच के अंतर का भुगतान किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए केवीआईसी को खादी विकास योजना अनुदान शीर्ष के अंतर्गत निधि प्रदान की जाती है।

उपलब्धियां:

- वर्ष 2024–25 के दौरान, आईएसईसी के तहत 1,146 खादी संस्थानों को ब्याज सब्सिडी के रूप में 39.00 करोड़ रुपये संवितरित किए गए।
- वर्ष 2025–26 के दौरान (दिनांक 31.12.2025 तक) आईएसईसी के अंतर्गत 1,121 खादी संस्थानों को 28.21 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं।

3. खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीमः

मुख्य विशेषताएं:

- खादी कारीगरों के लिए "वर्कशेड स्कीम" वर्ष 2008–09 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खादी कारीगरों को सुचारू और थकान मुक्त कार्य के लिए पर्याप्त स्थान और अनुकूल वातावरण प्रदान करना था; जिससे उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके।
- इस स्कीम के अंतर्गत, व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के लिए 1,20,000/– रुपये और सामूहिक वर्कशेड के लिए प्रत्येक कारीगर को 80,000/– रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपलब्धियां:

- वर्ष 2024–25 के दौरान, इस वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत 1,497 खादी कारीगर लाभान्वित हुए।
- वर्ष 2025–26 के दौरान (दिनांक 31–12–2025 तक), इस वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत 1,309 खादी कारीगर लाभान्वित हुए।

4. मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता प्रदान करनाः

मुख्य विशेषताएं:

- यह स्कीम दो उप–स्कीमों यथा "मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण " और "विपणन अवसंरचना हेतु सहायता" का संयोजन है।

- इस स्कीम के तहत, मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए कमजोर या समस्याग्रस्त खादी संस्थानों को उनकी गतिविधियों को सामान्य स्थिति में लाने के लिए 15.00 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

- खादी संस्थानों, केवीआईबी के बिक्री केंद्रों तथा विभागीय बिक्री केंद्रों के लिए विपणन अवसंरचना के विकास हेतु अधिकतम 25.00 लाख रुपए तक की सहायता प्रदान की गई। इसमें सामान्य लोगो, साइनेज, विजुअल मर्चेंडाइजिंग, कम्प्यूटरीकरण (जिसमें बिलिंग एवं बार–कोडिंग शामिल है), बिक्री कर्मियों का प्रशिक्षण, फर्नीचर एवं फिक्स्चर तथा नवीनीकरण से संबंधित आकस्मिक सिविल कार्य आदि सम्मिलित हैं।

उपलब्धियां:

- वर्ष 2024–25 के दौरान, 34 खादी संस्थानों को सुदृढ़ किया गया। इसके अतिरिक्त, विपणन अवसंरचना सहायता के अंतर्गत खादी संस्थानों के 79 बिक्री केंद्रों का नवीनीकरण किया गया है।

- वर्ष 2025–26 के दौरान (दिनांक 31–12–2025 तक), 29 खादी संस्थानों को सुदृढ़ किया गया है। इसके अतिरिक्त, विपणन अवसंरचना सहायता के तहत खादी संस्थानों के 4 बिक्री केंद्रों का नवीनीकरण किया गया है।

4.2.7. ग्रामोद्योग

'ग्रामोद्योग' से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्र में स्थित किसी ऐसे उद्योग से है, जो बिजली के उपयोग से या उसके बिना किसी वस्तु का उत्पादन या कोई सेवा प्रदान करता है, जिसमें प्रति कारीगर या श्रमिक का निर्धारित पूंजी विनिवेश मैदानी क्षेत्रों में 1.00 लाख रु. और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.50 लाख रु. या ऐसी अन्य राशि से अधिक न हो, जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

4.2.7.1. पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष 2025–26 (दिसंबर 2025 तक) के दौरान ग्राम उद्योग उत्पादों की बिक्री और दिनांक 31.03.2026 तक अनुमानित बिक्री का विवरण निम्नानुसार है:

ग्राम उद्योग: बिक्री (करोड़ रुपये में)

वर्ष	बिक्री
2020 - 21	92213.65
2021 - 22	110363.51
2022 – 23	128686.56
2023 – 24 (पी)	149177.12
2024 – 25 (पी)	163405.76
2025 – 26 (दिनांक 31.12.2025 तक)	136387.34

4.2.8. ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई):

ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) खादी ग्रामोद्योग विकास योजना (केजीवीवाई) की सर्वसमावेशी स्कीम के अंतर्गत एक उप–स्कीम है और इसे केवीआईसी द्वारा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है। ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) में जिन ग्राम उद्योग क्षेत्रों को शामिल किया गया है, वे निम्नलिखित हैं:

क्र. सं.	उद्योग क्षेत्र	गतिविधियाँ
1	कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफआई)	• ग्राम तेल उद्योग • शहद और मधुमक्खी पालन • ताड़ का गुड़ और अन्य ताड़ उत्पाद • फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग • दलहन और अनाज प्रसंस्करण उद्योग • मसाला एवं कॉन्डिमेंट प्रसंस्करण उद्योग • बांस, बेंत और सरकंडा उद्योग • पॉपकॉर्न बनाना
2	खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)	• हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, ग्लेज्ड और सिरेमिक मिट्टी के बर्तन, घर की सजावट के लिए मिट्टी के बर्तन, खाद्य उद्योग के लिए मिट्टी के बर्तन
3	स्वास्थ्य एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग (डब्ल्यूसीआई)	• स्वास्थ्य, सौंदर्य प्रसाधन (साबुन और तेल उद्योग सहित) • कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पाद उद्योग • हेयर ऑयल और शैंपू, टॉयलेटरीज़ उद्योग • स्नान साबुन उद्योग • अगरबत्ती उद्योग
4	हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लस्टिक उद्योग (एचपीएलपीआई)	• हस्तनिर्मित कागज और कागज उत्पाद उद्योग • कागज रूपांतरण उद्योग • चमड़ा उद्योग • कयर के रेशे के अलावा अन्य प्राकृतिक रेशे उद्योग
5	ग्रामीण इंजीनियरिंग और नई प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई)	• बायोगैस, गैर–पारंपरिक ऊर्जा, जैविक खाद • बढ़ईगिरी उद्योग
6	सेवा उद्योग	• विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रखरखाव एवं सर्विसिंग • प्लंबिंग, सिलाई, एसी/मोबाइल रिपेयरिंग जैसी नई गतिविधियाँ

जीवीवाई की प्रमुख गतिविधियों के मुख्य बिंदु और उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:–

1. शहद मिशन

मुख्य विशेषताएं:

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) आधुनिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर और इसे लोकप्रिय बनाकर तथा स्थायी रोजगार और आय सृजित करके अत्यंत दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के उत्थान के उद्देश्य से मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास में लगा हुआ है।
- माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि ***"श्वेतक्रांति के साथ–साथ मीठी क्रांति की भी आवश्यकता है।"*** इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर एमएसएमई मंत्रालय ने शहद मिशन को मंजूरी दी।

उपलब्धियां:

- इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर दिनांक 31–12–2025 तक शहद मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 22,864 मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनियों सहित कुल 2,27,449 मधुमक्खी के छत्ते (बक्से) वितरित किए गए।
- 2024–25 के दौरान, शहद मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 1,795 मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनियों सहित 17,950 मधुमक्खी के छत्ते (बक्से) वितरित किए गए।
- वर्ष 2025–26 के दौरान (दिनांक 31–12–2025 तक) शहद मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 40 मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी कॉलोनियों सहित 400 मधुमक्खी के छत्ते (बक्से) वितरित किए गए।

2. कुम्हार सशक्तीकरण कार्यक्रम

मुख्य विशेषताएं:

- खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने मिट्टी के बर्तन बनाने के काम में संलग्न कुम्हार परिवारों को सशक्त बनाने के लिए अन्य औजारों और उपकरणों के साथ–साथ इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील वितरित किए।

उपलब्धियां:

- इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर दिनांक 31–12–2025 तक कुम्हार सशक्तीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को कुल 43,486 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील और अन्य उपकरण वितरित किए गए और 1,58,776 रोजगार सृजित किए गए।
- वर्ष 2024–25 के दौरान, कुम्हार सशक्तीकरण कार्यक्रम के तहत मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को 8,723 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील और अन्य उपकरण वितरित किए गए और 34,892 रोजगार सृजित किए गए।
- वर्ष 2025–26 के दौरान (दिनांक 31–12–2025 तक), 8,912 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील खरीदे गए, जिनमें से 3,792 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारीगरों को वितरित किए गए।

3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

मुख्य विशेषताएं:

- केवीआईसी का उद्देश्य खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नवाचार, गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देना और उनमें सुधार लाना है, साथ ही ग्रामीण उद्योगों को बाजार की मांग के अनुरूप उचित स्थान दिलाना है।
- केवीआईसी ने गुणवत्ता संबंधी पहलुओं के समाधान और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं तथा आईएसओ 9001–2015 प्रमाणन के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए कड़े प्रयास किए हैं।
- प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियां निरंतर रूप से चल रही हैं और इन्हें लागू किया जा रहा है। इसके तहत प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों के माध्यम से जरूरतमंद संस्थानों को वैज्ञानिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता और उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

उपलब्धियां:

- वर्ष 2024–25 के दौरान, खादी के अंतर्गत 01 अनुसंधान एवं विकास परियोजना और ग्राम उद्योग के अंतर्गत 04 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सहायता प्रदान की गई।
- वर्ष 2025–26 के दौरान (31 मार्च 2026 तक), विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत खादी और ग्राम उद्योग प्रस्ताव के अंतर्गत 13 परियोजनाओं को सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है।

4. क्षमता वर्धन

मुख्य विशेषताएं:

- खादी और ग्रामोद्योग आयोग 35 विभागीय और गैर–विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है। ये प्रशिक्षण केंद्र विभिन्न विषयों यथा साबुन और डिटर्जेंट बनाना, खाद्य पदार्थ, बेकरी उत्पाद, रेडीमेड वस्त्र बनाना, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, मोटर मरम्मत, बाइंडिंग आदि में आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

उपलब्धियां:

- वर्ष 2024–25 के दौरान 93,739 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया गया।
- वर्ष 2025–26 के दौरान (31–12–2025 तक) 44,711 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया।

केवीआईसी द्वारा आयोजित क्षमता वर्धन कार्यक्रम

4.2.9. खादी और ग्रामोद्योग में वृद्धि

खादी और ग्रामोद्योग क्रियाकलाप ग्रामीण और शहरी लोगों के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत हैं, जिनमें देश भर में बड़ी संख्या में विद्यमान कत्तिन, बुनकर और अन्य कारीगर शामिल हैं। वर्ष 2024–25 और 2025–26 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग का तुलनात्मक कार्य–निष्पादन (दिनांक 31.12.2025 तक के वास्तविक आंकड़े) उनकी महत्त्वपूर्ण और निरंतर वृद्धि को दर्शाता है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

खादी और ग्रामोद्योगों का प्रदर्शन

(करोड़ रुपये में और रोजगार (लाख व्यक्तियों में)

क्र. सं.	विवरण	2024 – 25 (पी)	2025 - 26 (दिनांक 31.12.2025 तक की वास्तविक स्थिति)
I	**बिक्री**		
क	**खादी, पॉलीवस्त्र और सौरवस्त्र**	7145.61	6156.71
ख	**ग्राम उद्योग**	163405.76	136387.34
कुल केवीआई बिक्री		**170551.37**	**142544.05**
II	**रोज़गार**		
	खादी, पॉलीवस्त्र और सौरवस्त्र	5.00	5.00

4.2.10. केजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत केवीआईसी को बजटीय सहायता

4.2.10.1. ''खादी ग्रामोद्योग विकास योजना अनुदान'' के रूप में खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों को संचालित करने के लिए आवंटित बजट में निम्नलिखित शामिल हैं:–

- ''खादी विकास योजना (केवीवाई) अनुदान'' के अंतर्गत बजटीय आवंटन केवीवाई घटकों की विभिन्न गतिविधियों के लिए है।
- ''ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) अनुदान'' के अंतर्गत बजटीय आवंटन धनराशि जीवीवाई घटकों की विभिन्न गतिविधियों के लिए है।
- ''खादी अनुदान'' के अंतर्गत बजटीय आवंटन राशि वेतन, यात्रा भत्ता, आकस्मिक व्यय, पेंशन आदि जैसे प्रशासनिक/स्थापना व्यय के लिए होती है।

4.2.10.2. पिछले दो वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बजटीय स्रोतों (खादी ग्रामोद्योग विकास योजना) से उपलब्ध कराई गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में है:–

केजीवीवाई के अंतर्गत केवीआईसी को बजटीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	केजीवीवाई के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा वितरित धनराशि
2023 – 24 (पी)	660.98
2024 – 25 (पी)	842.53
2025 – 26 (दिनांक 31.12.2025 तक)	662.22

4.3. कयर बोर्ड

4.3.1. परिचय

कयर बोर्ड भारत में कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। बोर्ड का मुख्यालय कयर हाउस, एमजी रोड, कोच्चि, केरल में स्थित है। बोर्ड देश के विभिन्न हिस्सों में 24 शोरूम और बिक्री डिपो सहित 45 प्रतिष्ठान संचालित करता है। बोर्ड के अधीन कुल 207 कर्मचारी कार्यरत हैं।

माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने 11 जनवरी 2025 को कोच्चि स्थित कयर बोर्ड मुख्यालय के दौरे के दौरान मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कयर बोर्ड की गतिविधियों की समीक्षा की और कयर संघों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

4.3.2. उद्देश्य

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देना और इस पारंपरिक उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की जीवन स्थितियों में सुधार करना है।

4.3.3. कार्य

कयर बोर्ड के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान करना, उसमें सहायता करना या उसे प्रोत्साहित करना तथा एक या अधिक अनुसंधान संस्थानों का रखरखाव करना और उनके रखरखाव में सहायता करना;
- कयर धागों एवं कयर उत्पादों का निर्यात करना तथा इस प्रयोजन के लिए प्रचार कार्य करना।
- कयर उत्पादों के विनिर्माण के लिए कयर स्पिंडल और करघों तथा कयर उत्पादों के निर्माताओं को पंजीकृत करके भूसी, कयर धागा और कयर उत्पादों के उत्पादन को केंद्र सरकार के पर्यवेक्षण में विनियमित करना, कयर, कयर ध ागा और कयर उत्पादों के निर्यातकों को लाइसेंस देना और निर्धारित किए गए अन्य उचित कदम उठाना।
- कयर फ़ाइबर, कयर यार्न और कयर उत्पादों के भंडारण और बिक्री को विनियमित करने के साथ–साथ आंतरिक बाजार और निर्यात दोनों के लिए रेटिंग स्थानों और गोदामों को लाइसेंस देना।
- कयर उद्योग के विकास से संबंधित सभी मामलों पर परामर्श देना।

4.3.4. भारत में कयर उद्योग

भारत विश्व में कयर और उससे बने उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो कुल उत्पादन का 70% से अधिक हिस्सा

है। भारत में कयर उद्योग बहुत विविध है और इसमें परिवार, सहकारी समितियाँ, गैर–सरकारी संगठन, निर्माता और निर्यातक शामिल हैं। कयर उद्योग में लगभग 7 लाख लोग कार्यरत हैं, जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से आते हैं। कयर उद्योग में काम करने वाले लगभग 80% श्रमिक महिलाएं हैं। केरल में एक पारंपरिक कृषि आधारित उद्योग के रूप में शुरू हुआ कयर उद्योग तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम और त्रिपुरा जैसे अन्य कयर उत्पादक राज्यों में भी फैल चुका है। अपनी समृद्ध विरासत और निर्यात–उन्मुख दृष्टिकोण के साथ, कयर उद्योग में मूल्यवर्धन और तकनीकी प्रगति के माध्यम से विकास की अपार संभावनाएं हैं।

4.3.4.1. पिछले 5 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कयर का निर्यात

वर्ष	मात्रा (मीट्रिक टन)	कीमत (लाख रुपए में)
2020-21	11,63,213	3,77,897.9
2021-22	12,34,855	4,34,005.1
2022-23	12,64,784	3,99,218.0
2023-24	12,32,097	3,39,690.8
2024-25	13,42,843	4,34,345.2
2025-26*	9,69,376	4,18,202.6

** (नवंबर 2025 तक अनंतिम)*

स्रोतः डीजीसीआईएस

4.3.4.2. वर्ष 2025–26 के दौरान भारत से कयर आयात करने वाले शीर्ष 5 देश

क्र. सं	देश	मात्रा (मीट्रिक टन)	प्रतिशत (%)	मूल्य (लाख रुपए में)	प्रतिशत (%)
1	संयुक्त राज्य अमेरिका	1,67,152	12.5	1,06,242	24.5
2	चीन	5,07,669	37.8	95,972	22.1
3	नीदरलैंड्स	95,647	7.1	32,736	7.5
4	स्पेन	65,549	4.9	21,036	4.8
5	यूनाइटेड किंगडम	43,305	3.2	20,729	4.8

स्रोतः डीजीसीआईएस

4.3.4.3. पिछले 5 वर्षों और चालू वर्ष की प्रमुख उपलब्धियाँ:

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
कयर रेशे का उत्पादन (मीट्रिक टन)	7,58,000	7,67,000	7,91,000	7,96,300	8,01,300	6,05,520*
रोज़गार सृजन व्यक्तियों की (संचयी) संख्या	7,40,834	7,43,566	7,47,637	7,50,089	7,51,788	7,53,872*
कयर इकाई की संख्या पंजीकरण (संचयी)	16,706	16,826	17,054	17,221	17,332	17,474*

** (दिसंबर 2025 तक अनंतिम)*

4.3.4.4. पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कयर और कयर से बने उत्पादों के अनुमानित उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है:

वस्तु	2022–23 (मात्रा मीट्रिक टन में)	2023–24 (मात्रा मीट्रिक टन में)	2024–25 (मात्रा मीट्रिक टन में)	2025–26* (मात्रा मीट्रिक टन में)
कयर फाइबर	7,91,000	7,96,300	8,01,300	6,05,520
कयर धागा	4,74,600	4,77,780	4,80,780	3,63,312
कयर उत्पाद	3,13,236	3,15,335	3,17,315	2,39,786
कयर की रस्सी	94,920	95,556	96,156	72,662
कयर कर्ल्ड	94,920	95,556	96,156	72,662
रबरयुक्त कयर	1,18,650	1,19,445	1,20,195	90,828

** (दिसंबर, 2025 तक अनंतिम)*

4.3.5. कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित स्कीमें

4.3.5.1. कयर विकास योजना (सीवीवाई)

कयर बोर्ड देश भर में कयर कारीगरों और कयर उद्योग के सतत विकास, संवर्धन और सहायता करने के उद्देश्य से "कयर विकास योजना (सीवीवाई)" नामक सर्वसमावेशी स्कीम का कार्यान्वयन करता है। कयर विकास योजना को वित्तीय वर्ष 2021–22 से चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए 466.60 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है। सीवीवाई के अंतर्गत किए गए प्रमुख घटक और गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:

4.3.5.2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी

कयर उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए उत्पादकता, गुणवत्ता और उत्पाद विविधता में सुधार लाने हेतु कयर विकास योजना के विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटक को कयर बोर्ड के अनुसंधान संस्थानों – सीसीआरआई, अलाप्पुझा और सीआईसीटी, बेंगलुरु के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। अनुसंधान और विकास प्रयासों का केंद्र बिंदु प्रक्रिया आधुनिकीकरण, मशीनरी और उत्पाद विकास, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियां और प्रौद्योगिकी अंतरण है, जिसमें इनक्यूबेशन, परीक्षण और सहायता सेवाएं शामिल हैं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटक के अंतर्गत प्रमुख पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. सतत ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए कयर आधारित कार्बन सामग्री पर बेंगलुरु के रेवा विश्वविद्यालय के साथ सहयोगात्मक परियोजना।

ii. मिश्रित कयर के रेशों से बने पतले प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए पावर लूम मशीन का विकास।

iii. कम रोएँदार और एकसमान मोटाई वाला धागा बनाने में सक्षम ड्राफ्टिंग तंत्र का उपयोग करने वाली कयर के रेशे से धागा कताई मशीन और लघु टेबलटॉप बुनाई उपकरण।

iv. कयर के रेशे और लिनन मिश्रित गलियारा चटाई का विकास, जिसमें कयर के धागे और किनारे (सेल्वेज) के अपशिष्ट का उपयोग शामिल है।

v. कयर के रेशे से बने जियोटेक्सटाइल से समर्थित फोल्डेबल कुशन मैट।

vi. अमृता विश्वविद्यापीठम के साथ "कयर उत्पादों का जीवन चक्र मूल्यांकन" पर सहयोगात्मक परियोजना।

vii. प्रौद्योगिकी अंतरण, इनक्यूबेशन, परीक्षण और सेवा सुविधाएं।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: 12

प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन: 188

परीक्षण: कयर और कयर से बने उत्पादों के 254 परीक्षण।

बिजली करघा

ड्राफ्टिंग तंत्र का उपयोग करने वाली कताई मशीन

कयर : लिनन मिश्रित गलियारा चटाई

4.3.5.3. कौशल उन्नयन कार्यक्रम और महिला कयर योजना

कौशल विकास कयर बोर्ड का प्रमुख केंद्रबिंदु है और इसे देशभर में स्थित इसके क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। कौशल विकास स्कीम के अंतर्गत, मूल्यवर्धित उत्पादों, महिला कयर योजना (एमसीवाई) के तहत कयर सूत कताई, उद्यमिता विकास और संबंधित प्रचार गतिविधियों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 1,478 कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया और विभिन्न राज्यों में 70 छात्रवृत्ति प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किए गए। वित्तीय वर्ष 2025–26 (31.12.2025 तक) का विवरण निम्नानुसार है:

क) महिला कयर योजना (एमसीवाई)

सन् 1994 से लागू की गई एमसीवाई महिला–केंद्रित स्वरोजगार स्कीम है जिसका उद्देश्य मोटरयुक्त चक्कियों पर घरेलू स्तर पर कयर यार्न की कताई के माध्यम से स्थायी ग्रामीण आजीविका प्रदान करना है। इस स्कीम ने महिला कारीगरों की उत्पादकता, गुणवत्ता, कार्य परिस्थितियों और आय स्तर में सुधार किया है। दो महीने का यह प्रशिक्षण मानदेय सहित है और रिपोर्ट की अवधि के दौरान 635 महिला कारीगरों को प्रशिक्षित किया गया।

ख) **मूल्यवर्धित उत्पादों (वीएपी) के विनिर्माण में प्रशिक्षण** – रिपोर्ट की अवधि के दौरान, बोर्ड ने 792 कयर कारीगरों को मूल्यवर्धित उत्पादों के विनिर्माण संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया है।

ग) **उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी):** कयर उत्पादों के क्षेत्र में उद्यमियों के लाभ के लिए तीन दिवसीय ईडीपी आयोजित किए जाते हैं, ताकि वे संसाधन प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, उत्पादकता और लाभप्रदता जैसे प्रमुख पहलुओं की निगरानी करके अपने प्रतिष्ठान को सुचारू और प्रभावी ढंग से चला सकें। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, बोर्ड ने अपने अधीन क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से 24 ईडीपी आयोजित किए हैं।

घ) **राष्ट्रीय/ राज्य/ क्षेत्रीय स्तर का सेमिनार** –कयर उद्योग से संबंधित विषयों पर राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर सेमिनार आयोजित किए गए, जिनमें कयर बोर्ड की सीवीवाई, पीएमईजीपी, एसएफआरटीआई जैसी स्कीमें और संबंधित प्रौद्योगिकियां शामिल थीं। रिपोर्ट की अवधि के दौरान, बोर्ड ने तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से छह सेमिनार आयोजित किए।

ड.) **विगोपन दौरा:** भावी उद्यमियों और कारीगरों को कयर इकाइयों के कामकाज और कयर तथा कयर से बने उत्पादों के निर्माण की विविध विधियों से परिचित कराने के लिए विगोपन दौरा आयोजित किए गए और रिपोर्ट की अवधि के दौरान चार दौरे आयोजित किए गए।

च) **जागरूकता कार्यक्रम:** रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आयोजित 28 जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से कयर बोर्ड और एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों और सेवाओं के बारे में जानकारी, जिसमें पात्रता मानदंड भी शामिल हैं, का प्रसार किया गया।

4.3.5.4. निर्यात बाजार संवर्धन

कयर बोर्ड वैश्विक बाजारों में भारतीय कयर उत्पादों को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य लघु निर्यातकों को सशक्त बनाना और इस पर्यावरण–अनुकूल प्राकृतिक फाइबर की निर्यात क्षमता का विस्तार करना है। इसकी प्रमुख गतिविधियों में कयर निर्यातकों का पंजीकरण, अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में कयर आधारित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भागीदारी को सुगम बनाना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना के तहत सहायता प्रदान करना और उत्कृष्टता को मान्यता देने के लिए कयर उद्योग पुरस्कार प्रदान करना शामिल हैं। इन पहलों के माध्यम से, बोर्ड एमएसएमई को वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है और कयर को सिंथेटिक सामग्रियों के एक स्थायी विकल्प के रूप में स्थापित करता है।

इस अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियाँ:

1. वर्ष 2025 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियाँ जिनमें कयर बोर्ड ने भाग लिया:

i	**गार्डेक्स–2025** –कयर बोर्ड ने 1 से 3 अक्तूबर 2025 तक जापान के चिबा में आयोजित गार्डेक्स–2025 में भारत की भागीदारी का आयोजन किया। भारतीय कयर पवेलियन का उद्घाटन टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास के चार्ज डी'अफेयर्स श्री आर. मधुसूदन ने किया, जिन्होंने सतत प्राकृतिक फाइबर उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने की सराहना की और निर्यात पहुंच और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कार्यनीतिक सुझाव दिए।
ii.	**37वीं सहारा प्रदर्शनी 2025, मिस्र** –कयर बोर्ड ने 14–16 सितंबर 2025 को काहिरा स्थित मिस्र अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित 37वीं सहारा प्रदर्शनी में 11 अन्य सह–प्रदर्शकों के साथ भाग लिया। मिस्र के कृषि और भूमि सुधार मंत्री महामहिम अला फारूक ने निर्यातकों से बातचीत की और ग्रीनहाउस खेती में कॉयर पिथ और ग्रो बैग के उपयोग में गहरी रुचि व्यक्त की। चर्चाओं में संधारणीयता, जल संरक्षण, उत्पादकता और भूमि सुधार में कयर उत्पादों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

iii.	**अंतरराष्ट्रीय पुष्पकृषि व्यापार मेला (आईएफटीएफ)** –कयर बोर्ड ने अपने तत्त्वावधान में बारह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के साथ नीदरलैंड्स में 1–4 नवंबर 2025 तक आयोजित आईएफटीएफ–2025 में भागीदारी का आयोजन किया। कयर बोर्ड की जोनल निदेशक श्रीमती गीता भोइर के नेतृत्व में, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कृषि और बागवानी अनुप्रयोगों के लिए अभिनव कयर उत्पादों का प्रदर्शन किया, जिनमें मिट्टी के कटाव को रोकने वाली चटाइयाँ, कयर जियोटेक्सटाइल, प्लांटर्स और अन्य जैव–आधारित लैंडस्केपिंग उत्पाद शामिल हैं।

2. **आईसी स्कीम के अनुसार बाजार विकास सहायता (एमडीए):** 36 सह–प्रदर्शकों को 1.60 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई।

3. **निर्यातकों का पंजीकरण:** 132

4. **पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण–पत्र (आरसीएमसी) जारी करना:** 132

5. **निर्यात पंजीकरण/आरसीएमसी के नवीनीकरण (संशोधन/अनुमोदन) से संबंधित मुद्दे** – 197

4.3.5.5. घरेलू बाजार संवर्धन

घरेलू बाजार संवर्धन का उद्देश्य बोर्ड के शोरूमों और बिक्री केंद्रों के माध्यम से कयर से बने उत्पादों की बिक्री बढ़ाना और देश भर में प्रदर्शनियों में भाग लेकर कयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाना है। इसमें ऑडियो–विजुअल मीडिया के माध्यम से प्रचार, बिक्री अभियान, ब्रोशर और पैम्फलेट का वितरण, होर्डिंग लगाना और अन्य प्रचार गतिविधियां भी शामिल हैं।

आईआईटीएफ 2025, पीएम विश्वकर्मा और राष्ट्रीय एससी–एसटी हब सम्मेलन, ओडिशा में भागीदारी के अलावा, बोर्ड ने एमएसएमई औद्योगिक एक्सपो 2025 सहित अन्य विभिन्न प्रदर्शनियों में भी भाग लिया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

एमएसएमई औद्योगिक एक्सपो 2025 –बोर्ड ने 18–20 अप्रैल 2025 को राजस्थान के कोटा में आयोजित एमएसएमई औद्योगिक एक्सपो 2025 में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया और इसमें एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे, राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर और राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर उपस्थित रहे।

बोर्ड द्वारा भाग लिए गए विशेष आयोजनों का विवरण रिपोर्ट के अध्याय 2 में "वर्ष के दौरान विशेष आयोजन" शीर्षक वाले खंड में दिया गया है।

4.3.6. एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कयर बोर्ड को बजटीय सहायता

कयर बोर्ड को प्रदान की गई बजटीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है:

कयर बोर्ड को बजटीय सहायता		
वर्ष	आवंटन (संशोधित अनुमान) (करोड़ रुपए में)	जारी की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
	योजना	योजना
2021-22	80.00	79.81
2022-23	87.14	87.14
2023-24	92.15	92.15
2024-25	75.10	74.48
2025-26	104.39 (बीई)	57.89*

** दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार जारी।*

4.4. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड

4.4.1 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अधीनस्थ आईएसओ 9001–2015 प्रमाणित उद्यम है। एनएसआईसी देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने के लिए काम कर रहा है।

माननीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने महाराष्ट्र में एमएसएमई पहलों की समीक्षा करने के लिए मुंबई स्थित एनएसआईसी का दौरा किया। उन्होंने एनएसआईसी और राष्ट्रीय एससी–एसटी हब के प्रयासों की सराहना की और सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। इस वार्ता में एनएसआईसी, एनएसएसएच और एमएसएमई मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

4.4.2. उद्देश्य

मिशनः विपणन, वित्त, प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं सहित एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करके एमएसएमई को बढ़ावा देना और उन्हें सहायता प्रदान करना।

विज़नः देश में एमएसएमई के विकास को बढ़ावा देने वाली अग्रणी संस्था बनना।

4.4.3. संगठन

एनएसआईसी का संचालन एक बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसके सदस्य अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक होते हैं। निगम देशव्यापी कार्यालयों, 8 तकनीकी सेवा केंद्रों और प्रशिक्षण–सह–इनक्यूबेशन केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, जो उद्यमों को संपूर्ण सहायता प्रदान करता है।

4.4.4. प्रचालन प्रदर्शनः

क) कच्चे माल का वितरण (आरएमडी)

एनएसआईसी थोक विनिर्माताओं और क्षेत्रीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से एमएसएमई को कच्चे माल की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करता है, जिससे लागत दक्षता और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

- 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान, एनएसआईसी ने एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए क्षेत्रीय उत्पादकों/स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ 20 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। एनएसआईसी ने प्रतिष्ठित स्थानीय विनिर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के सहयोग से एमएसएमई को अनुकूलित इस्पात सामग्री का वितरण शुरू किया है, जिससे महत्त्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हैं।
- इस अवधि के दौरान, वितरित कच्चे माल की मात्रा 3,64,374.60 मीट्रिक टन थी, जो 3,089.13 करोड़ रुपए के समतुल्य थी।

ख) ऋण सहायता

एनएसआईसी कच्चे माल की खरीद और व्यापार प्राप्य राशियों के लिए बैंक गारंटी समर्थित तंत्रों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है।

- 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान, बैंकों के साथ 9 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- 2,482 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को कच्चे माल सहायता (आरएमए) के अंतर्गत 8,656.56 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है।

ग) बिल छूट स्कीम

एनएसआईसी प्रतिष्ठित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों, केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विनिर्माण या सेवाओं में लगी पात्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के साथ वास्तविक व्यापारिक लेनदेन से उत्पन्न बिलों को डिस्काउंट करके एमएसएमई को समय पर नकदी की सुविधा प्रदान करता है।

- 1 जनवरी, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 की अवधि के दौरान, कुल 87.79 करोड़ रुपये के बिल को बैंक गारंटी के बदले छूट दी गई।
- रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान, एनएसआईसी ने ट्रेंड्स के अंतर्गत 83.34 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की।

घ) एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र

एनएसआईसी, ओखला (नई दिल्ली), हैदराबाद, हावड़ा, राजकोट, चेन्नई, राजपुरा, अलीगढ़ और नीमका स्थित अपने आठ एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्रों (एनटीएससी) के माध्यम से एमएसएमई को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

i. मांग आधारित–उच्च कौशल और पारंपरिक व्यवसायों के क्षेत्रों में उद्योग केंद्रित प्रशिक्षण।

ii. एनएसबीएल से मान्यता प्राप्त और बीआईएस द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से पारंपरिक से लेकर हाई–टेक मशीनों और परीक्षण सुविधाओं पर तकनीकी परामर्श और कार्य संबंधी सामान्य सुविधा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

ड.) कौशल विकास

एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र पारंपरिक से लेकर अत्याधुनिक मशीनरी और उपकरणों का उपयोग करते हुए कई विषयों में नौकरी–उन्मुख, उद्योग–प्रेरित कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान, 86,098 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया, जिससे 24.44 करोड़ रुपये का राजस्व सृजित हुआ।

च) एमएसएमई के लिए ई–मार्केटिंग/डिजिटल सेवाओं की सुविधा प्रदान करना

एनएसआईसी, एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल (www.msmemart.com) के माध्यम से एमएसएमई के लिए ई–मार्केटिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे बेहतर बाजार पहुंच मिलती है। रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान, 10,905 एमएसएमई को पोर्टल से जोड़ा गया, जिससे 5.78 करोड़ रुपये का राजस्व लाभ हुआ।

4.4.5. कॉर्पोरेट प्रदर्शन

(करोड़ रु. में)

विवरण	2024-25	2025-26 (31 दिसंबर 2025 तक)
परिचालन से राजस्व	3431.20	2699.70
कर पूर्व लाभ	196.17	138.90
कर के बाद लाभ	146.30	103.92
निवल मूल्य	1226.24	1521.84

4.4.6. प्रमुख उपलब्धियाँ

- वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, एनएसआईसी ने भारत सरकार को अब तक का सबसे अधिक लाभांश (वित्तीय वर्ष 24–25) 43.89 करोड़ रुपये का भुगतान किया।

एनएसआईसी के सीएमडी ने माननीय एमएसएमई मंत्री,श्री जीतन राम मांझी और माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे को वित्त वर्ष 2024–25 के लिए 43.89 करोड़ रुपये का अब तक का सबसे बड़ा लाभांश चेक प्रस्तुत किया।

- वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान, एनएसआईसी ने वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग से समझौता ज्ञापन (एमओयू) की "उत्कृष्ट" रेटिंग प्राप्त की।

- **चेन्नई के एनटीएससी में अत्याधुनिक टूल रूम का उद्घाटनः** चेन्नई स्थित एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र (एनटीएससी) में अत्याधुनिक टूल रूम का उद्घाटन किया गया। यह टूल रूम उन्नत विनिर्माण और सटीक इंजीनियरिंग में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहयोग प्रदान करने, कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराने और सीएनसी मशीन, एचएमसी, सीएमएम, लेजर वेल्डिंग, सीएडी/सीएएम, 3डी प्रिंटिंग और एआई/एमएल समाधान जैसी आधुनिक तकनीकों तक पहुंच प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

एनएसएसएच के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के परामर्श से अनेक उप–स्कीमें आरंभ की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

4.5. राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई–एमएसएमई)

निम्समे की स्थापना मूल रूप से केंद्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (सीआईईटीआई) के रूप में 1960 में नई दिल्ली में तत्कालीन उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन की गई थी। संस्थान को 1962 में हैदराबाद में स्थानांतरित कर दिया गया और इसे लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईटी) के नाम से एक पंजीकृत संस्था के रूप में स्थापित किया गया।

एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के लागू होने के साथ ही संस्थान ने अपने उद्देश्यों का दायरा बढ़ाया और अपनी संगठनात्मक संरचना को पुनर्परिभाषित किया। नए अधिनियम के अनुरूप, संस्थान का पुनर्गठन करके इसे राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) के रूप में नामित किया गया।

4.5.1. उद्देश्य

निम्समे मुख्य रूप से मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षक के रूप में कार्य करता है। प्रौद्योगिकी और बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप, इसने अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए परामर्श, अनुसंधान, शिक्षा, विस्तार और सूचना सेवाओं को भी शामिल किया है।

औद्योगिक और आर्थिक विकास के राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप, संस्थान निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है: नवाचार और इनक्यूबेशन, उद्यमिता, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन और हस्तांतरण, नीतिगत समर्थन, गैर सरकारी संगठनों का नेटवर्क, पर्यावरणीय स्थिरता, क्लस्टर विकास, प्रबंधन परामर्श, गुणवत्तापूर्ण सेवाएं, डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांडिंग, वित्तीय सेवाएं और सूचना सेवाएं।

4.5.2. कार्य

निम्समे का मुख्य केंद्र उद्यम प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास होने के कारण संस्थान की दक्षताएँ निम्नलिखित पहलुओं पर केंद्रित हैं:

- सूचना प्रौद्योगिकी में नए क्षेत्रों का प्रशिक्षण
- सम्मेलनों, सेमिनारों आदि के माध्यम से सामयिक मुद्दों पर प्रकाश डालना
- आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना
- कार्यक्रम मूल्यांकन
- नीति निर्माण हेतु नैदानिक एवं विकासात्मक अध्ययन; और
- सूक्ष्म उद्यमों के सृजन के माध्यम से वंचितों को सशक्त बनाना

4.5.3. संगठन

संस्थान का संचालन एक शासी परिषद द्वारा किया जाता है, जिसमें एमएसएमई मंत्रालय के माननीय मंत्री अध्यक्ष और चेयरमैन हैं, तथा एमएसएमई मंत्रालय के सचिव उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के चेयरमैन हैं। दैनिक कार्यों का प्रबंधन महानिदेशक द्वारा किया जाता है।

गतिविधियाँ चार उत्कृष्टता विद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं–उद्यम विकास, उद्यम प्रबंधन, उद्यमिता

एवं विस्तार, और उद्यम सूचना एवं संचार–जिनमें से प्रत्येक में विषय–केंद्रित केंद्र और प्रकोष्ठ शामिल हैं। अकादमिक परिषद अकादमिक कार्यक्रमों का समन्वय और पर्यवेक्षण करती है, मूल्यांकन के लिए मानदंड निर्धारित करती है और प्रासंगिक विविधताओं को ध्यान में रखती है।

4.5.4. प्रमुख गतिविधियाँ और उपलब्धियाँ

1962 से राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) एमएसएमई के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श के क्षेत्र में अग्रणी रहा है जो विकास, नवाचार और संधारणीयता को बढ़ावा देता है। अप्रैल–दिसंबर 2025 के बीच, संस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों के 20,421 प्रतिभागियों के लिए 607 क्षमता–वर्धन कार्यक्रम आयोजित किए।

मुख्य विशेषताएं:

क) माननीय एमएसएमई मंत्री का निम्समे दौरा:

माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने दिनांक 27 मई, 2025 को निम्समे का दौरा किया और परिसर में पुनर्निर्मित "चिकनकारी" गेस्ट हाउस (ब्लॉक–सी) का उद्घाटन किया, जिसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को ठहराने के लिए स्तरोन्नत किया गया है।

इस दौरे के दौरान, एनएसआईसी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए राज्य स्तरीय विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) का आयोजन किया गया, जिसमें अन्य के साथ–साथ बीएचईएल, एचपीसीएल, एचएएल आदि के 120 उद्यमियों और सीपीएसई के खरीद प्रमुखों ने भाग लिया। माननीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विक्रेता विकास अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए खरीद के अवसरों को खोलने का एक कार्यनीतिक साधन है।

ख) अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम और प्रतिनिधिमंडल के दौरे:

i. **भारत–डेनमार्क सहयोग:** डेनिश पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय (डीकेपीटीओ) के साथ भौगोलिक संकेत और बौद्धिक संपदा पर अप्रैल में आयोजित एक कार्यशाला के साथ इसकी शुरुआत हुई; दिसंबर में, एक संयुक्त कार्य समूह ने पूरे भारत में बौद्धिक संपदा सुविधा को संस्थागत रूप देने के लिए मानक प्रक्रियाओं (एसओपी) को अंतिम रूप दिया।

ii. **ग्रीन ट्रांजिशन और ईवी सेक्टर:** मेंटर टू इम्पैक्ट के सहयोग से निम्समे ने ईवी कौशल विकास पर 10 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण के लिए 13 सदस्यीय डेनिश प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की, जिसमें दोष निदान, बैटरी रखरखाव और वाहन परीक्षण शामिल थे।

निम्समे और मेंटर टू इम्पैक्ट द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में सहयोगात्मक कौशल विकास पहल

iii. खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ मिलकर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, अफ्रीका और प्रशांत द्वीप समूह (फिजी, समोआ, सोलोमन द्वीप समूह) के प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी की, ताकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, बौद्धिक संपदा के व्यावसायीकरण और कृषि उद्यम प्रोत्साहन के लिए भारत के मॉडलों को साझा किया जा सके।

iv. **संधारणीयता और जलवायु कार्रवाई:** नवंबर में ऊर्जा–कुशल औद्योगिक बॉयलरों पर राष्ट्रीय हितधारक परामर्श के लिए यूनिडो और जीएफ के साथ साझेदारी की गई, ताकि एमएसएमई क्षेत्र के कार्बन पदचिह्न को कम करने में निम्समे की भूमिका को सुदृढ़ किया जा सके।

ग) अखिल भारतीय रैंप पहल

एमएसएमई कार्य–निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) स्कीम के अंतर्गत, निम्समे ने बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और असम में राष्ट्रव्यापी क्षमता वर्धन और कौशल विकास कार्यक्रम लागू किए। इसका मुख्य उद्देश्य संस्थागत सुदृढ़ीकरण, जमीनी स्तर पर कौशल विकास और बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता बढ़ाना था तथा केंद्रीय नीति को राज्य स्तर पर क्रियान्वयन से जोड़ना था।

घ) एटीआई स्कीमः कौशल विकास से आजीविका

निम्समे ने साइबर सुरक्षा, एआई और डिजिटल मार्केटिंग जैसे उच्च–विकास वाले क्षेत्रों में उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रमों (ईएसडीपी) के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) स्कीम को कार्यान्वित किया। प्रमुख पहलों में शामिल थेः

- रोजगार मेला (अप्रैल 2025): प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी देने के लिए 22 कंपनियों ने भाग लिया।
- ऋण मेला (जुलाई 2025): सात बैंकों के माध्यम से 170 प्रतिभागियों के लिए ऋण तक पहुंच को सुगम बनाया गया। 340 से अधिक लाभार्थियों ने प्रशिक्षुओं से उद्यमियों में परिवर्तित होकर एक समग्र कौशल–से–आजीविका पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया।

ङ.) उद्यम विकास के लिए कार्यनीतिक गठबंधन

वर्ष 2025 में, निम्समे ने आंध्र प्रदेश एमएसएमई विकास निगम (एपीएमएसएमईडीसी), मेघालय राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एमएसआरएलएम) स्टेट बैंक अकादमी (एसबीए) और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई) सहित प्रमुख राज्य एजेंसियों के साथ कार्यनीतिक समझौता ज्ञापनों को औपचारिक रूप देकर एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन केंद्र के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत किया। इन समझौतों ने एसवीईपी संचालन की शुरुआत की और क्षमता वर्धन पहलों को संरचित किया, जिससे सतत ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिला और आदिवासी समुदायों को आर्थिक मुख्यधारा में एकीकृत किया गया। इन साझेदारियों के माध्यम से, निम्समे ने केंद्र के अधिदेशों को राज्य–स्तरीय कार्यान्वयन से प्रभावी ढंग से जोड़ा और उद्यम विकास फ्रेमवर्क को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला।

एपीएमएसएमईडीसी के साथ समझौता ज्ञापन

एसबीए के साथ समझौता ज्ञापन

च) बौद्धिक संपदा सुविधा

बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र (आईपीएफसी) ने वित्त वर्ष 2025–26 (31 दिसंबर तक) में 17 डिजाइन पंजीकरण, 23 पेटेंट आवेदन और 52 ट्रेडमार्क के साथ जमीनी स्तर पर नवाचार को सक्षम बनाया, जिससे स्थानीय आईपी संपत्तियों के वाणिज्यीकरण में सहायता मिली।

छ) एफएसएसएआई की 'ईट राइट कैंपस' रेटिंग में 5 स्टार रेटिंग

निम्समे को 6 अगस्त, 2025 को एफएसएसएआई से 'ईट राइट कैंपस' प्रमाणन प्राप्त हुआ, जो कर्मचारियों, प्रशिक्षुओं और प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और सतत खाद्य विकल्पों के प्रति इसकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

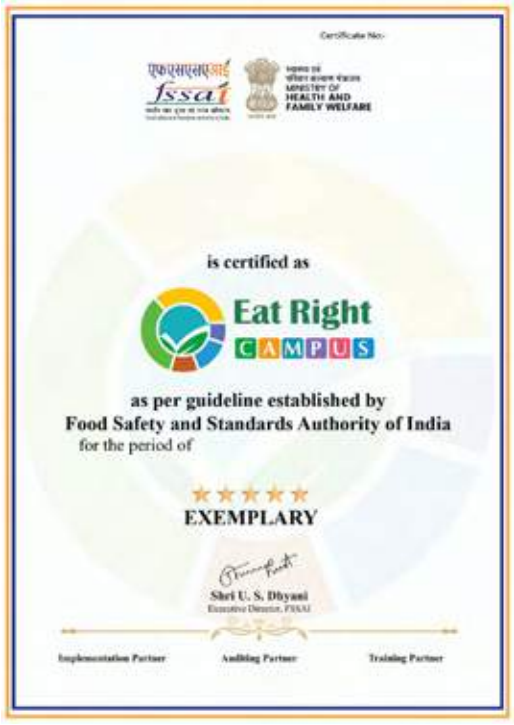

4.6 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)

4.6.1 महात्मा गांधी ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1934 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले के मगनवाड़ी में अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संघ (एआईवीआईए) की शुरुआत की थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के अंतर्गत एवीआईए के क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए वर्ष 1955 में जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (जेबीसीआरआई) की स्थापना की गई। वर्ष 2001 से 2008 के बीच, आईआईटी दिल्ली और केवीआईसी के सहयोग से जेबीसीआरआई का पुनरूद्धार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) की स्थापना हुई। एमगिरी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में वर्धा जिले के मगनवाड़ी में स्थापित किया गया तथा इसने वर्ष 2008 से स्वायत्त रूप से कार्य करना शुरू कर दिया।

माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने वर्धा स्थित एमगिरी की 12वीं आम परिषद (जीसी) की बैठक की अध्यक्षता की।

4.6.2. उद्देश्यः

संस्थान के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताए गए मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सतत ग्राम अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण को गति प्रदान करना, ताकि केवीआई क्षेत्र मुख्यधारा के साथ सह–अस्तित्व में रह सके
- ग्राम स्वराज में पेशेवरों और विशेषज्ञों को आकर्षित करना
- परंपरागत कारीगरों को सशक्त बनाना
- प्रायोगिक अध्ययन/क्षेत्रीय परीक्षणों के माध्यम से नवाचार
- स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान और विकास

4.6.3. कार्यः

एमगिरी के क्रियाकलापों का प्रचालन इसके छह विभागों द्वारा किया जा रहा है, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व वरिष्ठ वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद् कर रहे हैं।

i. **ग्रामीण रसायन उद्योग प्रभागः** इस प्रभाग का मुख्य उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खाद्य पदार्थों और ग्रामीण रसायन उद्योगों के अन्य उत्पादों के क्षेत्र में गुणवत्ता के प्रति जागरूकता और एकरूपता को बढ़ावा देना है। यह प्रभाग व्यापक गुणवत्ता परीक्षण सहायता भी प्रदान करता है और इस क्षेत्र में कुटीर और लघु इकाइयों की सुविधा के लिए उपयोगी किट, तकनीक और प्रौद्योगिकी विकसित करने की दिशा में कार्यरत है।

ii. **खादी एवं वस्त्र प्रभागः** इस प्रभाग के मुख्य क्रियाकलापों का उद्देश्य नई तकनीकों का कार्यान्वयन करके और गुणवत्ता आश्वासन सहायता प्रदान करके खादी संस्थानों में निर्मित उत्पादों की उत्पादकता, मूल्यवर्धन और गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों और विधियों को बढ़ावा देने की दिशा में भी कार्य करता है।

iii. **जैव–प्रसंस्करण एवं हर्बल प्रभागः** एमगिरी के इस प्रभाग ने ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए जैविक खाद, जैव–उर्वरक और जैव–कीटनाशकों के उत्पादन और उपयोग को सुगम बनाने हेतु प्रौद्योगिकी पैकेज और सरल गुणवत्ता आश्वासन विधियाँ तैयार की हैं। यह प्रभाग पंचगव्य का उपयोग करके नए फार्मूलेशन विकसित करने और उनकी गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं एवं सुविधाओं को विकसित करने के लिए भी प्रयासरत है।

iv. **ग्रामीण ऊर्जा एवं अवसंरचना प्रभागः** इस प्रभाग को ग्रामीण उद्योगों को सुगम बनाने के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ता के अनुकूल और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और साथ ही पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों का ऑडिट करने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि उन्हें ऊर्जा कुशल बनाया जा सके।

v. **ग्रामीण शिल्प एवं अभियांत्रिकी प्रभागः** इस प्रभाग को ग्रामीण उद्योगों को सुगम बनाने के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करते हुए उपयोगकर्ता के अनुकूल और लागत प्रभावी प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और साथ ही पारंपरिक ग्रामीण उद्योगों का ऑडिट करने का दायित्व सौंपा गया है, ताकि उन्हें ऊर्जा कुशल बनाया जा सके।

vi. **प्रबंधन एवं प्रणाली प्रभागः** यह प्रभाग ग्रामीण उद्योगों को उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उद्देश्य से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रदान करता है।

4.6.4. संगठनः

एमगिरी की एक आम परिषद (जीसी) है, जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री हैं, और एक कार्यकारी परिषद (ईसी) है, जिसके अध्यक्ष भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के सचिव हैं। संस्थान के निदेशक जीसी और ईसी दोनों के सदस्य सचिव हैं।

माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने एमगिरी के पुनरुद्धार कार्यों की समीक्षा के लिए एमगिरी, वर्धा का दौरा किया और कारीगर परिसर और ग्रामोद्योग विरासत वॉक की आधारशिला रखी।

4.6.5. प्रमुख पहलें

i. एमगिरी ने ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के लिए 9 नए उत्पाद विकसित किए हैं (जैसे, एसएलईएस/एओएस मुक्त टॉयलेट क्लीनर, अपशिष्ट प्लास्टिक ईंधन उद्योग से स्नेहक (ग्रीस), 4 अभिनव वस्त्र डिजाइन, पेक्टिन निष्कर्षण पायलट प्लांट, एसेंशियल ऑयल डीप, संतरे के छिलके की चाय की थैली)।

ii. एमगिरी ने ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के लिए 7 नई मशीनें/प्रक्रियाएं यथा सीबुकथॉर्न कटाई उपकरण, बॉक्स प्रकार का चारकोल पायरोलाइजर, बायोमास आधारित सैनिटरी पैड भस्मक, लाख शिल्प क्षेत्र के लिए इलेक्ट्रिक सिगड़ी, लोहार के लिए सौर ऊर्जा संचालित वर्कस्टेशन, पोर्टेबल सौर ऊर्जा संचालित बैटरी चार्जिंग यूनिट और स्मार्ट रिमोट मधुमक्खी छत्ता निगरानी प्रणाली विकसित की हैं।

iii. एमगिरी ने संस्थानों, उद्यमियों, छात्रों, किसानों आदि जैसी 61 एजेंसियों को विभिन्न उत्पाद/मानदंड नमूनों के लिए गुणवत्ता परीक्षण और मार्गदर्शन सेवाएं प्रदान की हैं, ताकि भारतीय मानकों के अनुसार उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर उसे बनाए रखा जा सके और उत्पादों में पोषक तत्वों की मात्रा का निर्धारण किया जा सके।

iv. एमगिरी ने राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों के सहयोग से 'उन्नत हस्तचालित चरखे की डिजाइन और विकासः भावी राह' और 'एमगिरी प्रौद्योगिकियों के प्रसार पर राष्ट्रीय स्तर की हितधारक बैठक' नामक 2 प्रमुख राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया।

4.6.6. आधारभूत संरचना के विकास हेतु वर्ष 2025–26 में एमगिरी के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाएं

क्रमांक	वर्ष	परियोजना का नाम	बजट स्वीकृति (करोड़ रुपये में)
1	2025-26	ग्रामीण औद्योगीकरण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में एमगिरी का विकास	43.6
2	2025-26	एमगिरी वर्धा में अवसंरचना का निर्माण और विकास	32.94

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की उपस्थिति में 18 अप्रैल, 2025 को नागपुर के निकट धापेवाड़ा गांव में स्थित 'भक्ति फार्म्स' में एमगिरी द्वारा एक अभिनव ड्रम–प्रकार और बॉक्स–प्रकार की पोर्टेबल ट्रैक्टर पर लगी कपास के डंठल से बायोमास चारकोल प्रणाली स्थापित की गई।

4.6.7. एमगिरी को बजटीय सहायता

एमएसएमई मंत्रालय एमगिरी को उसके क्रियाकलापों के संचालन के लिए निधि उपलब्ध कराता है। विगत दो वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एमगिरी को उपलब्ध कराई गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(लाख रु. में)

वर्ष	मंत्रालय द्वारा संवितरित निधि
2023-24	1275.72
2024-25	1639.00
2025-26 (31.12.2025 की स्थिति के अनुसार)	3856.70

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
भारत सरकार

अध्याय 5

प्रमुख स्कीमें, कार्यक्रम और पहलें

प्रस्तावना

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक विकास के आधार के रूप में कार्य करते हैं, जो रोजगार सृजन, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, सरकार ने इस क्षेत्र की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई पहलें की हैं। ये पहलें **ऋण और वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, अवसंरचना विकास, विपणन सहायता, प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन तथा अन्य** सेवाओं सहित महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इसके साथ ही, इन स्कीमों का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देकर, प्रतिस्पर्धा में सुधार करके और सतत विकास सुनिश्चित करके एमएसएमई को सुदृढ़ बनाना है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान सशक्त हो सके। एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों की विस्तृत सूची का ब्यौरा निम्नानुसार है:

5.1. ऋण और वित्तीय सहायता

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के विकास और सततता लिए किफायती तथा पर्याप्त ऋण की उपलब्धता आवश्यक है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई स्कीमें शुरू की हैं, जिससे वे अपनी प्रचालन और विस्तार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इस विषय के अंतर्गत आने वाली प्रमुख स्कीमों का विवरण निम्नानुसार है:

5.1.1. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम

सितंबर, 2023 में 13,000 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक परिव्यय के साथ शुरू की गई 'पीएम विश्वकर्मा' स्कीम का उद्देश्य कारीगरों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाना और उन्हें घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना है। यह स्कीम कारीगरों को मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने, उनके व्यापार, सामाजिक–आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समग्र सहायता प्रदान करती है।

उद्देश्य:

- 18 ट्रेड के अंतर्गत कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करना, ताकि वे इस स्कीम के अंतर्गत सभी लाभ प्राप्त करने के पात्र बन सकें।
- कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना और उन्हें प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना।
- क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना।

- लाभार्थियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराना और ब्याज छूट देकर ऋण की लागत को कम करना।
- विश्वकर्माओं के डिजिटल सशक्तीकरण को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करना।
- ब्रांड प्रचार और बाजार संपर्क के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना, ताकि उन्हें विकास के नए अवसर प्राप्त करने में सहायता प्राप्त हो सके।

मुख्य विशेषताएं:

यह स्कीम कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करती है:

- **मान्यता:** पीएम विश्वकर्मा प्रमाण–पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता।
- **कौशल उन्नयन:** 5–7 दिनों का मूल प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, जिसमें प्रतिदिन 500 रुपये का वजीफा मिलेगा।
- **टूलकिट प्रोत्साहन:** मूलभूत कौशल प्रशिक्षण के प्रारंभ में ई–वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन।
- **ऋण सहायता:** भारत सरकार की 8% तक की छूट सहित, 5% रियायती ब्याज दर पर, 18 माह एवं 30 माह की पुनर्भुगतान अवधि के साथ क्रमशः 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये की दो किस्तों में 3 लाख रुपये तक का संपार्श्विक मुक्त 'उद्यमी विकास ऋण' प्रदान करना। बेसिक प्रशिक्षण पूरा करने वाले लाभार्थी 1 लाख रुपये तक की ऋण सहायता की पहली किस्त का लाभ उठाने के पात्र होंगे। दूसरी ऋण किश्त उन लाभार्थियों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने पहली किश्त प्राप्त कर ली है और एक मानक ऋण खाता बनाए रखा है तथा अपने व्यवसाय में डिजिटल लेनदेन को अपनाया है या उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है।
- **डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन:** प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए लाभार्थी के खाते में प्रति डिजिटल लेनदेन 1 रुपये की राशि, अधिकतम 100 मासिक लेनदेन तक जमा की जाएगी।
- **विपणन सहायता:** कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, जेम जैसे ई–कॉमर्स प्लेटफार्मों पर ऑनबोर्डिंग, विज्ञापन, प्रचार और मूल्य श्रृंखला से जुड़ाव में सुधार के लिए अन्य विपणन गतिविधियों के रूप में विपणन सहायता प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थियों को उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म पर उद्यम के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

उपलब्धियाँ

- **पंजीकरण:**
  - वित्त वर्ष 2023–24 से वित्त वर्ष 2027–28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत 30 लाख पंजीकरणों के लक्ष्य के मुकाबले, स्कीम ने लागू होने के मात्र 2 वर्ष के भीतर ही सफलतापूर्वक 30 लाख लाभार्थियों का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है।

➢ **कौशल उन्नयनः**

- 23.19 लाख लाभार्थियों ने बुनियादी कौशल प्रशिक्षण पूरा कर लिया है।

➢ **टूलकिट ई–वाउचरः**

- 23.19 लाख लाभार्थी को टूलकिट के लिए ई–वाउचर जारी कर दिए गए हैं।

➢ **संपार्श्विक मुक्त रियायती ऋणः**

- 5.31 लाख लाभार्थियों को रियायती ब्याज दर पर बिना किसी गारंटी के ऋण के रूप में 4578.40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।

➢ **डिजिटल प्रोत्साहनः**

- 8.85 लाख लाभार्थी डिजिटल रूप से सक्षम हैं।

➢ **विपणन सहायताः**

विश्वकर्मा के उत्पादों को ओएनडीसी, जेम, फैबइंडिया, मीशो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और विभिन्न प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों आदि के माध्यम से विपणन सहायता प्रदान करना। प्रारंभ से लेकर वित्त वर्ष 2025–26 तक संचालित विभिन्न विपणन क्रियाकलापों के अंतर्गत हुई प्रगति निम्नानुसार हैः

- **विपणन सहायता के लिए सूचीबद्ध सरकारी/निजी एजेंसियांः** जेम, ओएनडीसी, एनआईडी, आईआरएमए, मीशो, अमेजन और फैबइंडिया
- **जेम में शामिल आवेदकों की संख्याः** 30,000 से अधिक
- **ओएनडीसी के माध्यम से विक्रेता नेटवर्क से जोड़े गए आवेदकों की संख्याः** 1,700, जिनके द्वारा कुल मिलाकर 30 लेनदेन पूरे हुए।
- **फैबइंडिया पर शामिल किए गए आवेदकों की संख्याः** 160, जिनमें से 9 विश्वकर्माओं के 20 उत्पादों को सूचीबद्ध किया गया है।
- **आयोजित व्यापार मेलों की संख्याः** 50
- **राज्य स्तरीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रदर्शनियों की संख्याः** 37
- **व्यापार मेले और प्रदर्शनी से लाभान्वित होने वाले विश्वकर्माओं की संख्याः** 2,923
- **स्थापित राज्य स्तरीय पीएमयू की संख्याः** 26
- **मीशो द्वारा ई–कॉमर्स में प्रशिक्षित विश्वकर्माओं की संख्याः** 1,685 से अधिक
- **मीशो पर विश्वकर्मा सदस्यों की संख्याः** 436 से अधिक

5.1.2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

पीएमईजीपी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जिसका उद्देश्य

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गैर–कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। पीएमईजीपी वर्ष 2008–09 से प्रचालित है और इसे 15वें वित्त आयोग चक्र अर्थात वित्त वर्ष 2021–22 से वित्त वर्ष 2025–26 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रखने की मंजूरी दी गई है। इस स्कीम को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर, इस स्कीम का कार्यान्वयन केवीआईसी के राज्य कार्यालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी), कयर बोर्ड (कयर से संबंधित कार्यकलापों के लिए) और बैंकों के माध्यम से किया जाता है।

प्रमुख उद्देश्यः

- इस स्कीम का उद्देश्य नए स्व–रोजगार उपक्रमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है।
- इस स्कीम का उद्देश्य देश में पारंपरिक तथा भावी कारीगरों के सभी वर्गों और ग्रामीण/शहरी बेरोजगार युवाओं को निरंतर और सतत रोजगार प्रदान करना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के पलायन को रोका जा सके।

मुख्य बातेंः

- नये सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए मार्जिन मनी (सब्सिडी) सामान्य श्रेणी के लिए परियोजना लागत का 25% ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 15% शहरी क्षेत्रों के लिए तथा विशेष श्रेणी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 35% और शहरी क्षेत्रों के लिए 25% प्रदान की जाएगी।
- विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 50 लाख रु. और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 20 लाख रु. है।
- पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सभी नई इकाइयों को इकाई के वास्तविक सत्यापन और पीएमईजीपी लाभार्थी ऋण खाते में मार्जिन मनी के समायोजन से पहले उद्यम पोर्टल के अंतर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा।
- इकाइयों द्वारा उत्पादों और सेवाओं का विवरण प्राप्त करने और इनके लिए बाजार संपर्क सृजित करने हेतु पीएमईजीपी इकाइयों की जियो–टैगिंग शुरू की गई है।
- जनवरी 2024 से, हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त 11 क्षेत्रीय भाषाओं में लाभार्थियों से पीएमईजीपी आवेदन भौतिक रूप में स्वीकार किए जा रहे थे। हालांकि, जून 2025 से, 19 क्षेत्रीय भाषाओं में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, जिनमें गुजराती, मलयालम, पंजाबी, मणिपुरी, बांग्ला, मराठी, तमिल, असमिया, कन्नड़, उड़िया, तेलुगु, बोडो, डोगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, सिंधी, उर्दू और मैथिली शामिल हैं।

अभीष्ट लाभार्थीः

- स्कीम के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक की उम्र का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
- आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडर श्रेणी से संबंधित भावी उद्यमियों को उच्च सब्सिडी के लिए विशेष श्रेणी में शामिल किया गया है।

मौजूदा पीएमईजीपी / आरईजीपी / मुद्रा इकाइयों के उन्नयन के लिए दूसरा ऋण

- वर्ष 2018–19 से, मौजूदा पीएमईजीपी/आरईजीपी/मुद्रा उद्यमों को पिछले अच्छे कार्य–निष्पादन के आधार पर उन्नयन और विस्तार के लिए दूसरे ऋण के साथ भी सहायता प्रदान की जा रही है। विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत 1.00 करोड़ रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 25 लाख रुपये है। सभी श्रेणियों के लिए दूसरे ऋण पर पात्र सब्सिडी परियोजना लागत का 15% (पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों के लिए 20%) है।

उपलब्धियाँ:

- वित्त वर्ष 2008–09 में इसकी शुरुआत से लेकर वित्त वर्ष 2025–26 तक (दिनांक 31.12.2025 तक), कुल 10.73 लाख सूक्ष्म उद्यमों को 29,295 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान की गई है और 87.37 लाख लोगों को अनुमानित रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं।
- पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित लगभग 80% इकाइयाँ ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि शेष 20% शहरी क्षेत्रों में हैं।
- 50% से अधिक इकाइयाँ महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के स्वामित्व में हैं।
- लगभग 15% इकाइयाँ आकांक्षी जिलों में स्थापित की गई हैं।
- वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24, 2024–25 और चालू वर्ष के दौरान स्कीम का कार्य–निष्पादन निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	संवितरित की गई मार्जिन मनी सब्सिडी (करोड़ रुपए)	सहायता–प्राप्त सूक्ष्म इकाइयों की संख्या	अनुमानित रोजगार सृजन
2021-22	2,977.66	1,03,219	8,25,752
2022-23	2,722.17	85,167	6,81,336
2023-24	3,093.88	89,118	7,12,944
2024-25	2,202.00	59,708	4,77,664
2025-26*	2,128.93	54,351	4,34,808

** वित्त वर्ष 2025–26, दिनांक 31.12.2025 तक के आंकड़े*

5.1.3. एमएसएमई कार्य–निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैंप) स्कीम

रैंप विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त एक केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम है, जिसका उद्देश्य मौजूदा एमएसएमई मंत्रालय स्कीमों की पहुंच बढ़ाकर एमएसएमई के बाजार, वित्त और प्रौद्योगिकी उन्नयन तक पहुंच में सुधार करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थानों को सुदृढ़ करना और केंद्र–राज्य सहयोग को बढ़ाना भी है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक पांच वर्षों के लिए रैंप परियोजना की कुल लागत 6062.45 करोड़ रुपये है, जिसमें से विश्व बैंक की सहायता 3750 करोड़ रुपए है (500 मिलियन यूएस डॉलर और बाकी का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है)।

प्रमुख उद्देश्य:

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के संवर्धन और विकास में केंद्र–राज्य सहयोग को गति देना।

- प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की मौजूदा विभिन्न स्कीमों की प्रभावशीलता बढ़ाना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए प्राप्य वित्तपोषण बाजार को सुदृढ़ बनाना।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की प्रभावशीलता बढ़ाना और सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा महिला स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की हरित पहलों के लिए गारंटी को बढ़ावा देना।
- एमएसई को होने वाले विलंबित भुगतानों के मामलों को कम करना

मुख्य विशेषताएं:

- रैम्प स्कीम केंद्र और राज्य सरकार के विभागों एवं एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन, नवाचार, डिजिटलीकरण, बाजार पहुंच, ऋण आदि को बढ़ावा देकर एमएसएमई के कार्य–निष्पादन को बढ़ाएगी।
- रैम्प स्कीम में कार्यक्रम अवधि (वित्त वर्ष 2022–23 से 2026–27) के दौरान 5.5 लाख से अधिक एमएसएमई को लाभान्वित करने की परिकल्पना की गयी है। कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।
- रैम्प कार्यक्रम के तत्त्वावधान में, मंत्रालय ने चार उप–स्कीमों का शुभारंभ किया है–

  (i) एमएसई हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण (एमएसई–गिफ्ट): जो चयनित हरित प्रौद्योगिकियों के लिए ब्याज छूट और गारंटी प्रदान करता है।

  (ii) चक्रीय अर्थव्यवस्था में निवेश संवर्धन के लिए एमएसई स्कीम (एमएसई–स्पाइस) जो चक्रीय अर्थव्यवस्था (सीई) समाधानों का कार्यान्वयन करने के लिए मौजूदा एमएसई को पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है।

  (iii) एमएसएमई–ओडीआर (ऑनलाइन विवाद समाधान) : 189 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई–ओडीआर पोर्टल डिजिटल माध्यम से विलंबित भुगतान मामलों का तीव्र और प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए है।

  (iv) एमएसएमई टीम स्कीम ऑनबोर्डिंग कार्यशालाओं का आयोजन करके, उत्पाद सूचीकरण और पथ–प्रदर्शन सहयोग /खाता प्रबंधन प्रदान करके एमएसएमई की ई–कॉमर्स सक्षमता में सहायता प्रदान करेगा।

- ***राष्ट्रीय एमएसई परिषद***

- माननीय एमएसएमई मंत्री जी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद का गठन किया गया है, जिसमें संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिव, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव सदस्य के तौर पर शामिल हैं।
- परिषद के कार्यों में अंतर–केंद्रीय मंत्रिस्तरीय/विभागीय समन्वय, केंद्र–राज्य सहयोग और रैम्प सहित एमएसएमई क्षेत्र में अधिदेशित सुधारों की प्रगति की देखरेख करना शामिल है।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी ने 12 जून, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित चौथी एमएसएमई परिषद की बैठक को संबोधित किया।

उपलब्धियां:

- सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एमएसएमई मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करके इस स्कीम में भाग लेने की रूचि दिखाई है। इन सभी 36 भागीदार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यनीतिक निवेश योजना (एसआईपी) तैयार करने के लिए 5–5 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है, जो संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एमएसएमई क्षेत्र के विकास और संवर्धन के लिए एक रोडमैप होगा।

- मंत्रालय ने सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त एसआईपी (SIP) का मूल्यांकन किया है और 400 से अधिक चयनित परियोजनाओं के लिए 3031.77 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान स्वीकृत किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वीकृत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। मंत्रालय कार्यान्वयन की प्रगति की बारीकी से समीक्षा कर रहा है।

- रैंप उप–स्कीम (गिफ्ट/स्पाइस/टीम) संबंधी प्रगति

  - **एमएसई गिफ्ट:** 5,400 के लक्ष्य के मुकाबले, हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए 4,803 सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी कुल संस्वीकृत राशि 3,272 करोड़ रुपए से अधिक है।

  - **एमएसई स्पाइस:** 116 चक्रीय अर्थव्यवस्था (सीई) प्रौद्योगिकियों वाले एक प्रौद्योगिकी डेक को स्वीकृति दे दी गई है। अब तक, 10 सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को चक्रीय अर्थव्यवस्था (सीई) समाधान अपनाने के लिए पूंजीगत सब्सिडी सहायता प्राप्त हुई है।

  - **टीम इनिशिएटिव पोर्टल:** सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) और विक्रेता नेटवर्क प्रतिभागियों (एसएनपी) के पंजीकरण के लिए पोर्टल चालू है। अब तक, 32 एसएनपी पैनलबद्ध किए गए हैं, 4,500 एमएसई पंजीकृत हो चुके हैं–जिनमें से 1,700 महिलाओं के स्वामित्व वाले हैं–और 2,500 एमएसई सफलतापूर्वक नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं।

  - **एमएसएमई ओडीआर पोर्टल:** एमएसएमई दिवस 2025 को एमएसएमई ओडीआर पोर्टल लॉन्च किया गया और यह पूरी तरह से चालू है, जिसके माध्यम से नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं और उनका समाधान किया जा रहा है। ओडीआर पोर्टल के उद्घाटन के बाद से, 8 महीनों में कुल 17 मामलों का निपटारा किया गया है, जिनमें से 15 मामले प्री–एमएसईएफसी चरण (सौहार्दपूर्ण समाधान चरण) में और 2 मामले सुलह चरण में हल किए गए। इन मामलों में निपटाई गई कुल राशि 60.60 लाख रुपए है।

5.1.4. एमएसई के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

एमएसएमई मंत्रालय, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीम (सीजीएस) को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से कार्यान्वित करता है। इस स्कीम के अंतर्गत, सदस्य ऋण दाता संस्थाओं के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को संपार्श्विक मुक्त और तृतीय–पक्ष गारंटी मुक्त ऋण प्रदान करने हेतु ऋण गारंटी दी जाती है।

मुख्य विशेषताएं:

- गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा प्रति उधारकर्ता 10 करोड़ रुपये है (दिनांक 01.04.2025 से प्रभावी)।
- स्वीकृत ऋण सुविधा के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क (एजीएफ) के रूप में एक मामूली राशि बकाया ऋण राशि पर ली जाती है।
- गारंटी की सीमा ऋण की राशि और लाभार्थी के प्रकार के आधार पर 75% से 90% तक होती है।
- उधारकर्ताओं की विशेष श्रेणियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम, महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम, दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम, अग्निवीरों के स्वामित्व वाले एमएसई, ट्रांसजेंडरों के स्वामित्व वाले एमएसई, जेड प्रमाणित एमएसई, आकांक्षी जिलों में स्थित एमएसई और पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम सहित), जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में स्थित एमएसई) को दिए गए ऋणों के संबंध में गारंटी शुल्क में 10% की छूट।
- महिला उद्यमियों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए, देश के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए गारंटी कवरेज को बढ़ाकर 90% कर दिया गया है।

उपलब्धियां:

- वित्तीय वर्ष 2001 में स्थापना से लेकर दिनांक 31.12.2025 तक, एमएसई को कुल 1.35 करोड़ ऋण गारंटी के साथ 12.39 लाख करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है।
    - महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई को 1.93 लाख करोड़ रुपये की 29.67 लाख गारंटी दी गई है।

- अनुसूचित जाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को 6.53 लाख गारंटी दी गई है, जिसकी कुल राशि 22,525 करोड़ रुपये है।
- अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को 2.23 लाख गारंटी दी गई है, जिसकी कुल राशि 10,713 करोड़ रुपये है।
- ओबीसी उद्यमियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को 23.72 लाख गारंटी दी गई है, जिसकी कुल राशि 1.21 लाख करोड़ रुपये है।
- दिव्यांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) को 40,987 गारंटी दी गई है, जिसकी कुल राशि 3053 करोड़ रुपये है।

इस स्कीम का विस्तृत विवरण और नवीनतम परिपत्र सीजीटीएमएसई की वेबसाइट www.cgtmse.in पर उपलब्ध हैं।

- शुरूआत से, सीजीटीएमएसई स्कीम से 1 करोड़ से अधिक उद्यम लाभान्वित हुए हैं, जिसमें 31 दिसंबर, 2024 तक कुल 8.07 लाख करोड़ रुपए की गारंटी कवर के लिए 1.01 करोड़ प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं।
- सीजीटीएमएसई फंडिंग के बाद स्कीम के लाभार्थियों को उनके कारोबार और रोजगार सृजन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इससे एमएसई सेक्टर के कई प्रमुख क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसमें प्रौद्योगिकी उन्न्यन, कौशल विकास, बाजार विस्तार और आर्थिक एवं सामाजिक विकास दोनों शामिल हैं।
- इस स्कीम ने महत्त्वपूर्ण भौगालिक विस्तार देखा है, जिसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर जैसे वंचित क्षेत्रों तक पहुंचने पर जोर दिया गया है, जिससे पूरे देश में समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।
- स्कीम से 100 से अधिक औद्योगिक सेक्टरों को लाभ हुआ है, जो एमएसई सेक्टर के विभिन्न खंडों में इसकी व्यापक प्रयोज्यता को उजागर करता है।
- इसका प्रभाव केवल प्रमुख औद्योगिक हबों तक ही सीमित नहीं है; इस स्कीम ने क्षेत्रीय विकास का बढ़ावा देते हुए और औद्योगिक विकास का विकेंद्रीकरण करते हुए टियर–2 और टियर–3 शहरों तक भी अपने लाभों का विस्तार किया है।
- सीजीटीएमएसई स्कीम दावों के निपटान में अत्यधिक प्रभावी साबित हुई है।

इस स्कीम का विस्तृत विवरण और नवीनतम परिपत्र सीजीटीएमएसई की वेबसाइट www.cgtmse.in पर उपलब्ध हैं।

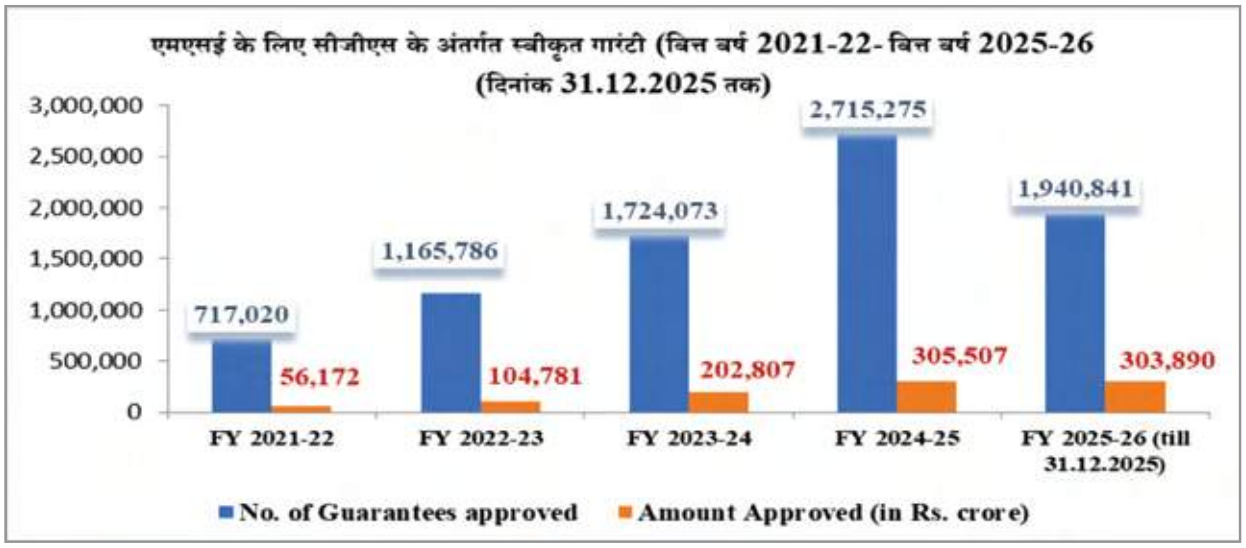

5.2. कौशल विकास और प्रशिक्षण

5.2.1. नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)

एस्पायर स्कीम का अनुमोदन 194.87 करोड़ रु. के बजट परिव्यय के साथ वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक जारी रखने के लिए किया गया है। दिशानिर्देश निम्नलिखित उद्देश्यों और कार्यकलापों के साथ दिनांक 28.01.2022 को जारी किए गए थे।

उद्देश्य:

- रोजगार सृजन और बेरोजगारी कम करना;
- भारत में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना; तथा
- एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देना।

स्कीम के अंतर्गत घटक:

(i) **आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई):** ग्रामीण एवं अल्प सेवित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने सहित कृषि–ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास प्रदान करने और इनक्यूबेशन कार्यक्रमों के लिए स्थापित निकाय।

इस स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावों के लिए पात्रता:

- भारत सरकार/राज्य सरकार की कोई भी एजेंसी/संस्थान अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग, उद्योग संघ, शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत मौजूदा प्रशिक्षण केंद्र। केवल संयंत्र और मशीनरी के प्रापण के लिए पात्र एजेंसियों को 100 लाख रु. तक और प्रचालन व्यय सहायता के रूप में 100 लाख रु. की वितीय सहायता प्रदान की जाती है।
- इनक्यूबेशन और/या कौशल विकास कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक निष्पादन करने में अनुभव रखने वाली कोई भी गैर–लाभकारी निजी संस्था एलबीआई स्थापित करने के लिए पात्र हो सकती है – पात्र एजेंसियों को केवल संयंत्र

और मशीनरी की खरीद के लिए 75 लाख रुपये तक की सहायता और परिचालन व्यय सहायता के रूप में 100 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

उपलब्धियां:

- दिनांक 31.12.2025 तक, 109 आजीविका व्यवसाय इनक्यूबेटर (एलबीआई) और 22 प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (टीबीआई) को मंजूरी दी गई है।
- 82 एलबीआई और 14 टीबीआई पहले से ही कार्यरत हैं। इन 82 कार्यरत एलबीआई में कुल 1,16,801 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 18,044 प्रशिक्षु स्वरोजगार में संलग्न हैं और 13,843 प्रशिक्षु कृषि–ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- इसके अतिरिक्त, अब तक 1,150 सूक्ष्म उद्यमों की सहायता/ स्थापना की गई है।
- एस्पायर एफ़ओएफ़ के अंतर्गत 310 करोड़ रु. के कुल कोष में से 11 एआईएफ के लिए कुल 217.5 करोड़ रु. की प्रतिबद्धता की गई है।

(ii) **सिडबी द्वारा प्रबंधित एस्पायर निधियों का कोष (एफओएफ):** नवप्रवर्तन, उद्यमिता, कृषि आधारित क्षेत्र में विनिर्माण और सेवा प्रदायगी की विभिन्न मूल्य श्रृंखलाओं के साथ फार्वर्ड और बैकवर्ड लिंकेज विकसित करने वाले क्षेत्रों में, प्रौद्योगिकी और व्यावसाय उद्यम विकसित करने में सफल होने के लिए सहायता और पथ–प्रदर्शन के आकांक्षी नए स्टार्ट अप में, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के माध्यम से निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सृजित किया गया है। सिडबी एफओएफ का कुल कोष 310 करोड़ रु. है।

5.2.2. उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं, दिव्यांगों, भूतपूर्व–सैनिकों और बीपीएल व्यक्तियों सहित समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को स्व–रोजगार या उद्यमिता को करियर विकल्पों में से एक के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसका अंतिम उद्देश्य नए उद्यमों को बढ़ावा देना, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करना और देश में उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

इस स्कीम (ईएसडीपी) का कार्यान्वयन समग्र देश में व्यापक रूप से किया जा रहा है। दिनांक 25.3.2022 को अनुमोदित ईएसडीपी दिशानिर्देशों के अनुसार, ईएसडीपी स्कीम के पांच घटक हैं:–

- **उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी)**–अवधि –एक दिवस, 50–100 प्रतिभागी, लागत 20,000 रु. प्रति कार्यक्रम।
- **उद्यमशीलता सह कौशल विकास कार्यक्रम (ई–एसडीपी)**– न्यूनतम 6 सप्ताह का कार्यक्रम, 25 प्रतिभागी, लागत– 1,25,000 रु. प्रति कार्यक्रम।
- **उन्नत ई–एसडीपी**– यह घटक नया जोड़ा गया है, जिसकी लागत आईआईटी, आईआईएम, आईसीएआर, बीएआरसी, राज्य या केन्द्र सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 10.00 लाख रु. (अधिकतम) है।
- **प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)**–न्यूनतम एक सप्ताह, 20–25 प्रतिभागी, लागत– 50,000 रु. प्रति कार्यक्रम।
- **उन्नत एमडीपी**– 15वें वित्त आयोग के लिए अनुमोदित दिशा–निर्देशों में इस घटक को जोड़ा गया है, जिसकी लागत

राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) और केंद्र/राज्य सरकारों के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों/एनआईटी/केंद्र/राज्य सरकारों के क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों/कृषि महाविद्यालयों/स्वायत्त संस्थानों जैसे प्रमुख संस्थानों द्वारा संचालित किए जाने वाले प्रति कार्यक्रम 10.00 लाख रु. है।

स्कीम के अंतर्गत संचालित उद्यमिता पाठ्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी:

ऊर्जा भंडारण सामग्री के संश्लेषण, परीक्षण और लक्षण वर्णन पर केंद्रित उन्नत ईएसडीपी कार्यक्रम, दिनांक 1 से 7 मार्च, 2025, एनआईटी राउरकेला

सीएसआईआर–एनआईआईएसटी, तिरुवनंतपुरम में 1 से 5 दिसंबर, 2025 के बीच जैव ईंधन पर उन्नत ईएसडीपी कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 25 प्रतिभागियों को 100 किलोग्राम/बैच के पैमाने पर बॉयलर, कूलिंग टावर, रिएक्टर और आसवन स्तंभों के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया।

5.2.3. प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई) स्कीम

मंत्रालय के अधीनस्थ प्रशिक्षण संस्थानों जैसे निम्समे, केवीआईसी, कयर बोर्ड, टूल रूम, एनएसआईसी और एमगिरी को आधारभूत अवसंरचना के निर्माण और सुदृढ़ीकरण तथा उद्यमिता विकास और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों

के समर्थन के लिए पूंजी अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित मौजूदा राज्य स्तरीय ईडीआई और राज्य सरकार के स्वामित्व वाले प्रशिक्षण संस्थानों, जिनमें जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) भी शामिल हैं, को उनके प्रशिक्षण अवरसंरचना के निर्माण या सुदृढ़ीकरण/विस्तार के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है (प्रत्येक मामले में अधिकतम 3.00 करोड़ रुपये)। एटीआई स्कीम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2014–15 से वित्त वर्ष 2025–26 (31.12.2025 तक) में कुल मिलाकर 2,82,023 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है और लगभग 61 संस्थानों/संगठनों को 417.46 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ सहायता प्रदान की गई है।

5.3. अवसंरचना विकास

5.3.1. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, क्लस्टर विकास के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम – क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। एमएसई–सीडीपी मांग आधारित केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम है, जिसमें राज्य सरकारें अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूदा क्लस्टरों की सामान्य आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्ताव भेजती हैं।

उद्देश्य:

- मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना के लिए भारत सरकार अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
- नए औद्योगिक क्षेत्रों / एस्टेट्स / फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना / मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन हेतु।

स्कीम के प्रमुख घटक:

क. सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी):

- भारत सरकार का अनुदान परियोजना लागत के 70% (5.00 करोड़ रु. – 10.00 करोड़ रु.) और परियोजना लागत के 60% (10.00 करोड़ रु. – 30.00 करोड़ रु.) तक सीमित होगा।
- पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों, द्वीपीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद ग्रस्त जिलों तथा 50% से अधिक सूक्ष्म/ग्राम अथवा महिला स्वामित्व वाली अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों वाले समूहों के मामले में, भारत सरकार का अनुदान क्रमशः परियोजना लागत का 80% (5.00 करोड़ रुपये – 10.00 करोड़ रुपये) और परियोजना लागत का 70% (10.00 करोड़ रुपये – 30.00 करोड़ रुपये) होगा।
- 30.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सीएफसी परियोजनाओं पर भी विचार किया जाता है, तथापि भारत सरकार की सहायता अधिकतम 30.00 करोड़ रुपये की पात्र परियोजना लागत पर ही दी जाएगी।

ख. अवसंरचना विकास:

- नए औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए भारत सरकार का अनुदान परियोजना लागत के 60% (5.00 करोड़ रुपये – 15.00 करोड़ रुपये) तक सीमित होगा तथा मौजूदा औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के उन्नयन के लिए भारत सरकार का अनुदान परियोजना लागत का 50% (5.00 करोड़ रुपये – 10.00 करोड़ रुपये) होगा।
- पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों, द्वीपीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, वामपंथी उग्रवाद ग्रस्त जिलों और 50% से अधिक सूक्ष्म/

ग्राम या महिला स्वामित्व वाली या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयों वाले क्लस्टरों के मामले में, भारत सरकार का अनुदान नए औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 70% (5.00 करोड़ रुपये – 15.00 करोड़ रुपये) और मौजूदा औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के उन्नयन के लिए परियोजना लागत का 60% (5.00 करोड़ रुपये – 10.00 करोड़ रुपये) होगा।

- 10.00 करोड़/15.00 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली आईडी परियोजना पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन भारत सरकार की सहायता की गणना 10.00 करोड़/15.00 करोड़ रुपये की अधिकतम पात्र परियोजना लागत पर ही की जाएगी।

उपलब्धियां:

- स्कीम की शुरूआत से अब तक कुल 606 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और इनमें से 242 परियोजनाएं चल रही हैं और 364 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं।
- इस वर्ष के दौरान, 441.71 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत और 273.29 करोड़ रु. की कुल भारत सरकार सहायता राशि के साथ 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।

5.4. विपणन सहायता

5.4.1. प्रापण और विपणन सहायता (पीएमएस) स्कीम

एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए प्रापण और विपणन सहायता स्कीम शुरू की गई है। यह स्कीम देश–भर में आयोजित राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो/राष्ट्रीय कार्यशाला/सेमिनार आदि में आयोजन/भागीदारी जैसी बाजार पहुंच पहल प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बाजार संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

- सूक्ष्म उद्यमों द्वारा बार कोड को अपनाना।
- सूक्ष्म उद्यमों द्वारा ई–कॉमर्स को अपनाना।
- आधुनिक पैकेजिंग तकनीकों को अपनाना।

5.5. प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रतिस्पर्धात्मकता

5.5.1. एमएसएमई चैंपियंस स्कीम

एमएसएमई चैंपियंस स्कीम एकल उद्देश्य के साथ विभिन्न स्कीमों और कार्यकलापों को एकीकृत, समन्वित और अभिसरित करने का एक समग्र दृष्टिकोण है। यह स्कीम स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) के माध्यम से 5 वर्षों की अवधि अर्थात वर्ष 2021–22 से 2025–26 के लिए तैयार की गई है। एमएसएमई चैंपियंस स्कीम के अंतर्गत 3 घटक हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

(क) एमएसएमई–सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम

(ख) एमएसएमई–प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम

(ग) एमएसएमई नवप्रवर्तन (इंक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन और डिजिटल एमएसएमई के लिए) स्कीम

उद्देश्यः

- क्लस्टरों और उद्यमों का चयन करना तथा उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपशिष्ट को कम करना, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना तथा उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच एवं उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाना।

i. एमएसएमई–सतत (जेड) प्रमाणन स्कीमः

अप्रैल, 2022 में शुरू की गई एमएसएमई सतत (जेड) प्रमाणन एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई के बीच जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) पद्धतियों को बढ़ावा देना है।

मुख्य विशेषताएंः

- **जागरूकताः** एमएसएमई के बीच जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) पद्धतियों को बढ़ावा देता है।
- **एमएसएमई के लिए प्रोत्साहनः** जेड प्रमाणन प्रक्रिया के माध्यम से एमएसएमई को एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करना।
- **जेड प्रमाणीकरण के लाभः** अपशिष्ट में पर्याप्त कमी, उत्पादकता और परिचालन दक्षता में वृद्धि, पर्यावरण के प्रति जागरूकता और ऊर्जा संरक्षण में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग, बाजार अवसरों का विस्तार।
- **सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनानाः** एमएसएमई को उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणाली को मानकीकृत करने के लिए प्रेरित करना।
- **वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकताः** मूल्यांकन,पथ–प्रदर्शन सहायता, प्रबंधकीय और प्रौद्योगिकी अंतःक्षेपों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने पर केंद्रित है।
- **संधारणीयताः** दीर्घकालिक विकास और पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए संधारणीय पद्धतियों को प्रोत्साहित करना।

सहायता की प्रकृतिः

- **प्रमाणीकरण की लागतः** स्तर 1: कांस्यः 8,000/–रुपये, स्तर 2: रजत : 32,000/– रुपये, स्तर 3: स्वर्ण : 72,000/– रुपये
- **जेड प्रमाणन लागत पर सब्सिडीः** ज्वाईनिंग पुरस्कारः 10,000/–रुपये (यदि लाभ उठाया जाए तो प्रभावी रूप से कांस्य प्रमाणन निःशुल्क होगा)। सब्सिडी दर सूक्ष्म उद्यमों के लिए 80%, लघु उद्यमों के लिए 60%, मध्यम उद्यमों के लिए 50% और महिला स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए 100% सब्सिडी।
- **अतिरिक्त सब्सिडीः** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई और पूर्वोत्तर/हिमालयी/वामपंथी उग्रवाद/द्वीपीय क्षेत्रों/आकांक्षी जिलों में स्थित उद्यमों के लिए 10% अतिरिक्त सब्सिडी, ऐसे एमएसएमई के लिए 5% जो स्फूर्ति (परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम) और एमएसई–सीडीपी (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम) का भी हिस्सा हैं।
- **परीक्षण/गुणवत्ता/उत्पाद प्रमाणन में वित्तीय सहायताः** 50,000/– रुपये तक की अधिकतम सब्सिडी के साथ बहुल परीक्षण/प्रणाली/उत्पाद प्रमाणन के लिए कुल लागत का 75%।

- **प्रारम्भिक सहायता/परामर्श सहायता:** एमएसएमई को उच्च प्रमाणन स्तर प्राप्त करने में मदद करने की दृष्टि से, पथ–प्रदर्शन सहायता एवं परामर्श हेतु 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना।

- **जीरो इफेक्ट समाधान हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन में सहायता प्रदान करना:** जीरो इफेक्ट समाधान, प्रदूषण नियंत्रण उपाय और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए 3 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना।

उपलब्धियां:

- इसकी शुरुआत से लेकर अब तक कुल 7,23,377 एमएसएमई इस स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत किए गए, जिनमें से 2,81,391 एमएसएमई वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिसंबर, 2025 तक) में पंजीकृत हुए हैं।
- वितीय वर्ष 2025–26 (दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार) में एमएसएमई को 2,02,273 कांस्य, 2,089 रजत और 1,416 स्वर्ण प्रमाण–पत्र प्रदान किए गए हैं।
- 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी–अपनी औद्योगिक नीतियों में जेड को शामिल किया है और जेड प्रमाणित एमएसएमई को अतिरिक्त प्रोत्साहन दे रहे हैं।
- 19 वित्तीय संस्थानों ने जेड प्रमाणित एमएसएमई को प्रसंस्करण शुल्क और ब्याज दर में रियायतों के रूप में प्रोत्साहन देना शुरू किया है तथा इन्हें अधिसूचित किया है।
- महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए प्रमाणन लागत प्रभावी रूप से शून्य कर दी गई है।

ii. एमएसएमई–प्रतिस्पर्धी (लीन)

मार्च, 2023 में शुरू की गई एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लीन उपकरणों तथा तकनीकों के कार्यान्वयन के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की एक पहल है। बेहतर तरीके से स्थापित और प्रभावी ये पद्धतियाँ, एमएसएमई क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य–दक्षता में सुधार और प्रक्रियाओं के अनुकूलन पर केंद्रित हैं।

इस स्कीम के अभीष्ट लाभार्थी उद्यम–पंजीकृत विनिर्माण एमएसएमई हैं। इस स्कीम को एमएसएमई मंत्रालय के विकास आयुक्त का कार्यालय द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

सहायता का स्वरूप:

कार्यान्वयन की लागत:

	मूल स्तर	मध्यवर्ती स्तर	उन्नत स्तर
कार्यान्वयन लागत (अधिकतम प्रति इकाई)	मुफ्त	1,20,000 रुपये + कर	2,40,000 रुपये + कर
लाभार्थी का अंशदान	लागू नहीं	कार्यान्वयन की कुल लागत का 10% अर्थात 12,000 रुपये + प्रति इकाई कर (अधिकतम)	कार्यान्वयन की कुल लागत का 10% अर्थात 24,000 रुपये + प्रति इकाई कर (अधिकतम)
भारत सरकार का अंशदान	लागू नहीं	एमएसएमई इकाई कार्यान्वयन लागत (अतिरिक्त कर) के लिए 1,08,000 रुपए (अधिकतम) तक की हकदार होगी।	एमएसएमई इकाई कार्यान्वयन लागत (अतिरिक्त कर) के लिए 2,16,000 रुपये (अधिकतम) तक की हकदार होगी।

	मूल स्तर	मध्यवर्ती स्तर	उन्नत स्तर
अतिरिक्त लाभ	लागू नहीं	क) स्फूर्ति क्लस्टर, महिला/एससी/एसटी स्वामित्व वाले, पूर्वोत्तर स्थित एमएसएमई से जुड़े एमएसएमई के लिए भारत सरकार का अतिरिक्त 5% अंशदान। ख) ओईएम/उद्योग संघ रूट ➢ उद्योग संघ/ओईएम के माध्यम से पंजीकरण करने वाले एमएसएमई को सभी स्तरों को पूरा करने के बाद भारत सरकार का अतिरिक्त 5% अंशदान दिया जाएगा। ➢ लीन इंटरवेंशन के सभी चरणों को पूरा करने के बाद ओईएम/एसोसिएशन को प्रति एमएसएमई 5000 रुपये दिए जाएंगे।	

उपलब्धि/स्थिति :

- वितीय वर्ष 2025–26 में 16,500 से अधिक एमएसएमई ने एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम के अंतर्गत पंजीकरण कराया है।
- वित्त वर्ष 2025–26 में (दिसंबर, 25 तक) लगभग 3,212 एमएसएमई ने बेसिक प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है, जिनमें से 1558 एमएसएमई ने इंटरमीडिएट स्तर पर आगे बढ़ने की इच्छा व्यक्त की है।
- 25 अप्रैल से अब तक कुल 369 जागरूकता कार्यक्रम और 30 परामर्शी प्रशिक्षण कार्यक्रम/राज्य सरकारी अधिकारियों के कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं।
- प्रमुख ओईएम/बड़े उद्यमों को लीन जागरूकता को बढ़ावा देने और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की इकाइयों में लीन हस्तक्षेप को सुविधाजनक बनाने के लिए शामिल किया गया है।
- लगभग 993 एमएसएमई शामिल हैं जिसमें कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा 113 उद्यम समूह (जीओई) का गठन किया गया है।
- 131 जीओई में परामर्शदाता का चयन पूरा हो गया है और वर्तमान में इन जीओई में इंटरमीडिएट स्तर पर लीन का कार्यान्वयन प्रक्रियाधीन है।
- 289 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने लीन इंटरमीडिएट स्तर का प्रमाणन सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है और इनमें से 188 उद्यम एडवांस स्तर पर पहुंच गए हैं।

iii. एमएसएमई–इनोवेटिव (इंक्यूबेशन, आईपीआर, डिजाइन और डिजिटल एमएसएमई के लिए) स्कीम

एमएसएमई– इनोवेटिव एमएसएमई के लिए एक पहल है, जिसे एकल मोड दृष्टिकोण में इनक्यूबेशन, डिजाइन क्रियाकलाप एवं आईपीआर सुरक्षा में नवाचार को एकीकृत करने के लिए तैयार किया गया है।

उद्देश्य:

इसका उद्देश्य एमएसएमई के बीच भारत की नवाचार क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उन्हें एमएसएमई चैंपियन बनने के लिए प्रेरित करना है। नवाचार के लिए हब के रूप में कार्य करते हुए, यह पहल विचारों को व्यवहार्य व्यावसायिक प्रस्तावों में बदलने के लिए मार्गदर्शन की सुविधा प्रदान करती है। इस स्कीम के 3 उप–घटक है:–

क. एमएसएमई–इनोवेटिव (इनक्यूबेशन)

इस स्कीम का उद्देश्य अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना तथा विनिर्माण एवं ज्ञान–आधारित एमएसएमई में उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस स्कीम के लक्षित लाभार्थी उद्यम–पंजीकृत एमएसएमई और अन्य संस्थाएँ हैं। इस स्कीम का कार्यान्वयन एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त का कार्यालय के माध्यम से किया जा रहा है। 5 दिसंबर, 2025 तक, इस स्कीम के अंतर्गत 28.15 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

सहायता की प्रकृति :

नवीन विचारों को विकसित करने और उनका पोषण करने के लिए मेजबान संस्थानों (एचआई) को प्रति विचार 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपलब्धि/स्थिति:

- स्वीकृत मेजबान संस्थान (एचआई): समग्र भारत में कुल 773 एचआई।
- विचार प्रस्तुतियाँ: दिनांक 27 जून, 2025 को माननीय एमएसएमई मंत्री जी द्वारा लॉन्च किए गए आइडिया हैकाथॉन 5.0 के अंतर्गत 52,369 विचार प्राप्त हुए। एचआई द्वारा 13,106 विचारों को अग्रेषित किया गया है। कागजात की जाँच के बाद डोमेन एक्सपर्ट्स सेलेक्सन कमेटी (डीईएससी) को 11088 विचार अग्रेषित किए गए हैं।

ख. एमएसएमई–नवप्रवर्तन (डिजाइन)

इस घटक का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र और डिजाइन विशेषज्ञता/ डिजाइन समुदाय के बीच सहयोग के लिए एक साझा मंच तैयार करना है। इसका उद्देश्य नए उत्पाद विकास, उनके निरंतर सुधार और मौजूदा/नए उत्पादों में मूल्य संवर्धन के लिए वास्तविक समय की डिजाइन समस्याओं पर विशेषज्ञ परामर्श और लागत प्रभावी उपाय प्रदान करना है।

इस स्कीम के लक्षित लाभार्थी उद्यम–पंजीकृत विनिर्माण एमएसएमई हैं। इस स्कीम को एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालयों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। 5 दिसंबर, 2025 तक, इस स्कीम के अंतर्गत 20.54 करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

सहायता की प्रकृति :

- डिजाइन परियोजना: कुल परियोजना लागत का 75% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जो अधिकतम 40 लाख रुपये तक होगा।
- छात्र परियोजना: कुल परियोजना लागत का 75% भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जो अधिकतम 2.5 लाख रुपये तक होगा।

उपलब्धि/स्थिति:

- 12 एनआईटी, 7 आईआईटी, 1 आईआईएससी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- स्वीकृत कुल व्यावसायिक डिजाइन/छात्र परियोजनाओं की संख्या: 69

ग. एमएसएमई–इनोवेटिव (आईपीआर)

इस स्कीम का उद्देश्य दो प्रमुख क्रियाकलापों पर केंद्रित रहते हुए भारत में बौद्धिक संपदा (आईपी) संस्कृति को सुदृढ़ करना है:

- एमएसएमई के बीच बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर) के बारे में जागरूकता बढ़ाना, भारतीय अर्थव्यवस्था में सृजनात्मकता तथा नवाचार को बढ़ावा देना है।
- एमएसएमई द्वारा विकसित विचारों, तकनीकी नवाचारों और व्यावसायिक रणनीतियों की रक्षा करने वाले उपायों को लागू करना, उनके वाणिज्यीकरण और आईपीआर उपकरणों के प्रभावी उपयोग को सक्षम करना।

स्कीम के अभीष्ट लाभार्थी वैध उद्यम पंजीकरण वाला कोई भी आवेदक/संस्था/इकाई हो सकती है। इस स्कीम को एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। 5 दिसंबर, 2025 तक, स्कीम के अंतर्गत 8.91 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।

वर्ष 2025–26 (दिनांक 31.12.2025 की स्थिति के अनुसार) में उपलब्धि/स्थिति :

बौद्धिक संपदा सुविधा केंद्र (आईपीएफसी) द्वारा स्वीकृत आईपी की संख्या निम्नानुसार है:

i. पेटेंट की संख्या : 116

ii. ट्रेडमार्क की संख्या : 623

iii. डिजाइन पंजीकरण की संख्या: 116

iv. जीआई पंजीकरण की संख्या: 7

समग्र देश में एमएसएमई हेतु यूनिडो एमएसएमई मंत्रालय, जीईएफ–5 परियोजनाएं

I. एमएसएमई मंत्रालय, यूएनआईडीओ, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार परिवर्तन के संवर्धन' संबंधी जीईएफ–5 परियोजना	
विवरण	यूनीडो, जीईएफ–5 परियोजना जिसका शीर्षक 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार परिवर्तन को बढ़ावा देना' है, का उद्देश्य ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकियों को लागू करके और विभिन्न क्लस्टरों के भीतर इन पहचानी गई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि करके एमएसएमई के लिए एक सहायक बाजार वातावरण को प्रोत्साहन देना है।
उद्देश्य	इस परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा दक्षता उपायों को दोहराने के लिए एक परिक्रामी निधि तंत्र की स्थापना और रखरखाव करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के भीतर ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है।
ऊर्जा लक्ष्य	इस परियोजना का लक्ष्य प्रति वर्ष 956,184 जी.जे. ऊर्जा की बचत करना है, जो दस वर्षों में कुल 9,561,838 जी.जे हो जाएगा। इसके अतिरिक्त, इसका उद्देश्य प्रति वर्ष 86,000 टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन को कम करना है।

I. एमएसएमई मंत्रालय, यूएनआईडीओ, 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में ऊर्जा दक्षता हेतु बाजार परिवर्तन के संवर्धन' संबंधी जीईएफ–5 परियोजना	
उपलब्धि/स्थिति	• इस परियोजना ने बारह क्लस्टरों की पहचान की है, 840 सर्वेक्षण, 89 ऊर्जा ऑडिट और 84 आधारभूत ऊर्जा अध्ययन पूरे किए हैं। स्वीकृत ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए 130 से अधिक स्थानीय सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) का चयन किया गया है, और एमएसएमई इकाइयों में 100 से अधिक उपकरण लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त, परियोजना के प्रतिकृति चरण के लिए क्लस्टरों से 131 अभिरुचि पत्र प्राप्त हुए हैं। • परियोजना कार्यकलापों को साझा करने के लिए वेबसाइट का शुभारंभ किया गया। निदर्शन परियोजनाओं के लिए परियोजना संचालन समिति द्वारा 38 ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकियों की पहचान की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। इसके साथ ही 38 एक्सेल–आधारित त्वरित अनुमानक उपकरण (क्यूईटी) विकसित किए गए और टूलकिट भी तैयार किए गए। • निदर्शित प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए नवीन वित्तपोषण के माध्यम से रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। • ईएमआरएफ संरचना के अनुसार, वित्तपोषण एमएसएमई विकास बैंक सिडबी द्वारा किया जाएगा, जबकि तकनीकी सेवाएं ईईएसएल द्वारा प्रदान की जाएंगी।
अभीष्ट लाभार्थी	यह कार्यक्रम सात क्षेत्रों में 12 क्लस्टरों को लक्षित करता है: पल्प एवं कागज, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन एवं डाई, ढलाई एवं फोर्जिंग, तथा लोहा एवं इस्पात मिश्रित क्लस्टर।
कार्यान्वयन	यह परियोजना भारत में ऊर्जा दक्षता के लिए वैश्विक पर्यावरण सुविधाओं (जीईएफ) के कार्यक्रम फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) और एमएसएमई मंत्रालय प्रमुख निष्पादन एजेंसी (ईए) के रूप में कार्य कर रहा है। इसमें ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) प्राथमिक निष्पादन भागीदार है, जबकि भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) परियोजना के लिए मार्गदर्शक एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं।

II. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यूएनआईडीओ, जीईएफ–5 परियोजनाः सौर ऊर्जा की पैठ बढ़ाने और विस्तार करने के लिए व्यावसायिक मॉडलों को बढ़ावा देना।	
विवरण	इस परियोजना का उद्देश्य कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल (सीएसटी) प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन है, जो सौर विकिरण को ग्रहण करता है और इसे ऊष्मा में परिवर्तित करता है जिसका उपयोग औद्योगिक और अन्य प्रक्रियाओं को हीटिंग या कूलिंग प्रदान करने के लिए किया जाता है।
उद्देश्य	इस परियोजना का उद्देश्य एमएसएमई क्लस्टरों में ऊर्जा दक्षता के लिए जीईएफ–5 द्वारा वित्त पोषित यूएनआईडीओ परियोजना के अंतर्गत पांच या अधिक क्लस्टरों में हीटिंग और कूलिंग के लिए सीएसटी प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना है।

II. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यूएनआईडीओ, जीईएफ–5 परियोजनाः सौर ऊर्जा की पैठ बढ़ाने और विस्तार करने के लिए व्यावसायिक मॉडलों को बढ़ावा देना।	
उपलब्धि /स्थिति	परियोजना प्रगति अद्यतन का विवरणः छह चिह्नित किए गए और स्वीकृत क्लस्टरों में परियोजना का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया। इन क्लस्टरों में, कंसंट्रेटिंग सोलर थर्मल (सीएसटी) प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए 14 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गईं और उन्हें मंजूरी दी गई। वर्तमान में, इनमें से तीन परियोजनाएं सीएसटी प्रौद्योगिकी की खरीद की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न हैं। 1. चिह्नित किए गए क्लस्टरों में नौ (09) व्यवसाय बैठकें आयोजित की गईं। 2. जून 2024 में प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी) आयोजित किया गया। 3. परियोजना संचालन समिति ने नए क्लस्टरों को शामिल करने को मंजूरी दी, जिसमें रांची और बोकारो, पुणे, चित्तूर, लुधियाना और मुज़फ्फरनगर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, अस्पतालों और सामान्य सुविधाओं के क्षेत्रों को भी स्वीकृति दी गई।
अभीष्ट लाभार्थी	एमएसएमई उद्योग, अस्पताल, सामान्य वाष्प केंद्र, जिनके पास उद्यम आधार पंजीकरण है।
कार्यान्वयन	वैश्विक पर्यावरण केंद्रों (जीईएफ) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के साथ सहयोग करता है, जो कार्य–निष्पादन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। जीईएफ–यूएनआईडीओ परियोजना को ज्ञान, तकनीकी और वित्तपोषण बाधाओं को हल करके एमएसएमई मंत्रालय के सहायता कार्यक्रम को पूरक बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

5.5.2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच)

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब (एनएसएसएच) की शुरुआत अक्तूबर 2016 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य एससी/एसटी के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना और केंद्र सरकार की लोक प्रापण नीति में निर्धारित सीपीएसई द्वारा 4% खरीद अधिदेश को पूरा करना और एससी/एसटी के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। हब ने एससी/एसटी एमएसई के बीच उद्यमशीलता को सुविधाजनक बनाने और ऋण, बाजार संपर्क, वित्त सुविधा, बोली भागीदारी आदि की चुनौती को पूर्ण करने के लिए कई पहलें की हैं।

इस स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के माध्यम से किया जा रहा है, जो इस मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके अलावा, एससी/एसटी उद्यमियों को उनके व्यावसायिक जीवनचक्र में मार्गदर्शन और पथ–प्रदर्शन सहायता प्रदान करने तथा सीपीएसई के साथ निविदा संबंधी भागीदारी के लिए, देश भर में लुधियाना, आगरा, लखनऊ, मुंबई, पुणे, सिंधुदुर्ग, रांची, चेन्नई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता, सूरत, हैदराबाद और बोधगया में 15 राष्ट्रीय एससी–एसटी हब कार्यालय (एनएसएसएचओ) स्थापित किए गए हैं।

विशेष ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) घटक के अंतर्गत, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के एससी/एसटी एमएसई, संस्थागत ऋण के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरणों की खरीद के लिए 25% सब्सिडी (25 लाख रुपये तक) के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से देश भर में एससी–एसटी उद्यमियों को विभिन्न कौशल और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। ये

प्रशिक्षण कार्यक्रम मौजूदा कौशल अंतर को समाप्त कर सकते हैं, उद्यमियों की तकनीकी और प्रबंधकीय क्षमताओं में वृद्धि कर सकते हैं तथा लक्षित लाभार्थियों में उद्यमिता विकसित कर सकते हैं। स्कीम के विभिन्न कार्यकलापों के अंतर्गत इसकी शुरुआत से लेकर अब तक पूरे देश में 1.59 लाख से ज्यादा एससी–एसटी उद्यमियों को सुविधा प्रदान की गई है। इस स्कीम ने लक्षित लाभार्थियों के बीच उनके कौशल उन्नयन में पेशेवर सहायता, बाज़ार संपर्कों की सुविधा और पथ–प्रदर्शन सहायता प्रदान करके सकारात्मक प्रभाव डाला है, जो एससी/एसटी स्वामित्व वाले एमएसई से सार्वजनिक खरीद में 37 गुना (मूल्य के संदर्भ में) अर्थात वर्ष 2015–16 के 99.37 करोड़ रुपये (0.07%) से 2024–25 में 3,731.50 करोड़ रुपए (1.73%) तक की वृद्धि से स्पष्ट है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में (दिनांक 14.01.2026 की स्थिति के अनुसार), सार्वजनिक खरीद में एससी/एसटी एमएसई की हिस्सेदारी 1.90% तक पहुँच गई है।

5.6. डिजिटल शासन पहल

5.6.1. समावेशी डिजिटल शासन और बहुभाषी पहुंच

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के अनुरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पारितंत्र को समानतापूर्ण, पारदर्शी और कुशल सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी–आधारित डिजिटल शासन को बढ़ावा दे रहा है। ये प्रयास भाषाई, भौगोलिक और अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करते हुए सेवा वितरण, नीति प्रसार और शिकायत निवारण तंत्र में नागरिक–केंद्रित, सुरक्षित और डेटा–आधारित परिवर्तन को सक्षम बनाते हैं।

इस ढांचे के अंतर्गत एक प्रमुख पहल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के वेब अनुप्रयोगों को डिजिटल इंडिया भाषिनी कार्यक्रम (इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के साथ एकीकृत करना है, जिससे डोमेन–विशिष्ट शब्दावलियों द्वारा समर्थित वास्तविक समय अनुवाद के माध्यम से 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में सूचना तक बहुभाषी पहुंच सक्षम हो सकेगी।

यह कार्यक्षमता एमएसएमई मंत्रालय की वेबसाइट, विकास आयुक्त एमएसएमई का कार्यालय पोर्टल, उद्यम पंजीकरण पोर्टल, चैंपियंस पोर्टल और जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (जेड) पोर्टल सहित प्रमुख एमएसएमई डिजिटल प्लेटफार्मों पर क्रियान्वित की गई है, जिससे देशभर के उद्यमियों के लिए पहुंच, समावेशिता और उपयोगकर्ता अनुभव में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

मंत्रालय के चैंपियंस पोर्टल पर बहुभाषी पहुंच सक्षम की गई है।

अन्य एमएसएमई पोर्टलों में बहुभाषी क्षमताओं का विस्तार प्रगति पर है, जिससे राष्ट्रव्यापी डिजिटल पहुंच को और मजबूत किया जा रहा है।

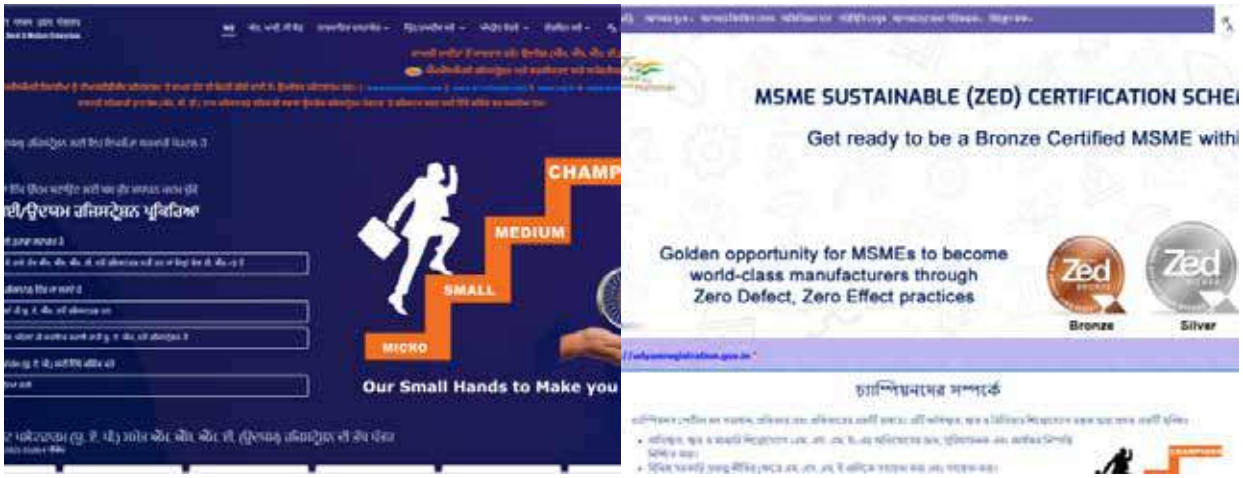

मंत्रालय के उद्यम पंजीकरण और जेड पोर्टल पर बहुभाषी पहुंच सक्षम की गई है।

5.6.2. डाटा–आधारित निगरानी, स्कीम और डिजिटल अवसंरचना प्रबंधन

पारदर्शिता, निगरानी और स्कीम को सुदृढ़ करने के लिए, मंत्रालय ने डाटा–आधारित शासन और आधारभूत संरचना की देखरेख में सहायक एकीकृत डिजिटल प्रणालियों को क्रियान्वित किया है। कार्य–निष्पादन स्मार्टबोर्ड एक केंद्रीकृत प्रमुख निदर्शन संकेतक (केपीआई) डैशबोर्ड के रूप में कार्य करता है, जिसमें बाजार सहायता, ऋण और वित्त सुविधा, प्रौद्योगिकी अवसंरचना और सशक्तीकरण, उद्यमिता विकास, शिकायत निवारण तंत्र, प्रमुख स्कीमें और उद्यम पोर्टल की जानकारी जैसे विषयगत क्षेत्र शामिल हैं। यह एपीआई–आधारित डेटा एकीकरण और विषयगत क्लस्टरिंग का उपयोग करके पारदर्शिता और साक्ष्य–आधारित समीक्षा को बढ़ावा देता है।

कार्यनिष्पादन स्मार्टबोर्ड –सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस–एनएमपी) के अनुरूप, मंत्रालय ने 8 जीआईएस विषयगत स्तरों और 44 उप–स्तरों में लगभग एक लाख एमएसएमई संपत्तियों का भू–मानचित्रण पूरा कर लिया है, जिसमें जेड–प्रमाणित एमएसएमई और 93,823 पीएमईजीपी लाभार्थी शामिल हैं, जो त्रिस्तरीय सत्यापन, लाइव डैशबोर्ड और आवधिक अपडेट द्वारा समर्थित है।

आंतरिक आईटी इन्वेंटरी मैनेजमेंट पोर्टल, एमएसएमई वेब अनुप्रयोगों की केंद्रीकृत निगरानी प्रदान करता है, जिसमें केंद्रीकृत एप्लिकेशन रजिस्ट्री, होस्टिंग विजिबिलिटी, सुरक्षा ऑडिट ट्रैकिंग, नवीनीकरण अलर्ट के साथ एसएसएल प्रमाणपत्र निगरानी, एपीएम टूल के माध्यम से वास्तविक समय में सर्वर और संसाधन निगरानी, प्रणाली स्वास्थ्य विश्लेषण, स्वचालित जोखिम अलर्ट और डेटा एकीकरण ट्रैकिंग शामिल हैं। ये सभी मिलकर डिजिटल सेवाओं के संचालन, अनुपालन, विश्वसनीयता और साइबर सुरक्षा को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय का आईटी और आयोजना प्रभाग नियमित रूप से ई–ऑफिस और वीपीएन खातों की निगरानी और समीक्षा करता है और अनधिकृत या अनावश्यक उपयोग को रोकने के लिए उन्हें हटाने या स्थानांतरित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करता है।

5.6.3. साइबर सुरक्षा सुदृढ़ीकरण और अनुपालन

मंत्रालय ने एमएसएमई के लिए जागरूकता, निगरानी और स्पष्ट दिशा–निर्देशों के माध्यम से साइबर सुरक्षा को मजबूत किया है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह 2025 ("साइबर जागृत भारत") के दौरान, सीईआरटी–इन के सहयोग से 15 प्रमुख साइबर सुरक्षा तत्वों पर एक जागरूकता सत्र आयोजित किया गया था।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के एक योग के रूप में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सचिव की अध्यक्षता में "साइबर जागृत भारत की ओर साइबर लचीलापन निर्माण" विषय पर एक और ज्ञान सत्र का हाइब्रिड मोड में आयोजन किया गया। इस सत्र में उभरते डिजिटल खतरों, वित्तीय धोखाधड़ी और निवारण तंत्र से संबंधित विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया। हाइब्रिड सत्र में मंत्रालय, इसके संगठनों, क्षेत्रीय कार्यालयों, एमएसएमई संघों और एमएसएमई के अधिकारियों सहित 1,500 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया। प्रमुख अतिथि वक्ताओं में इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) विशेष प्रकोष्ठ, दिल्ली पुलिस, एचडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

एनआईसी के साथ फ़िशिंग सिमुलेशन अभ्यास के साथ–साथ ईमेल, बैनर, कियोस्क और डिजिटल चैनलों के माध्यम से निरंतर जागरूकता संदेश प्रसारित किए गए। 2025 में, सीईआरटी–इन को तीस साइबर घटनाओं की सूचना मिली, जिनकी औसत प्रतिक्रिया अवधि 4.2 घंटे थी, और एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस सिस्टम के माध्यम से इकतालीस मैलवेयर खतरों को क्वारंटाइन किया गया।

मंत्रालय परिसंपत्ति प्रबंधन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेस कंट्रोल और घटना प्रतिक्रिया में सुधार के लिए सीईआरटी–इन के 15 मौलिक साइबर रक्षा नियंत्रणों का कार्यान्वयन कर रहा है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को साइबर खतरे से सुरक्षित रहने में सक्षम बनाने के लिए एक साइबर सुरक्षा नागरिक चार्टर तैयार किया गया है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर सरल, आसानी से समझ में आने वाली भाषा में पोस्ट किया गया है।

अध्याय 6

पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, दिव्यांगजन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित क्रियाकलाप

6.1. पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु क्रियाकलाप (एनईआर)

6.1.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के कल्याण एवं विकास के लिए मंत्रालय के वार्षिक बजट का 10% निर्धारित करने की सरकार की पहल के अनुरूप, वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान (बीई) में विशेष रूप से इस क्षेत्र के लिए 1186 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। यह आवंटन इन क्षेत्रों में एमएसएमई मंत्रालय की स्कीमों तथा कार्यक्रमों का समर्थन एवं संवर्धन करता है तथा यह असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों को कवर करता है।

वर्ष 2021–22 से 2025–26 (दिनांक 31.12.2025 तक) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजटीय परिव्यय और व्यय

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल आवंटित बजट	पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) को 10% बजट आवंटन	कुल व्यय –पूर्वोत्तर
2021-22	15,699.65	1,622.73	1,611.68
2022-23	21,422.00	2,743.22	2,752.68
2023-24	22,138.01	2,310.38	2,341.01
2024-25	17,306.73	1,711.00	842.05
2025-26	12,095.98	1,186.91	501.89

6.1.2. ''पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन'' स्कीम

प्रस्तावना: इस स्कीम का शुभारंभ वर्ष 2016 में किया गया था। इसे 15वें वित्त आयोग (वर्ष 2021–2026) के दौरान 295.00 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ कार्यान्वयन के लिए आगे जारी रखा गया था।

यह स्कीम पूर्वोत्तर क्षेत्र में एमएसएमई के लिए अवसंरचना और सामान्य सुविधाओं को बनाने या उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद एवं प्रक्रिया नवप्रवर्तनों तथा कौशल क्रियाकलापों को पूरा किया जा सके।

स्कीम के घटक:

1. **नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों का आधुनिकीकरण:**

उद्देश्य: इस स्कीम में नए टूल रूमों/मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए

राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में उपलब्ध फलों, मसालों, कृषि, वानिकी, रेशम उत्पादन और बांस आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों हेतु विनिर्माण, परीक्षण, पैकेजिंग, अनुसंधान और विकास, उत्पाद एवं प्रक्रिया नवाचार तथा प्रशिक्षण की पूर्ति के लिए सामान्य सुविधाओं के निर्माण हेतु परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है। परियोजना की जियो–टैगिंग अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता: भारत सरकार की अधिकतम सहायता 13.50 करोड़ रु. अथवा परियोजना लागत की 90% राशि में से जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी। शेष राशि एवं अतिरिक्त राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। भारत सरकार की अवसंरचना के उन्नयन हेतु निर्माण लागत में लगने वाली सहायता 1.00 करोड़ रुपये तक सीमित होगी, जो भारत सरकार की कुल स्वीकार्य सहायता के अधीन है। भारत सरकार की वित्तीय सहायता भूमि लागत के लिए स्वीकार्य नहीं है।

2. **नए और मौजूदा औद्योगिक एस्टेट का विकास:**

उद्देश्य: भारत सरकार नए और मौजूदा औद्योगिक एस्टेटों, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। अवसंरचना सुविधाओं में ऊर्जा वितरण प्रणाली, जल, दूरसंचार, जल निकास और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, सड़क, भंडार और विपणन केंद्र आदि शामिल हैं। परियोजना की जियो–टैगिंग अनिवार्य है।

वित्तीय सहायता: भारत सरकार से अधिकतम सहायता नए औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 13.50 करोड़ रु. अथवा मौजूदा औद्योगिक एस्टेट के विकास के लिए 9.00 करोड़ रु. अथवा परियोजना लागत की 90% राशि में से जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी। शेष और अतिरिक्त राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

3. **पर्यटन क्षेत्र का विकास:**

उद्देश्य: पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में पर्यटन क्षेत्र में निहित अत्यधिक संभावनाओं को देखते हुए, होमस्टे के क्लस्टर में रसोई, बेकरी, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग, रेफ्रीजरेशन और शीतागार, आईटी अवसंरचना पेयजल, स्थानीय उत्पादों के लिए प्रदर्शनी केंद्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम केंद्र आदि जैसी सामान्य सेवाओं के सृजन की परियोजनाओं हेतु विचार किया जा सकता है। स्थानीय एमएसई के साथ परियोजनाओं का संपर्क होना चाहिए। पर्यटन विकास हेतु राज्य पर्यटन विकास एजेंसी अथवा केंद्र/राज्य स्वायत्त निकायों की परियोजनाओं को अनुमति दी जाएगी।

अनिवार्य आवश्यकताएं निम्नलिखित होंगी––

(क) परियोजना की जियो टैगिंग;

(ख) पर्यटन मंत्रालय द्वारा डीपीआर का सत्यापन;

(ग) न्यूनतम लाभार्थियों की संख्या– 10 एमएसई (पर्यटन सेवाओं में);

(घ) लाभार्थियों को अनिवार्य रूप से किसी प्रसिद्ध ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाना चाहिए।

वित्तीय सहायता: भारत सरकार की सहायता 4.50 करोड़ रु. अथवा परियोजना लागत की 90% राशि में से जो भी कम हो, तक सीमित रहेगी। शेष और अतिरिक्त राशि का योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

अभीष्ट लाभार्थी: पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी एमएसएमई

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियां: वर्ष 2016 में स्कीम की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 73 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और स्कीम के अंतर्गत (दिनांक 31.12.2025 के स्थिति के अनुसार) 319.34 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

स्कीम के अंतर्गत भौतिक उपलब्धियां (राज्य–वार):

क्र. सं.	राज्य और अन्य क्रियाकलाप	मिनी तकनीकी केंद्र	औद्योगिक एस्टेट/ फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स	अन्य गतिविधियों के अंतर्गत परियोजनाएं*	कुल
1	अरुणाचल प्रदेश	00	01	00	01
2	असम	01	26	01	28
3	मेघालय	00	07	00	07
4	मिजोरम	00	06	00	06
5	नागालैंड	03	05	01	09
6	सिक्किम	03	06	02	11
7	त्रिपुरा	01	04	00	05
	अध्ययन*	00	00	04	04
	प्रशिक्षण*	00	00	02	02
कुल		**08**	**55**	**10**	**73**

**नवीनतम दिशानिर्देशों के अंतर्गत कुछ घटकों को बंद कर दिया गया है।*

दिनांक 23.06.2025 को आयोजित पीएएमसी की 12वीं बैठक में कुल 08 (आठ) औद्योगिक एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल परियोजना लागत 114.37 करोड़ रुपये है तथा भारत सरकार द्वारा 89.60 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

6.1.3. पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु केवीआईसी

6.1.3.1. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का गुवाहाटी में एक जोनल कार्यालय और पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य फील्ड कार्यालय हैं। इन क्षेत्रों में केवीआई कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य केवीआई बोर्डों, पंजीकृत संस्थानों, सहकारी समितियों और उद्यमियों के माध्यम से किया जा रहा है।

केवीआईसी ने पूर्वोत्तर भारत के खादी संस्थानों (केआई) के साथ मिलकर दक्षिण कोरिया के सियोल में दिनांक 6 से 8 नवंबर, 2025 तक आयोजित *"सेलिब्रेटिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल"* नामक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसका आयोजन गुवाहाटी स्थित एनईआईएफटी द्वारा वैश्विक स्तर पर "खादी इंडिया" ब्रांड को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।

6.1.3.2. इन पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे ग्रामोद्योगों में फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, मधुमक्खी पालन, अनाज और दालों का प्रसंस्करण, मिट्टी के बर्तन, रेशा, साबुन, बेंत और बांस, बढ़ईगिरि और लोहार उद्योग; तथा खादी और पॉलीवस्त्र क्रियाकलाप भी शामिल हैं।

6.1.3.3. पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगः

वर्ष 2025–26 (दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी# का राज्य–वार भौतिक कार्य–निष्पादन

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन (लाख रु. में)	बिक्री (लाख रु.में)	संचयी रोजगार (संख्या में)
1	अरुणाचल प्रदेश	17.08	71.82	46
2	असम	1251.14	1938.97	7532
3	मणिपुर	80.93	108.92	247
4	मेघालय	20.62	30.79	87
5	मिजोरम	2.53	7.08	18
6	नागालैंड	39.62	91.42	434
7	सिक्किम	22.94	60.95	41
8	त्रिपुरा	2.10	52.08	37
	कुल	**1436.96**	**2362.03**	**8442**

 # पॉलीवस्त्र और सोलरवस्त्र सहित

वर्ष 2025–26 (दिनांक 31–03–2025 तक) के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में खादी# का राज्य–वार भौतिक कार्य–निष्पादन

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन (लाख रु. में)	बिक्री (लाख रु.में)	संचयी रोजगार (संख्या में)
1	अरुणाचल प्रदेश	25.51	97.25	62
2	असम	1868.80	2595.48	10185
3	मणिपुर	118.00	141.93	334
4	मेघालय	29.76	40.74	117
5	मिजोरम	4.25	9.20	24
6	नागालैंड	58.47	120.90	586
7	सिक्किम	34.02	80.16	56
8	त्रिपुरा	3.19	68.34	50
	कुल	**2142**	**3154.00**	**11414**

 # पॉलीवस्त्र और सोलरवस्त्र सहित

29 अक्तूबर 2025 को, माननीया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) राज्य मंत्री, सुश्री शोभा करांदलाजे ने पूर्वोत्तर राज्य के बिश्वनाथ चरली जिले का दौरा किया और सभी केवीआईसी और एमएसएमई कार्यक्रमों की समीक्षा की।

6.1.3.4. पीएमईजीपी के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए केवीआईसी द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं

(i) वर्ष 2024–25 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 231.41 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी का उपयोग करके कुल 7,840 पीएमईजीपी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है। कुल 3116 पीएमईजीपी परियोजनाओं को मार्जिन मनी सब्सिडी का उपयोग करके सहायता प्रदान की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2025–26 (दिनांक 31.12.2025 तक) के दौरान 90.15 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी का उपयोग करके कुल 3116 पीएमईजीपी परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2025–26 (दिनांक 31.12.2025 तक) के दौरान पीएमईजीपी का कार्य–निष्पादन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य	उपयोग की गई मार्जिन मनी (लाख रु. में)	सहायता प्राप्त इकाइयां (संख्या में)	अनुमनित सृजित रोजगार (संख्या में)
1	अरुणाचल प्रदेश	403.94	61	488
2	असम	3973.45	1347	10776
3	मणिपुर	646.35	274	2192
4	मेघालय	1114.06	341	2728
5	मिजोरम	627.67	166	1328
6	नागालैंड	817.84	426	3408
7	सिक्किम	561.34	170	1360
8	त्रिपुरा	870.37	331	2648
	कुल	**9015.02**	**3116**	**24928**

6.1.3.5. वित्तीय वर्ष 2021–22 से वित्तीय वर्ष 2025–26 तक (31.12.2025 तक) पूर्वोत्तर क्षेत्र में पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता–प्राप्त, राज्य–वार सूक्ष्म उद्यम (परियोजनाएं) (नई पीएमईजीपी इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के लिए दूसरी किश्त हेतु)।

राज्य	2021-22	2022-23	2023 - 24	2024-25	2025-26*
अरुणाचल प्रदेश	196	158	169	156	61
असम	3855	2596	2417	3170	1347
मणिपुर	1139	545	348	608	274
मेघालय	699	306	280	1114	341
मिजोरम	650	412	401	484	166
नागालैंड	1241	469	517	1262	426
सिक्किम	85	57	132	316	170
त्रिपुरा	958	703	588	730	331
कुल	**8823**	**5246**	**4852**	**7840**	**3116**

* *दिनांक 31.12.2025 तक*

6.1.4. पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएसआईसी के क्रियाकलाप

6.1.4.1. गुवाहाटी में एमएसएमई मार्केटिंग कॉन्क्लेव

एनएसआईसी द्वारा 30 अक्तूबर 2025 को असम के गुवाहाटी स्थित एएसएफईडीसी सभागार में एमएसएमई विपणन सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन एमएसएमई मंत्रालय की व्यापार सक्षमता एवं विपणन (टीम) पहल के अंतर्गत रैंप कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं। सम्मेलन में टीम पहल पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका उद्देश्य डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए अगले दो वर्षों में 5 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यमों, विशेष रूप से महिला उद्यमियों को डिजिटल रूप से जोड़ना है।

एमएसएमई मार्केटिंग कॉन्क्लेव उद्घाटन में दीप प्रज्वलित करते हुए माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री

6.1.4.2. एनएसआईसी गुवाहाटी प्रशिक्षण केंद्र में माननीया राज्य मंत्री का दौरा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने दिनांक 30 अक्तूबर 2025 को एनएसआईसी गुवाहाटी प्रशिक्षण केंद्र का दौरा किया। इस दौरे के दौरान, माननीया राज्य मंत्री ने एनएसआईसी की कौशल विकास और उद्यमिता पहलों की सराहना की और महिला प्रशिक्षुओं की उच्च संख्या पर संतोष व्यक्त किया। सफल प्रशिक्षुओं को प्रमाण–पत्र वितरित किए गए और उन्हें प्रशिक्षण पूरा होने पर विभिन्न सरकारी स्कीमों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उन्होंने सूक्ष्म उद्यम सृजन को बढ़ावा देने के लिए एनएसआईसी प्रशिक्षण केंद्र के निरंतर प्रयासों की प्रशंसा की।

माननीया राज्य मंत्री एनएसआईसी गुवाहाटी प्रशिक्षण केंद्र में सफल प्रशिक्षु को प्रमाण–पत्र प्रदान करते हुए

6.2. महिलाओं के कल्याण के उद्देश्य से किए जाने वाले क्रियाकलाप

6.2.1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत, महिला लाभार्थियों को अधिक सब्सिडी प्राप्त करने और स्वयं का कम योगदान देने का अधिकार है। इसकी स्थापना के बाद से (अर्थात् वर्ष 2008–09 से दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक), पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमियों की कुल 3,57,658 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है।

पिछले पांच वर्षों (2021–22 से 2025–26) और चालू वर्ष में 31 दिसंबर 2025 तक महिला लाभार्थियों की संख्या से संबंधित संचयी डाटा निम्नानुसार हैं:

वर्ष	पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमी
2021-22	39,156
2022-23	32,626
2023-24	36,806
2024-25	23,434
2025-26 (दिनांक 31.12.2025 तक)	23,444

6.2.2 मंत्रालय के संगठनों द्वारा शुरू की गई स्कीमों और कार्यक्रमों का प्राथमिक उद्देश्य एमएसएमई के विकास में तेजी लाने के लिए आवश्यक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना और उन्हें सुविधाजनक बनाना है। तथापि, कुछ स्कीमें और कार्यक्रम ऐसे हैं जो विशेष रूप से व्यक्तिगत लाभार्थियों के लिए उन्मुख हैं। इसके अतिरिक्त, कई स्कीमें महिलाओं के लिए अतिरिक्त लाभ, रियायतें और वितीय सहायता प्रदान करती हैं। इन रियायतों के बारे में विस्तृत जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.msme.gov.in पर उपलब्ध स्कीम दिशानिर्देशों में दी गई है।

6.3. दिव्यांगजनों का कल्याण

6.3.1 मंत्रालय दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 'आरक्षण रोस्टर' रखता है। मंत्रालय और इसके संबद्ध विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालयों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 100–बिंदु रोस्टर से उत्पन्न रिक्तियों वाले पदों को भरने के लिए नियमित रूप से कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के अनुदेशों के अनुरूप मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को विभिन्न सुविधाएं, जैसे वाहन भत्ते प्रदान किए जाते हैं।

6.3.2 एमएसएमई मंत्रालय के एनएसआईसी और निम्समे जैसे संगठन, उद्यमिता विकास और संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आरक्षण तथा प्राथमिकताएं प्रदान कर रहे हैं। इन पहलों का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के विकास और सशक्तीकरण में सहायता प्रदान करना है।

6.3.3 **पीएमईजीपी** – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों को विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो उच्च दर की सब्सिडी और कम अंशदान के हकदार हैं। शुरूआत से लेकर (अर्थात वर्ष 2008–09 से 31 दिसंबर 2025 तक) अब तक, पीएमईजीपी के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कुल 6,005 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई है।

पिछले पांच वर्षों (2021–22 से 2025–26) और चालू वर्ष में 31 दिसंबर 2025 तक दिव्यांग लाभार्थियों की संख्या का डेटा निम्नानुसार हैं:

वर्ष	पीएमईजीपी के अंतर्गत पीएचसी उद्यमी (लाभार्थी)
2021-22	484
2022-23	433
2023-24	349
2024-25	213
2025-26 (दिनांक 31.12.2025 तक)	199

6.4. अंतरराष्ट्रीय सहयोग

6.4.1. अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम

➢ अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई को विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में भाग लेने की सुविधा प्रदान करके निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए क्षमता निर्माण करना है।

- इस स्कीम के अंतर्गत, विदेशों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने, भारत में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के साथ–साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, संयुक्त उद्यम आदि के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र केंद्रीय/राज्य सरकार संगठनों/उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- स्कीम के **बाजार विकास सहायता घटक** के अंतर्गत, वर्ष 2025 के दौरान 22 अंतरराष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी के माध्यम से कुल 293 (एमएसएमई) को सुविधा प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, भारत में आयोजित 18 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेकर 5252 एमएसएमई को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुआ है।

- स्कीम के **प्रथम निर्यातकों की क्षमता निर्माण (सीबीएफटीई) घटक** के अंतर्गत, वर्ष 2025 के दौरान, कुल 19 सूक्ष्म और लघु उद्यमों को आरसीएमसी (पंजीकरण–सह–सदस्यता प्रमाण पत्र) प्रभार की प्रतिपूर्ति के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है।

6.4.2 बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मामले:

एमएसएमई क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सशक्त करने के लिए, मंत्रालय ने ट्यूनीशिया, रोमानिया, रवांडा, मैक्सिको, उज्बेकिस्तान, लेसोथो, श्रीलंका, अल्जीरिया, सूडान, कोट डी आइवर, मिस्र, दक्षिण कोरिया, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, वियतनाम, स्वीडन, यूएई, अमेरिका और मॉरीशस के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) और संयुक्त कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए हैं।

- **समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर:**

  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और मॉरीशस गणराज्य के उद्योग, एसएमई एवं सहकारिता मंत्रालय (एसएमई प्रभाग) के बीच दिनांक 10 मार्च, 2025 को एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

  - एनएसआईसी और किंगडम ऑफ थाईलैंड के लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्धन कार्यालय (ओएसएमईपी) के बीच एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के लिए दिनांक 3 अप्रैल, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

  - एनएसआईसी और स्लोवाक गणराज्य की स्लोवाक बिजनेस एजेंसी (एसबीए) के बीच एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग के लिए दिनांक 9 अप्रैल, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

  - एनएसआईसी तथा मलेशिया के लघु एवं मध्यम उद्यम निगम के बीच एमएसएमई के क्षेत्र में सहयोग के लिए दिनांक 16 अक्तूबर, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

- **निर्यात संवर्धन परिषद के साथ समझौता ज्ञापन**

एमएसएमई मंत्रालय और आयुष निर्यात संवर्धन परिषद के बीच दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन के अनुसार, इस परिषद को आईसी स्कीम के अंतर्गत प्रथम पीढ़ी के निर्यातकों (सीबीएफटीई) के क्षमता निर्माण घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

- **द्विपक्षीय बैठकें:**

  - **भारत–जर्मनी एमएसएमई सहयोग बैठक:** एमएसएमई मंत्री और जर्मन एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम–साइज्ड एंटरप्राइजेज (बीवीएमडब्ल्यू) के प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक, जिसका नेतृत्व

बीवीएमडब्ल्यू के प्रबंध निदेशक और संघीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष श्री क्रिस्टोफ अहल्हौस ने किया, दिनांक 17 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार साझेदारी, विशेष रूप से जर्मनी के जेडआईएम कार्यक्रम के माध्यम से, पर विचार–विमर्श किया और लचीली मूल्य श्रृंखलाओं के निर्माण तथा संयुक्त ढाँचों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माननीय मंत्री और जर्मनी की बीवीएमडब्ल्यू के प्रबंध निदेशक और संघीय कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल की बैठक

- **भारत–मॉरीशस सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहयोग बैठक:** दिनांक 21 फरवरी, 2025 को नई दिल्ली में भारत गणराज्य की माननीया राज्य मंत्री, एमएसएमई मंत्रालय और मॉरीशस गणराज्य के माननीय उद्योग, एसएमई और सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के बीच एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में एमएसएमई मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने उत्तम कार्यशैली, प्रौद्योगिकी के संभावित आदान–प्रदान और एमएसएमई के विकास के लिए सहयोग पर चर्चा की।
- भारत–जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धा साझेदारी (आईजेआईसीपी) के अंतर्गत गठित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) की 5वीं बैठक 23 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत की ओर से बैठक का नेतृत्व एमएसएमई मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने और जापान की ओर से अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमईटीआई) के दक्षिण–पश्चिम एशिया कार्यालय के निदेशक श्री तोशियुकी शिमानो ने किया।

अध्याय 7

सामान्य और सांविधिक दायित्व

7.1 राजभाषा

7.1.1 सरकारी नीति में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की परिकल्पना की गई है। वर्ष के दौरान, एमएसएमई मंत्रालय ने राजभाषा नीति के अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर जारी भारत सरकार के विभिन्न आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय किए।

7.1.2 एमएसएमई मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 (समय–समय पर संशोधित) का कार्यान्वयन कर रहा है। मंत्रालय हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा बनाने और संसदीय राजभाषा समिति की अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

7.1.3 वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन में, संसदीय स्थायी समिति, कैबिनेट नोट्स, अधिसूचनाएं, संकल्प, अनुबंध, करार, निविदा प्रपत्र और नोटिस, नियमावली, संसदीय प्रश्न और उत्तर, संसद के दोनों सदनों में रखे गए कागजात, प्रशासनिक रिपोर्ट आदि से संबंधित दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए। सभी विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी किये जाते हैं। मंत्रालय की वेबसाइट मुख्य रूप से हिंदी में है और इसे द्विभाषी रूप से अद्यतन रखने का प्रयास किया जा रहा है। राजभाषा नियमावली के नियम 5 का पूर्णतः पालन किया जाता है तथा हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं।

7.1.4 हिंदी के उपयोग में प्रगति की समीक्षा के लिए मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों की निगरानी को सुदृढ़ किया गया और मंत्रालय की टीम ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बेंगलुरु के राज्य कार्यालय; राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के आंचलिक कार्यालय, बेंगलुरु; निम्समे, हैदराबाद और एनएसआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली का निरीक्षण किया। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुझाव दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी कार्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

7.1.5 इसके अलावा, संसदीय राजभाषा समिति ने केंद्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु सहित मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों; एमएसएमई विकास कार्यालय, बेंगलुरु; केवीआईसी राज्य कार्यालय, देहरादून; एनएसआईसी लिमिटेड, नोएडा; एमएसएमई विकास कार्यालय शाखा, ग्वालियर; और विद्युत माप उपकरण डिजाइन संस्थान, मुंबई का निरीक्षण किया। समिति ने लगभग सभी निरीक्षणों में हिन्दी की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इन निरीक्षणों में उप महानिदेशक (प्रभारी, राजभाषा) एवं अन्य नामित अधिकारियों ने मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया।

7.1.6 राजभाषा विभाग के दिशा–निर्देशों एवं संसदीय राजभाषा समिति की अपेक्षाओं के अनुरूप माननीय एमएसएमई मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

7.1.7 **हिंदी दिवस:** सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रालय में सितंबर, 2025 को हिंदी माह के रूप में मनाया गया। इस अवधि के दौरान, ग्यारह (11) हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्तरों के अधिकारियों और कर्मचारियों की रिकॉर्ड भागीदारी देखी गई।

7.1.8 कई नई और अभिनव प्रतियोगिताएं शुरू की गईं, जिनमें वाचन, चित्र विश्लेषण, कथा–कहन, अनुच्छेद लेखन और हिंदी व्याकरण, राजभाषा ज्ञान और शब्द–सामर्थ्य प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इन पहलों का उद्देश्य पारंपरिक प्रारूपों की एकरसता को तोड़ना और प्रतिभागियों को नवीनता का अनुभव प्रदान करना था, जिससे उत्साही और निरंतर जुड़ाव को प्रोत्साहित किया जा सके।

7.1.9 हिंदी भाषा दक्षता के विभिन्न आयामों में प्रतिभागियों का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए प्रतियोगिताओं को सावधानीपूर्वक संरचित किया गया था। उदाहरण के लिए, वाचन प्रतियोगिता शुद्ध उच्चारण और अभिव्यक्ति पर केंद्रित थी, जिसमें गद्य अंश, कविता और ग़ज़ल सहित विविध विषयों से संबंधित सामग्री शामिल थी। संभवतः एमएसएमई मंत्रालय एकमात्र मंत्रालय है जिसने हिंदी माह के दौरान इस तरह की विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया है।

7.1.10 डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप, पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करते हुए विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि ऑनलाइन अंतरित की गई।

7.1.11 मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में भी हिंदी पखवाड़ा/सप्ताह/माह समान उत्साह से मनाया गया। विशेष रूप से, पहली बार, माननीय एमएसएमई मंत्री और माननीया राज्य मंत्री का संयुक्त हिंदी दिवस संदेश सभी अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किया गया तथा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया गया, जो आधिकारिक संचार में हिंदी को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करता है।

हिंदी प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी

7.1.12 मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यशालाओं में "राजभाषा अनुपालन और तिमाही प्रगति रिपोर्ट को भरना" और "सरकारी काम–काज में ई–टूल्स और एआई का उपयोग" जैसे विषय शामिल थे। कार्यशालाओं में सघन भागीदारी देखी गई और सत्र के दौरान प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का त्वरित समाधान किया गया। इसी प्रकार, मंत्रालय के सभी अनुभागों के साथ–साथ इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों से प्राप्त रिपोर्ट राजभाषा विभाग के पोर्टल पर समयबद्ध तरीके से प्रस्तुत और अपलोड की गईं।

7.1.13 राजभाषा नियमावली के नियम 10(4) के अंतर्गत ऐसे पांच अधीनस्थ कार्यालय अधिसूचित किए गए, जहां 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इनमें विद्युत माप उपकरण डिजाइन संस्थान, मुंबई; एमएसएमई विकास और सुविधा कार्यालय, बेंगलुरु; इंडो जर्मन टूल रूम, इंदौर; एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र, भोपाल; और विकास कार्यालय, कोलकाता शामिल हैं। मुख्यालयों को कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यताओं को बार–बार अद्यतन करने और नियम 10(4) के अंतर्गत पात्र कार्यालय को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू करने और कर्मचारियों को हिंदी में कुशल बनाने के लिए रोस्टर तैयार करने का निर्देश दिया गया। राजभाषा प्रावधानों और नियमित हिंदी पदों को भरने की व्यवस्था के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निगरानी तेज की गई।

7.1.14 प्रगामी रिपोर्ट पर चर्चा के लिए मंत्रालय में उप महानिदेशक (प्रभारी, राजभाषा) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गईं। एक अभिनव पहल के रूप में, प्रतिभागियों को राजभाषा से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बारे में जागरूक करने के लिए पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू किया गया है।

7.1.15 मंत्रालय ने माननीय मंत्री और माननीया राज्य मंत्री की उपस्थिति में दिनांक 03.02.2026 को राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर मंत्रालय की हिंदी पत्रिका "उद्यमी मित्र" के प्रवेशांक और एमगिरी, वर्धा की पत्रिका "ग्रामीण उद्यमिता" के दूसरे अंक का विमोचन किया गया। मंत्रालय और विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय में आयोजित हिंदी माह–2025 प्रतियोगिताओं के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए।

7.1.16 सम्मेलन में लगभग 120 अधिकारियों और कर्मचारियों ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, जबकि लगभग 240 अधीनस्थ कार्यालयों ने ऑनलाइन भाग लिया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवयित्री सुश्री प्रियंका राय नंदिनी का काव्य पाठ और केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषिक प्रावधान पर एक सत्र शामिल था। अपने संबोधन में, माननीय मंत्री और माननीया राज्य मंत्री ने मंत्रालय की स्कीमों के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए रोजमर्रा के संचार में हिंदी के उपयोग पर जोर दिया और कहा कि ऐसे सम्मेलन आधिकारिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देते हैं और अधिकारियों को प्रेरित करते हैं।

माननीय मंत्री और माननीया राज्य मंत्री उद्यमी मित्र का शुभारंभ और हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित करते हुए

7.2 सतर्कता

7.2.1 एमएसएमई मंत्रालय में स्थापित सतर्कता का नेतृत्व संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो मंत्रालय के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्यरत हैं। सीवीओ केंद्रीय सतर्कता आयोग और जांच एजेंसियों के परामर्श से सभी सतर्कता मामलों के लिए नोडल बिंदु के रूप में भी कार्यरत हैं।

7.2.2 मंत्रालय हितधारकों के बीच सतर्कता के बारे में अधिक जागरूकता सृजित करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निर्देशों का कार्यान्वयन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, मंत्रालय/संबद्ध कार्यालय/मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संदर्भ/सतर्कता शिकायतों का, जहां भी लागू हो, केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से जांच/निपटान किया गया।

7.2.3 मंत्रालय का सतर्कता प्रभाग एमएसएमई मंत्रालय के मामलों में सतर्कता शिकायतों और अपीलों का निपटान करता है। यह मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों के कर्मचारियों द्वारा उन पर लगाए गए जुर्माने पर की गई अपीलों पर सतर्कता टिप्पणियाँ भी प्रदान करता है। सतर्कता प्रभाग द्वारा निष्पादित प्रमुख कार्यः

i. स्पैरो की ऑनलाइन प्रणाली सहित अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का रख–रखाव।

ii. कर्मचारियों के वार्षिक संपत्ति रिटर्न विवरण सहित सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के अंतर्गत आने वाले सभी मामले।

iii. प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सतर्कता मंजूरी।

iv. सीवीसी के साथ संचार और एमएसएमई मंत्रालय के अनुशासनात्मक मामलों में उनकी सलाह लेना।

7.2.4 एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों में अलग सतर्कता प्रभाग हैं। इन संगठनों में सतर्कता प्रभागों का नेतृत्व संगठनों के संबंधित प्रमुखों की सहायता के लिए काफी उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

7.2.5 **सतर्कता पर वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठकः** मुख्य सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की

अध्यक्षता में दिनांक 30.12.2025 को एमएसएमई क्षेत्र के साथ पहली वार्षिक क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निवारक सतर्कता, प्रणालीगत सुधार और सुशासन पर ध्यान केंद्रित किया गया। मंत्रालय द्वारा अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के महत्त्व के साथ–साथ डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी को अपनाने से संबंधित प्रमुख पहलों, जिसमें पीएम विश्वकर्मा स्कीम का कार्यान्वयन भी शामिल है, पर प्रकाश डाला गया। एमएसएमई मंत्रालय के सीवीओ ने मौजूदा सतर्कता परिदृश्य और जारी पहलों को प्रस्तुत किया, इसके बाद सीवीओ द्वारा संगठन–वार प्रस्तुतियां दी गईं।

7.2.6 बैठक में सतर्कता फ्रेमवर्क को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई योग्य उपाय किए गए, जिनमें अनुशासनात्मक कार्यवाही में तेजी लाना, सतर्कता निरीक्षण को सुदृढ़ करना, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट को समय पर प्रस्तुत करना, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण, संवेदनशील पदों पर अधिकारियों का रोटेशन, पीआईडीपीआई शिकायतों की बेहतर हैंडलिंग और स्वायत्त निकायों के लिए लोक प्रापण नीति (एमएसई आदेश, 2012) की प्रयोज्यता पर स्पष्टता शामिल हैं।

7.2.7 सतर्कता जागरूकता सप्ताहः

- एमएसएमई मंत्रालय ने केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा दिए गए विषय के साथ 27 अक्तूबर, 2025 से 2 नवंबर, 2025 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनायाः

''सतर्कताः हमारी साझा जिम्मेदारी''
"Vigilance: Our Shared Responsibility"

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान, एमएसएमई मंत्रालय ने मंत्रालय स्तर के साथ–साथ इस मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों के माध्यम से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशाला/क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित किए। इससे कर्मचारियों में भ्रष्टाचार मुक्त रहकर कार्य करने/पारदर्शिता लाने, हर समय पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने की दिशा में कार्य करने के लिए जागरूकता सृजित होगी।
- ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के सभी अधिकारियों को आईगोट कर्मयोगी पोर्टल में सतर्कता परिप्रेक्ष्य प्रशिक्षण सौंपा गया था। सतर्कता जागरूकता अभियान के दौरान स्लोगन एवं निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया।
- 29 अक्तूबर 2025 को एमएसएमई सचिव की अध्यक्षता में एमएसएमई मंत्रालय में कर्तव्य भवन–3 में सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मंत्रालय के अधीनस्थ अन्य संगठनों के अधिकारी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। कार्यशाला में केंद्रीय सतर्कता आयोग के संयुक्त सचिव श्री नितिन कुमार भी उपस्थित थे।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने सतर्कता जागरूकता अभियान के समापन समारोह के रूप में 25 नवंबर, 2025 को मुंबई में मंत्रालय के अधीनस्थ अन्य संगठनों अर्थात कयर बोर्ड और एमगिरी की भागीदारी के साथ सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया।
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) ने सतर्कता जागरूकता अभियान के आलोक में ड्राइंग, नारा लेखन और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया और प्रतिभागियों को उनके सक्रिय योगदान के लिए सम्मानित किया। एनएसआईसी में 185 कर्मचारियों को विभिन्न सतर्कता संबंधी विषयों पर ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षित किया गया।

- मंत्रालय के अधीनस्थ संगठनों द्वारा अपने अधिकारियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए।

नैतिक पद्धतियों, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा 27 अक्तूबर 2025 को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा ली गई

7.3 राष्ट्रीय कर्मयोगी, वृहत जन सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धि

राष्ट्रीय कर्मयोगी, वृहत जन सेवा कार्यक्रम (आरके–एलएसजेएसपी) चरण II के अंतर्गत, 13 जनवरी, 2026 तक कुल 1,389 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके बाद, 14 जनवरी से 31 जनवरी, 2026 तक प्रोत्साहन प्रशिक्षण अभियान चलाए गए, जिसके दौरान 13 और बैच आयोजित हुए तथा 601 और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही, मंत्रालय और उससे जुड़े संगठनों में कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों की कुल संख्या 2,184 तक पहुंच गई, और एक दिवसीय प्रशिक्षण निर्धारित समय–सीमा के भीतर सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया।

7.4 नागरिक चार्टर

7.4.1 एमएसएमई मंत्रालय के लिए नागरिकों/क्लाइंट्स का चार्टर तैयार किया गया है और इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस चार्टर में मंत्रालय का एक घोषणापत्र है, जिसमें एमएसएमई और आम तौर पर भारत के लोगों के लिए उसका मिशन और प्रतिबद्धता शामिल हैं।

7.4.2 वार्षिक रिपोर्ट, एमएसएमई पत्रिका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हैंडबुक तथा नो योर लेंडर बुकलेट प्रकाशित हो चुकी हैं और ये उद्यमियों, नीति निर्माता और दूसरों की जानकारी के लिए उपलब्ध हैं। मंत्रालय की वेबसाइट, यानी www.msme.gov.in पर सभी आवश्यक सूचनाएं और इसके संगठनों के लिंक दिए गए हैं।

7.4.3 मंत्रालय का विस्तृत नागरिक/ग्राहक चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

7.4.4 **शिकायतें**: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने लोक शिकायत निवारण के लिए एक पोर्टल बनाया है– http://pgportal.gov.in. कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। डीएआरपीजी, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति सचिवालय को मिली सभी शिकायतें इस पोर्टल/सॉफ्टवेयर के

माध्यम से संबंधित मंत्रालयों को भेजी जाती हैं। दूसरे मंत्रालयों/अधीनस्थ संगठनों से जुड़ी शिकायतें ऑनलाइन अंतरित की जा सकती हैं। एमएसएमई मंत्रालय, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एनएसआईसी और दूसरे अधीनस्थ संगठनों को http://pgportal.gov.in का लिंक दिया गया है। वित्त वर्ष 2025–26 में पोर्टल पर कुल 3,65,68 शिकायतें प्राप्त हुईं और 3,57,06 (97%) का निपटारा किया गया, जिसका औसत निस्तारण समय 9 दिन था।

7.4.5 एमएसएमई मंत्रालय के पास एक विशेष शिकायत निवारण पोर्टल चैंपियंस है। एमएसएमई से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए पोर्टलः www.champions.gov.in है। वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, एमएसएमई मंत्रालय के चैंपियंस पोर्टल पर कुल 39,494 शिकायतें आईं, जिनमें से 39,387 का चैंपियंस कंट्रोल रूम ने सफलतापूर्वक समाधान किया। यह 99.72 प्रतिशत का निस्तारण दर दिखाता है, जो पोर्टल की सुदृढ़ जवाबदेही और इसकी शिकायत निवारण प्रणाली के असर को दिखाता है।

7.4.6 इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान, निस्तारित शिकायतों में से 25,503 शिकायतों (लगभग 64.75 प्रतिशत) का 48 घंटों के अंदर समाधान किया गया, जो एमएसएमई को समय पर पथ–प्रदर्शन सहायता देने की पोर्टल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

7.4.7 हाल ही में की गई पहलों में एमएसएमई मंत्रालय की शिकायत निवारण प्रणाली और उससे जुड़े पोर्टल्स की समय–समय पर समीक्षा शामिल है, जिसकी अध्यक्षता माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री करती हैं। इन समय–समय पर किए जाने वाले मूल्यांकन का उद्देश्य प्रणाली की जवाबदेही को सुदृढ़ करना, शिकायत के गुणवत्ता पहलू को बेहतर बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि एमएसएमई को समय पर और प्रभावी सहायता प्राप्त हो।

माननीया एमएसएमई राज्य मंत्री की अध्यक्षता में समय–समय पर समीक्षा बैठकें

7.4.8 सूचना एवं सुविधा काउंटर और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का पता, फोन और फैक्स नंबर निम्नानुसार हैं:

विवरण	वेबसाइट का पता	संगठन
1. शिकायत प्रकोष्ठ अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, कर्तव्य भवन–3, द्वितीय तल, जनपथ, नई दिल्ली– 110001 टेलीफोनः 23061277, फैक्सः 23061804	www.msme.gov.in	एमएसएमई मंत्रालय
	www.dcmsme.gov.in	विकास आयुक्त का कार्यालय
	www.nsic.co.in	एनएसआईसी, नई दिल्ली
	www.nimsme.org	निम्समे, हैदराबाद
	www.kvic.org.in	केवीआईसी, मुंबई
	www.coirboard.gov.in	कयर बोर्ड, कोच्चि
	www.mgiri.org	एमगिरी, वर्धा

7.5 सूचना का अधिकार

आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी के लिए, नागरिक किसी भी कार्य दिवस पर लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) से संपर्क कर सकते हैं।

मंत्रालय और इसके अंतर्गत आने वाले संगठनों के अन्य लोक प्राधिकारियों के बारे में पूरी जानकारी नियमित तौर पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी के विवरण संबंधित कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

7.6 यौन उत्पीड़न की रोकथाम

7.6.1 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय में एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है।

7.6.2 वर्ष 2025–26 के दौरान, पीओएसएच अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक शिकायत प्राप्त हुई है और आईसीसी ने अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसका निस्तारण कर दिया है।

7.6.3 महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली– ''शी–बॉक्स'' (सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक–बॉक्स) शुरू किया है, ताकि केंद्र सरकार की महिला कर्मचारी सीधे शिकायत कर सकें। मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों और संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के बीच इसका खूब प्रचार किया है।

7.6.4 कार्य–स्थल पर एक फिजिकल शी–बॉक्स लगाया गया है। वर्ष 2025–26 के दौरान एक कार्यशाला आयोजित की गई।

7.6.5 वर्ष 2025–26 के दौरान, मंत्रालय के कर्मचारियों में जागरूकता फैलाने के लिए दिनांक 12.11.2025 को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम विषय पर एक सेंसिटाइज़ेशन वर्कशॉप आयोजित की गई थी। आईसीसी की तिमाही बैठकें निरंतर आयोजित होती हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, रोक और निवारण) अधिनियम, 2013 पर सेंसिटाईज़ेशन कार्यशाला, 12 नवंबर, 2025

7.7 पदों और सेवाओं में आरक्षित श्रेणियों का प्रतिनिधित्व

एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत अलग–अलग संगठनों के लिए आरक्षण नीति को लागू करने से जुड़ी जानकारी नीचे दी गई है:

7.7.1 एमएसएमई मंत्रालयः

क) एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के संबंध में पदों और सेवाओं में प्रतिनिधित्व डेटाः

श्रेणी	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी
समूह क	11	1	9	0	0
समूह ख	23	2	23	4	0
समूह ग	9	2	13	3	0
कुल	**43**	**4**	**45**	**7**	**0**

ख) वर्ष के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियांः

ओबीसी	एससी	एसटी
13	4	3

ग) एससी/एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिकों के लिए संपर्क अधिकारी का विवरणः

- श्री सालिक परवेज़, निदेशक, ओबीसी
- श्रीमती सी.वी. शारदा, उप सचिव– ईएसएम, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी
- श्री अनिल कुमार, उप सचिव–एससी/एसटी

घ) आरक्षण सेल का विवरणः एमएसएमई मंत्रालय में आरक्षण सेल की स्थापना की गई है।

7.7.2 विकास आयुक्त का कार्यालय :

क) एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के संबंध में पदों और सेवाओं में प्रतिनिधित्व डेटाः

एससी= 284

एसटी= 136

ओबीसी= 343

ईडब्ल्यूएस = 36

पीडब्ल्यूडी = 21

ख) वर्ष के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियांः

एससी= शून्य

एसटी= शून्य

ओबीसी= शून्य

ईडब्ल्यूएस = शून्य

पीडब्ल्यूडी – 01

ग) एससी/एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिकों के लिए संपर्क अधिकारी का विवरण:

- श्री गौरव कटियार, निदेशक– एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए संपर्क अधिकारी
- श्री एस.के. वर्मा, निदेशक–ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए संपर्क अधिकारी

7.7.3 खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

क) एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के संबंध में पदों और सेवाओं में प्रतिनिधित्व डेटा:

श्रेणी	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी
समूह क	16	13	11	0	2
समूह ख	72	37	53	1	7
समूह ग	120	58	186	18	18
कुल	**208**	**108**	**250**	**19**	**27**

ख) वर्ष के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां:

ओबीसी	एससी	एसटी	ईडब्ल्यूएस
15	01	02	02

ग) एससी/एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिकों के लिए संपर्क अधिकारी का विवरण:

- श्री पी. नल्लामुथु, निदेशक एलओ (एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी)
- श्रीमती प्रणिता तम्हाने, निदेशक एलओ (ईडब्ल्यूएस)

घ) आरक्षण सेल का विवरण– एक वरिष्ठ कार्यकारी और संपर्क अधिकारी के साथ एससी/एसटी/ओबीसी/पीडब्ल्यूडी के लिए एक अलग आरक्षण सेल है। इसके अलावा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए एक संपर्क अधिकारी नामित किया गया है।

7.7.4 कयर बोर्ड :

क) एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के संबंध में पदों और सेवाओं में प्रतिनिधित्व डेटा:

श्रेणी	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी
समूह क	3	1	-	-	-
समूह ख	7	4	39	-	3
समूह ग	25	7	56	-	4
कुल	**35**	**12**	**95**	**-**	**7**

ख) वर्ष के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां: शून्य

ग) एससी/एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिकों के लिए संपर्क अधिकारी का विवरण:

- मुख्य संपर्क अधिकारी –श्री सुरेश कुमार एम, विकास अधिकारी
- संपर्क अधिकारी– श्रीमती नलिनाक्षी के आर, अनुभाग अधिकारी

7.7.5 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी):

क) एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के संबंध में पदों और सेवाओं में प्रतिनिधित्व डेटा:

पहली सीधी भर्ती (2008–09) के समय ओबीसी उम्मीदवार के लिए दो पद (तकनीकी सहायक और वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का एक–एक) आरक्षित थे और दोनों पद भरे हुए थे।

ख) वर्ष के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां: शून्य

ग) एससी/एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिकों के लिए संपर्क अधिकारी का विवरण:

- प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, बी और एच प्रभाग (केंद्रीय मंत्रालय में उप सचिव के समकक्ष पद)

घ) आरक्षण सेल का विवरण– सभी आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए एक आरक्षण सेल का गठन किया गया है। सेल में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी, बी और एच प्रभाग

प्रयोगशाला सहायक, आरसीआई प्रभाग

7.7.6 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी):

क) एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के संबंध में पदों और सेवाओं में प्रतिनिधित्व डेटा:

श्रेणी	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी
समूह क	75	16	94	01	17
समूह ख	06	-	04	-	-
समूह ग	13	-	09	-	03
कुल	**94**	**16**	**107**	**01**	**20**

ख) वर्ष के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां:

श्रेणी	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल
वर्ष 2025 के दौरान भरी गई बैकलॉग रिक्तियों की संख्या	04	05	05	14
बैकलॉग रिक्तियों की संख्या जो भरी नहीं गई है	11	06	25	42

ग) **एससी/एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिकों के लिए संपर्क अधिकारी का विवरणः**

- श्री पार्थ माझी, वरिष्ठ महाप्रबंधक, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी
- सुश्री अदीबा बारी, मुख्य प्रबंधक, ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी

घ) **आरक्षण सेल का विवरण**– आरक्षण सेल एनएसआईसी प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में गठित किया गया है। उक्त सेल के काम की देखभाल के लिए 02 प्रबंधकों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

7.7.7 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे):

क) **एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी के संबंध में पदों और सेवाओं में प्रतिनिधित्व डेटाः**

श्रेणी	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	पीडब्ल्यूडी
समूह क	-	-	1	-	-
समूह ख	1	-	-	-	-
समूह ग	7	-	12	-	-
कुल	**8**	**-**	**13**	**-**	**-**

ख) **वर्ष के दौरान भरी गई बैकलॉग आरक्षित रिक्तियांः** शून्य

ग) **एससी/एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस और पूर्व सैनिकों के लिए संपर्क अधिकारी का विवरणः** शून्य

अनुबंध–I

प्रमुख स्कीम–वार कुल व्यय 2023–24, 2024–25 तथा वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान एवं व्यय विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	कुल व्यय 2023–24	कुल व्यय 2024–25	बजट अनुमान (बीई) 2025–26	संशोधित अनुमान (आरई) 2025–26	दिनांक 20.01.2026 तक व्यय
1	गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन (जीईसीएल)	14000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00
2	पीएम विश्वकर्मा स्कीम	745.92	3993.10	5100.00	4400.00	2370.99
3	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	3106.18	2277.00	2954.42	2548.66	2249.41
4	एमएसएमई कार्यनिष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प)	1319.41	662.34	1500.00	1468.00	906.38
5	खादी ग्रामोद्योग विकास योजना	660.98	842.54	1065.77	870.04	663.62
6	निधियों का कोष (पूंजी)	579.45	575.00	700.00	900.00	658.45
7	नए प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्र हब और स्पोक की स्थापना	9.99	37.45	591.00	150.00	8.75
8	क्लस्टर विकास कार्यक्रम	178.66	290.11	410.00	320.00	148.10
9	प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) ईएपी	94.10	161.06	400.00	228.50	103.39
10	परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति)	2.41	0.08	362.00	140.00	57.88
11	टूल रूम एवं तकनीकी संस्थान	140.00	139.73	160.00	181.22	149.41
12	कयर विकास योजना	92.15	74.48	104.39	95.00	78.12
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	100.00	99.90	151.21	100.00	76.87
14	उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	62.84	73.79	96.00	95.70	71.81
15	अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण – पूर्वोत्तर और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन	49.39	49.57	95.00	90.00	54.51

एमएसएमई मंत्रालय और उसके सांविधिक निकायों के कार्यालयों के संपर्क पते

क्र. सं.	संगठन का नाम और पता	वेबसाइट और ई–मेल	टेलीफोन	फैक्स
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कर्तव्य भवन–3, नई दिल्ली–110001	वेबसाइट: www.msme.gov.in ई–मेल: min-msme@nic.in	011-23063800, 23063802-06	011-23062315, 23061068, 23061726
2	विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, कर्तव्य भवन–03 नई दिल्ली–110001	वेबसाइट: www.dcmsme.gov.in; www.laghu.com; www.smallindustry. com ई–मेल: dc-msme@nic.in	011-23063800, 23063802-06	011-23062315, 23061726, 23061068
3	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, (केवीआईसी), "ग्रामोदय''3, इर्ला रोड, विले पार्ले, (पश्चिम), मुंबई – 400056, महाराष्ट्र	वेबसाइट: www.kvic.org.in ई–मेल: kvichq@bom3.vsnl.net.in; ditkvic@bom3.vsnl.net.in; dit@kvic.gov.in	022-26714320-25/ 26716323/ 26712324/ 26713527-9/ 26711073/ 26713675	022-26711003
4	कयर बोर्ड, "कयर हाउस", एम.जी. रोड, एर्नाकुलम, कोच्चि–682016, केरल	वेबसाइट: www.coirboard.gov.in ई–मेल: info@coirboard.org; coirboard@nic.in	0484-2351900, 2351807, 2351788, 2351954, टोल फ्री– 1-800-4259091	0484-2370034, 2354397
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी), एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली–110 020	वेबसाइट: www.nsic.co.in ई–मेल: info@nsic.co.in	011-26926275, 26910910, 26926370 टोल फ्री– 1-800-111955	011-26932075, 26311109
6	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्मसे), यूसुफगुडा, हैदराबाद–500045	वेबसाइट: www.nimsme.gov.in ई–मेल: ar@nimsme.gov.in	040-23633260, 23633202, 23633203, 23633213	-
7	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, मगनवाड़ी, वर्धा–442001	वेबसाइट: www.mgiri.org ई–मेल: director.mgiri@gmail.com	0752-253512	0752- 240328

एमएसएमई मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों की सूची

1. कयर बोर्ड		
1	**कयर बोर्ड – मुख्यालय** कयर हाउस, कयर बोर्ड, एम.जी. रोड, कोच्चि, केरल, 682016	दूरभाष: 0484-2351900 ई–मेल: coirboard@nic.in info@coirboard.org वेबसाइट: www.coirboard.gov.in
2	**कयर प्रदर्शन और सूचना केंद्र** कयर बोर्ड, राजीव गांधी हस्तशिल्प भवन, द्वितीय तल, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001	दूरभाष: 011-24337766
3	**हिंदुस्तान कयर** कयर बोर्ड कलावूर पी.ओ., अलाप्पुझा, केरल, 688522	दूरभाष: 0477-2258267 ई–मेल: hindcoir@gmail.com
अनुसंधान संस्थान		
1	**केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई)** केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई), कयर बोर्ड कलावूर–पी.ओ., अलाप्पुझा– 688522	दूरभाष: 0477 2258094, 0477 2258480, 0477 2258933 ई–मेल: ccri.coirboard@gmail.com coirboard.ccri@gmail.com
2	**केन्द्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईसीटी)** केन्द्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईसीटी) कयर बोर्ड, सं.3ए, पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, टीवीएस क्रॉस बैंगलोर के पास, कर्नाटक–560 058	दूरभाष: 0674 – 2350078 ई–मेल: coirtechnology@gmail.com
प्रशिक्षण केंद्र		
1	**राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र (एनसीटी और डीसी)** राष्ट्रीय कयर प्रशिक्षण और डिजाइन केंद्र (एनसीटीडीसी) कयर बोर्ड, कलावूर–पी.ओ., अलाप्पुझा, केरल –688 522	दूरभाष: 0477-2258067 ई–मेल: adnctdc@gmail.com
2	क्षेत्रीय विस्तार केंद्र तंजावुर क्षेत्रीय विस्तार केंद्र कयर बोर्ड, पिल्लैयारपट्टी वाया वल्लम तंजावुर तमिलनाडु–613403	दूरभाष: 0436 2265255 ई–मेल: cbrectnjcoirboard@gmail.com
क्षेत्रीय कार्यालय		
1	**बेंगलुरू** क्षेत्रीय कार्यालय कयर बोर्ड, पीन्या औद्योगिक क्षेत्र, पीन्या, बेंगलुरू, कर्नाटक–560 058	दूरभाष: 080-28375023 ई–मेल: robcoir@yahoo.co.in

2	**भुवनेश्वर** क्षेत्रीय कार्यालय कयर बोर्ड, जगमारा (उद्योगपुरी), पी.ओ. खंडगिरि, भुवनेश्वर, ओडिशा–751 030	दूरभाष: 0674-2350078 ई–मेल: rocoirboardbbsr@gmail.com
3	**राजमुंदरी** क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड, स्वराज नगर, ए सी गार्डन, डौलेसरम रोड, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश–533 101	दूरभाष: 0883-2420196 ई–मेल: coirboardrorjy@yahoo.co.in
4	**पोलाची** क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड, नंबर–41, नेहरू स्ट्रीट, महालिंगा पुरम, राउंडाना के पास, पानी की टंकी के पास, पोलाची, कोयंबटूर, तमिलनाडु–642 002	दूरभाष: 04259-222450 ई–मेल: coirpollachi2@gmail.com
5	**कांकावली** क्षेत्रीय कार्यालय कयर बोर्ड प्रहार बिल्डिग (जीएफ), कंकावली, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र–416602	ई–मेल: cbro.sindhudurg@gmail.com
6	**कलावूर** क्षेत्रीय कार्यालय कयर बोर्ड कयर बोर्ड कॉम्प्लेक्स, कलावूर पी.ओ., अल्लेप्पी, केरल–688522	दूरभाष: +91-477- 2258801 /2258480 / 2258415 ई–मेल: coirmarkscheme@yahoo.com
7	**बालासोर** कयर बोर्ड विस्तार केंद्र ग्राउंड फ्लोर, एनओसीसीआई बिजनेस पार्क, ट्रेड टावर, बामपाड़ा, बालासोर, ओडिशा–756 056	दूरभाष: 06782-255255 ई–मेल: cbecbls@gmail.com
8	**सिंधुदुर्ग** कयर बोर्ड विस्तार केंद्र कमरा संख्या 207, जिला कलेक्टरेट बिल्डिग ओरोस, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र – 416 812	दूरभाष: 02362-228092 ई–मेल: cbec.sindhudurg@gmail.com
उप–क्षेत्रीय कार्यालय		
9	**अहमदाबाद** उप क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड ग्राम निर्माण भवन–द्वितीय तल, ओल्ड वाडज, अहमदाबाद–380013, गुजरात	ई–मेल: coirboardsroahmd@gmail.com
10	**कन्नूर** उप क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड, माधव अपार्टमेंट, थेजुक्किल पीडिका, मेले चोव्वा, कन्नूर, केरल–670 006	दूरभाष: 0497-2726360 ई–मेल: srocbkannur@gmail.com

11	**हैदराबाद** कयर बोर्ड उप क्षेत्रीय कार्यालय, 5–8–328/1, चैपल रोड, हैदराबाद–500 001	दूरभाष: +91-40-23202276 मोबाइल: +91 8985712276 ई–मेल: coirboardsrohyd@gmail.com
12	**गुवाहाटी** कयर बोर्ड उप–क्षेत्रीय कार्यालय, ग्राउंड फ्लोर, हाउस नंबर 01 रत्नागिरीपथ, भमुनी मैदान, गुवाहाटी – 781 022	दूरभाष: 0361-2556828 ई–मेल: cbsroghty@gmail.com
13	**कवरथी** उप क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, केरल के अंतर्गत क्रियाशील	दूरभाष: 04896-262026 ई–मेल: srokavaratti@gmail.com
14	**कोलकाता** उप क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड नया सचिवालय भवन, सी–ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर 1, किरण शंकर रॉय रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल–700001	दूरभाष: 033-64586422 ई–मेल: coirtechnology@gmail.com
15	**पोर्ट ब्लेयर** उप क्षेत्रीय कार्यालय, कयर बोर्ड एनेक्स बिल्डिंग, उद्योग परिसर, विभागीय वर्कशॉप के पीछे, मिडिल प्वाइंट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार – 744101	दूरभाष: 03192-230265 ई–मेल: coirportblair@gmail.com

2. एनएसआईसी

क्र. सं.	कार्यालय	पता	संपर्क सं. तथा ई–मेल
1	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	cmd@nsic.co.in 011-26927172, 26926067
2	निदेशक (नीति एवं विपणन) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	dpm@nsic.co.in 011-26927327
3	निदेशक (वित्त) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	dfin@nsic.co.in 011-26920920
4	कार्यकारी निदेशक (कार्य, संपदा प्रभाग और प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	navinchopra@nsic.co.in 011-26920911
5	मुख्य महाप्रबंधक (बैंक टाईअप, बीजी के सापेक्ष कच्चा माल सहायता, बिल डिस्काउंटिंग, सीएसआर और प्रशासन) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	ravikumar@nsic.co.in 011-26924505
6	मुख्य महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट विपणन, घरेलू प्रदर्शनियां, एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम और निविदा विपणन) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	manojlal@nsic.co.in 011-26926275
7	वरिष्ठ महाप्रबंधक (सीएमडी सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मानव संसाधन) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	styagi@nsic.co.in 011-26926067
8	वरिष्ठ महाप्रबंधक (एनएसएसएच) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	kksharma@nsic.co.in 011-26926275
9	वरिष्ठ महाप्रबंधक (कॉर्पोरेट नीति, डिजिटल सेवा सुविधा और प्रशिक्षण) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	vidyasagar@nsic.co.in 011-26324401
10	मुख्य सतर्कता अधिकारी राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	cvo@nsic.co.in 011-26926513
11	महाप्रबंधक (विधि और वसूली और सीपीआईओ) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	opgupta@nsic.co.in 011-26924503
12	महाप्रबंधक (आईटी प्रभाग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	sandeepmohan@nsic.co.in 011-26927502
13	महाप्रबंधक (अंतरिक्ष विपणन प्रकोष्ठ, ईएमसी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	makhan@nsic.co.in 011-26926275

क्र. सं.	कार्यालय	पता	संपर्क सं. तथा ई–मेल
14	महाप्रबंधक (पीएम विश्वकर्मा), सीएमआर, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए संपर्क अधिकारी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	rajeshkumar@nsic.co.in 011-26926275
15	महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा प्रभाग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	pmajhi@nsic.co.in 011-26924502
16	महाप्रबंधक (व्यवसाय विकास आरएमडी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	akc@nsic.co.in 011-26928023
17	महाप्रबंधक (प्रौद्योगिकी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	opsingh@nsic.co.in 011-26926315
18	उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (आंतरिक लेखापरीक्षा) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	kkagrawal@nsic.co.in 011-26926275
19	उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) (कंपनी सचिव) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	nishthagoyal@nsic.co.in 011-26926275
20	उप महाप्रबंधक (अनुबंध एवं खरीद) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	nitikaanand@nsic.co.in 011-26924507
21	उप महाप्रबंधक (ओबीसी के लिए संपर्क अधिकारी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड।	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	sanjayshari@nsic.co.in 011-26826801
22	उप महाप्रबंधक (शिकायत अधिकारी) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	एनएसआईसी भवन, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली – 110020	grievance@nsic.co.in 011-26926275

3. केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय

क्र. सं.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल
	उत्तरी क्षेत्र			
1	दिल्ली (निवासी प्रतिनिधि कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, केवीआईसी पवेलियन, गेट नंबर 4, गांधी दर्शन, राजघाट के पास, नई दिल्ली – 110002	011-23724695, 011-23724694	011-23724694	rrkvic.kvic@gov.in
2	दिल्ली (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, के–ब्लॉक, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001	011-2341 2796, 011-2341 8620	011-23418620	sodelhi.kvic@gov.in
3	हरियाणा (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 103–ए, द मॉल, पी बी.34, अम्बाला कैंट–133001	0171-2630 334, 0171-2643 688	0171-264 688	soambala.kvic@gov.in
4	हिमाचल प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, क्लीव लैंड, चौड़ा मैदान, शिमला–171 004	0177-2806528, 0177-2652320	0177-265 320	soshimla.kvic@gov.in
5	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 242, शास्त्री नगर, जम्मू–180004	0191-2458 333, 2433 412	0191-243412	sojammu.kvic@gov.in
6	पंजाब (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, एस.सी.ओ. – 3003–04, सेक्टर–22 डी, चंडीगढ़–160 022	0172-2701 261, 2702 690	0172-2702 690	sochandigarh.kvic@gov.in
7	राजस्थान (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, झालाना डूंगरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर–302004	0141-2707 850	0141-2706 969	sojaipur.kvic@gov.in
8	मण्डल कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, किशन भवन, श्रीगंगानगर रोड, बीकानेर–334004	0151-2250 171	0151-2250 161	dobikan.kvic@gov.in

क्र. सं.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल
9	क्षेत्रीय सीमा विकास कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग, माणिक्यलाल वर्मा भवन, नेहरू नगर, आदर्श स्टेडियम के पास, बाडमेर–344001	02982-220 061	02982-226966	rbdobarmer.kvic@gov.in
10	कुमारप्पा राष्ट्रीय हस्तनिर्मित कागज संस्थान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, रामसिंहपुरा, सीकरपुरा रोड, सांगानेर, जयपुर – 302 029	0141-6556 616	0141-2730 369	knhpi.kvic@gov.in
	पूर्वी क्षेत्र			
1	बिहार (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पोस्ट–बी.वी. कॉलेज परिसर, शेखपुरा, पटना–800014	0612-2228 010	0612-2228 010	sopatna.kvic@gov.in
2	सेंट्रल स्लाइवर प्लांट खादी और ग्रामोद्योग आयोग, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर, जिला–वैशाली–844101 (बिहार)	06224-273 776, 274 315	06224-274 315	csphajipur.kvic@gov.in
3	झारखंड (राज्य), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 191–सी, विद्यालय मार्ग, एट एंड पोस्ट अशोक नगर, रांची, पिन–834002	0651-3502400	0651-2213 839	soranchi.kvic@gov.in
4	ओडिशा (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग सं. जे/16, भीमपुर, गंडामुंडा, पी.ओ. खंडगिरि, भुवनेश्वर–751 030	0674-2351 161, 2351 131	0674-2351 161	sobhubaneshwar.kvic@gov.in
5	पश्चिम बंगाल (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 33, चित्तरंजन एवेन्यू, 6वीं और 7वीं मंजिल, कोलकाता–700012	033-2211 9491, 2211 4345	033-2211 9491	sokolkata.kvic@gov.in
6	मण्डल कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ग्राम– धनतला, पी.ओ. सैटेलाइट टाउनशिप, सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल – 734015	-	-	dosiliguri.kvic@gov.in

क्र. सं.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल
	पश्चिमी क्षेत्र			
1	गोवा (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सुशीला बिल्डिंग, पहली मंजिल, 'ए–विंग, एलआईसी कार्यालय के सामने, 18 जून रोड, पणजी –403 001	0832-2223 676	0832-2223 676	sogoa.kvic@gov.in
2	गुजरात (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ई–ब्लॉक, चौथी मंजिल, कैपिटल कमर्शियल सेंटर, एलिस ब्रिज, आश्रम रोड, अहमदाबाद–380 009	079-2657 9974, 2657 9974	079-2657 9974	soahmedabad.kvic@gov.in
3	महाराष्ट्र (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, राष्ट्रीय बीमा भवन, चौथी मंजिल, 14, जमशेद जी टाटा रोड, चर्चगेट, मुंबई–400020	022-2281 7449	022-2281 7449	somumbai.kvic@gov.in
4	मंडलीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, प्रथम तल, मैत्री विलो, सर बेजोंजी मेहता रोड, गांधी सागर, नागपुर–440018	0712-3918 036	0712-2565 151	donagpur.kvic@gov.in
	पूर्वोत्तर क्षेत्र			
1	असम (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, रूपनगर, गुवाहाटी–781 032	0361-2461023, 2461 126	0361-2461 023	soguwahati.kvic@gov.in
2	अरुणाचल प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, एच–सेक्टर, ईटानगर–791 113	0360-2212224, 2291 663	0360-2212 224	soitanagar.kvic@gov.in
3	मणिपुर (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पाओना बाज़ार, इंफाल–795001	0385-2451 759	0385-2451 759	soimphal.kvic@gov.in
4	मेघालय (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, वार्ड क्रमांक 8, ओकलैंड, शिलांग–793001	0364-2227 807	0364-2227 807	soshillong.kvic@gov.in
5	मिजोरम (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, डी–66, सिकुलपुइकाउन, रिपब्लिक रोड, आइजोल–796 001	0389-2316 387	0389-2316 387	soaizwal.kvic@gov.in

क्र. सं.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल
6	नागालैंड (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स, दीमापुर–797112	03862-226 546	03862-226 546	sodimapur.kvic@gov.in
7	सिक्किम (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इंदिरा बाई पास, एसडीएफ भवन के पास, पी. ओ. ताडोंग, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम–737102	03592-280 696	03592-280 696	sosikkim.kvic@gov.in
8	त्रिपुरा (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, असम–अगरतला रोड, कामारपुकुरपार, पी.ओ. अगरतला कॉलेज जिला पश्चिम त्रिपुरा–799 004 (अगरतला)	0381-2323735, 2323 735	0381-2323 735	sotripura.kvic@gov.in
	दक्षिणी क्षेत्र			
1	आंध्र प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नंबर 56–3–10ए, पहली और दूसरी मंजिल, रामिनेनीवारी स्ट्रीट, पटामाता, विजयवाड़ा – 520010	0866-2471725/ 247352		sohyderabad.kvic@gov.in
2	तेलंगाना (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ब्लॉक–ए, निम्समे कैंपस, यूसुफगुडा, हैदराबाद–500 045	040-2460 8464	040-2460 8464	sotelangana.kvic@gov.in
3	मंडलीय कार्यालय, खादी और वी. आई. आयोग, डी.नं.13–28–8, श्रीहरि प्लाजा महारानीपेटा, विशाखापत्तनम–530002	0891-2561 156, 2565 904	0891-2561 156	dovizag.kvic@gov.in
4	कर्नाटक (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पोस्ट–विजिनापुरा, दूरवानीनगर, बैंगलोर – 560 016	080-2566 5885, 2566 5884	080-2566 5885	sobangalore.kvic@gov.in
5	मंडलीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग संघ (फेड) परिसर, बेंगेरी, हुबली – 580 023	0836-2282882	----	dohubli.kvic@gov.in

क्र. सं.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल
6	सेंट्रल स्लाइवर प्लांट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पी.बी.नं. 81, प्लॉट नं. 9–10–11, केलागोटे औद्योगिक क्षेत्र, चित्रदुर्ग – 577 501	08194-235285, 235 285	08194-235 285	cspchitradurga.kvic@gov.in
7	केरल (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पैटम पैलेस, पी.ओ., तिरुवनंतपुरम–695004	0471-2331 061, 2331 625	0471-2331 061	sotvm.kvic@gov.in
8	सेंट्रल स्लाइवर प्लांट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, पोस्ट ऑफिस –कुत्तूर, त्रिशूर–680 013	0487-2387 120, 2387 119	0487-2387 120	cspthrissur.kvic@gov.in
9	तमिलनाडु (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 326, अवाई शनमुगम रोड, गोपालपुरम, चेन्नई–600 086	044-2835 1019	044-2835 1697	sochennai.kvic@gov.in
10	मंडलीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 10, बाई पास रोड, मदुरै–625 010	0452-2386 792	0452-2386 762	domadurai.kvic@gov.in
11	उप कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 20, मरियम्मन कोइल स्ट्रीट, अवरामपालयम, कोयंबटूर – 641006	0422-2964006	0422-2964006	subcoimbatore.kvic@gov.in
	केन्द्रीय क्षेत्र			
1	छत्तीसगढ़ (राज्य कार्यालय), खादी और ग्रामोद्योग आयोग, प्रथम तल, गांधी भवन, केयूर भूषण स्मृति परिसर, कंकालीपारा, रायपुर–492001	0771-2886 428, 2885 164	0771-2886 428	soraipur.kvic@gov.in
2	मध्य प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, बी–3/4 विंग, कार्यालय परिसर, गौतम नगर, भोपाल–462023	0755-2583 668, 2583 667	0755-2583 668	sobhopal.kvic@gov.in
3	सेंट्रल स्लाइवर प्लांट खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इछावर रोड, सीहोर – 466001	07562-228 202, 228 201	07562-228 202	cspsehore.kvic@gov.in
4	उत्तराखंड (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जनरल महादेव सिंह रोड, कंवाली, देहरादून – 248001	0135-2627 241, 2724 709	0135-2627 241	sodehradun.kvic@gov.in

क्र. सं.	कार्यालय	दूरभाष	फैक्स	ई–मेल
5	उत्तर प्रदेश (राज्य कार्यालय) खादी और ग्रामोद्योग आयोग, 'ग्रामोदय', इंदिरा नगर, फ़ैज़ाबाद रोड, लखनऊ – 226 016	0522-2354 511, 2311 112	0522-2310 378	solucknow.kvic@gov.in
6	मंडलीय कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग पुरानी चुंगी के पास, गढ़ रोड, मेरठ – 250 001	0121-2653 288, 2647 645	0121-2653 288	domeerut.kvic@gov.in
7	मंडलीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, संस्कृत विश्वविद्यालय मार्ग, वाराणसी – 221 002	0542-2204 434, 2208 697	0542-2204 434	dovaranasi.kvic@gov.in
8	मंडलीय कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, दूसरी मंजिल, साई कॉम्प्लेक्स, सामने, मुंसी प्रेमचंद पार्क, बेतिया हाता, जिला– गोरखपुर – 273001	0551-2344 943	0551-2344 943	dogorakhpur.kvic@gov.in
9	सेंट्रल स्लाइवर प्लांट, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, प्लॉट नंबर सी–14, रोड नंबर 2, औद्योगिक क्षेत्र, अमावां रोड, जिला– रायबरेली – 229001	0535-2217 088	0535-2217 088	cspraebareli.kvic@gov.in

अनुबंध–IV

विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय के अंतर्गत 18 टूल रूम और तकनीकी संस्थानों की सूची

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम और उनका प्रभारी	पता और वेबसाइट	ई–मेल एवं संपर्क मोबाइल नं.
1.	**श्री आर.डी. पाटिल** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद।	पी–31, एमआईडीसी, चिकलथाना औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद 431 006 www.igtr-aur.org	gm@igtr-aur.org 9545877348
2.	**श्रीमती मितल कौशल देसाई** महाप्रबंधक एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो टूल रूम), अहमदाबाद	प्लॉट–5003, फेज–IV,जीआईडीसी वटवा, मेहमेदाबाद रोड, अहमदाबाद 382 445 (गुजरात) www.igtrahd.com	gm@igtrahd.com pstogm@igtrahd.com 9825070705
3.	**श्री डी.वी. रौतेला** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो जर्मन टूल रूम), इंदौर	प्लाट नं.291/बी, 302/ए, सेक्टर–ई, सांवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर 452 015 (म.प्र.) www.igtr-indore.com	patogm@igtr-indore.com igtrindore-mp@nic.in 9229490702
4.	**श्री शरण पाल सिंह तग्गर** महाप्रबंधक (प्रभारी), एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय टूल रूम), लुधियाना	ए–5, फोकल प्वाइंट, लुधियाना–141 010 (पंजाब) www.ctrludhiana.org	gmctrludhiana@gmail.com tcludhiana@dcmsme.gov.in 9463268726
5.	**डॉ. टी विजय कृष्ण कंठ** प्रधान निदेशक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय उपकरण डिजाइन संस्थान), हैदराबाद	ए –1 से ए –8, एपीआईई, बालानगर, हैदराबाद–500 037 (तेलंगाना) www.citdindia.org	citdpddcmsme@yahoo.com pstopd@citdindia.org 7894937684
6.	**श्री देबदत्त गुहा** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी (केंद्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र), कोलकाता	बोनहुघली औद्योगिक क्षेत्र कोलकाता–700108 (पश्चिम बंगाल) www.msmetoolroomkolkata.com	cttc-msme@gov.in debdutta.guha@msmetoolroomkolkata.com 9871472369
7.	**श्री राजशेखर लिंगम** महाप्रबंधक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र), भुवनेश्वर	बी–36, चंदका औद्योगिक क्षेत्र, पी.ओ. पटिया भुवनेश्वर–751 024 (उड़ीसा) www.cttc.gov.in	cttc@cttc.gov.in rajasekhar.lingam@gmail.com 9434491950
8.	**श्री आनंद दयाल** महाप्रबंधक एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इंडो डेनिश टूल रूम) जमशेदपुर	एम–4 (भाग) चरण–VI, टाटा कांड्रा रोड, गम्हरिया जमशेदपुर–832 108 (झारखंड) www.idtr.gov.in	reach@idtrjamshedpur.com ananddayal@idtr.gov.in 7485806806

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम और उनका प्रभारी	पता और वेबसाइट	ई–मेल एवं संपर्क मोबाइल नं.
9.	**श्री जजाति के. मोहंती** परियोजना प्रबंधक (स्वतंत्र प्रभार) एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र), गुवाहाटी	अमीनगांव औद्योगिक क्षेत्र, उत्तर गुवाहाटी रोड, अमीनगांव, गुवाहाटी–781 031 www.trtcguwahati.org	trtcghy@hotmail.com 9438081475
10.	**श्री पी.के. वर्मा** प्रधान निदेशक (प्रभारी) एमएसएमई– प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय हस्त उपकरण संस्थान) जालंधर	जी.टी. रोड, बाई पास, शहीद भगत सिंह कालोनी के सामने जालंधर–144008 (पंजाब) www.ciht.in	info@ciht.in cihtjld@gmail.com 9915466844
11.	**श्री संजीव कुमार चेट्टी** प्रधान निदेशक एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (विद्युत मापन उपकरण डिजाइन संस्थान), मुंबई	स्वातंत्र्यवीर तात्या टोपे मार्ग, चुनाभट्टी, सायन, मुंबई –400 022 www.idemi.org	info@idemi.org 9845034047
12.	**श्री दिनेश चंद्र** प्रधान निदेशक एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा एवं प्रशिक्षण केंद्र), रामनगर	ढेला रोड, कनिया, रामनगर जिला नैनीताल–244715 उत्तराखंड www.estcindia.com	pd_estc@yahoo.com 9719399199
13.	**श्री सचिन राजपाल** प्रधान निदेशक एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (प्रक्रिया एवं उत्पाद विकास केंद्र), आगरा	फाउंड्री नगर, आगरा–282006 (उ.प्र.) www.ppdcagra.dcmsme.gov.in	ppdcagra@gmail.com 9667275588
14	**श्री आदित्य प्रकाश शर्मा** प्रधान निदेशक (प्रभारी) एमएसएमई– प्रौद्योगिकी केंद्र (प्रक्रिया सह उत्पाद विकास केंद्र), मेरठ	स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्प्लेक्स, दिल्ली रोड, मेरठ–250002 (उ.प्र.) www.ppdcmeerut.com	info@ppdcmeerut.com 9711933049
15	**श्री सचिन राजपाल** निदेशक (प्रभारी), एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान), आगरा।	सी–41 एवं 42, साइट 'सी' सिकंदरा रोड, औद्योगिक क्षेत्र, आगरा–282007 (उ.प्र.) www.cftiagra.org.in	info@cftiagra.org.in 9667275588
16	**श्री के. मुरली** निदेशक, एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान), चेन्नई	65/1, जी.एस.टी. रोड, गिण्डी, चेन्नई–600032 www.cftichennai.in	chennaicfti@gmail.com, cfti@cftichennai.in 9840291804

क्र. सं.	प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम और उनका प्रभारी	पता और वेबसाइट	ई–मेल एवं संपर्क मोबाइल नं.
17.	**श्री एस.वी. शुक्ला** प्रधान निदेशक (प्रभारी), एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केंद्र (सुगंध एवं स्वाद विकास केंद्र), कन्नौज	इंडस्ट्रियल एस्टेट, जीटी रोड, पी.ओ. मकरंदनगर, कन्नौज–209726 (उ.प्र.) www.ffdcindia.org	ffdcknj@gmail.com, shaktiffdc@gmail.com 9415334050
18.	**श्री सचिन राजपाल** प्रधान निदेशक (प्रभारी) एमएसएमई– प्रौद्योगिकी केंद्र (कांच उद्योग विकास केंद्र), फिरोजाबाद	ए–1/1, औद्योगिक क्षेत्र, जलेसर रोड, पी.ओ. मुइद्दीनपुर फिरोजाबाद–283203 (उ.प्र.) www.cdgiindia.net	cdgifzbd@gmail.com 9667275588

एमएसएमई–डीएफओ और शाखा एमएसएमई–डीएफओ की राज्य–वार सूची

संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पद, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
1 आंध्र प्रदेश			
एमएसएमई–डीएफओ, विशाखापत्तनम	श्री आर. सेंथिल कुमार, संयुक्त निदेशक, मो. 9445547991	श्री चंद्रमौली, ए.डी. ग्रेड–II, मो. 8123371266	एफ–19 से 22, 'डी' ब्लॉक, ऑटोनगर, विशाखापत्तनम–530012, फोन 0891–2517942 ईमेल: dcdi-vish@dcmsme.gov.in
2. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह			
शाखा एमएसएमई–डीएफओ, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार द्वीप)	श्री गोपाल सिन्हा सहायक निदेशक ग्रेड–1 मो. 7782867741	श्री पी. के. दास निदेशक मो. 7003794210	औद्योगिक एस्टेट, डॉलीगंज, पोस्ट बॉक्स नंबर–547, जंगलीघाट पोस्ट, श्री विजय पुरम–744103; फोनः 03192–259305; ई–मेलः brmsmedi-pb@ dcmsme-gov-in
3. अरुणाचल प्रदेश			
शाखा एमएसएमई–डीएफओ, ईटानगर	श्री सतीश कुमार सहायक निदेशक ग्रेड–1 मो. 9899710407	श्री विजय सेहरावत, सहायक निदेशक ग्रेड– I, मो. 9896048400	एपीआईडीएफसी लिमिटेड बिल्डिंग, 'सी' सेक्टर, पिनः 791111 ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश फोन–(0360) 2291176; ई–मेलः brmsme.itan@gmail.com
4. असम			
i एमएसएमई–डीएफओ, गुवाहाटी	श्री गौरव जोशी, निदेशक, मो.– 9711188044	श्री डी.के. राबा, उप निदेशक ग्रेड–I, मो. 6001834958 ई–मेलः dk.rabha67@ dcmsme.gov.in	मनीराम दीवान रोड, बामुनिमैदाम, गुवाहाटी–781021 फोनः (0361) 2970591 ई–मेलः dcdi-guwahati@dcmsme.gov.in
ii शाखा एमएसएमई–डीएफओ, सिलचर	श्री जी.सी. दास, सहायक निदेशक, ग्रेड–I, फोन नं: 7002708382	श्री सुमित गणेश गुंडेया, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9049789143	लिंक रोड प्वाइंट, एन.एस. एवेन्यू, सिलचर–788006, जिला–कछार (असम) टेलीफोन नंबरः (03842)–241649, ईमेल आईडीः brdcdi-silc@ dcmsme.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पद, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
iii	शाखा एमएसएमई– डीएफओ, तेजपुर	श्री आशीष पाधी, सहायक निदेशक ग्रेड–1, फोन नं: 9408302450	श्री गौरव जोशी, निदेशक, मो. 9711188044	दरांग कॉलेज रोड (पश्चिम), तेजपुर, पिनः 784001, जिला– सोनितपुर, असम टेलीफोनः 03712–221084 ई–मेलः brdcdi-tezp@dcmsme.gov.in
iv	शाखा एमएसएमई– डीएफओ, दिफू, (असम)	श्री राहुल भारद्वाज, सहायक निदेशक ग्रेड–I, फोन नं: 9582093108	श्री गौरव जोशी, निदेशक, मो. 9711188044	सिविल अस्पताल के पास, दीफू, पिनः 782460, जिला–कार्बी आंगलोंग, असम, ईमेलः brmsmediphu@gmail.com, brdcdi-diph@dcmsme.gov.in
5. बिहार				
i	शाखा एमएसएमई– डीएफओ, मुजफ्फरपुर	श्री आर.के. चौधरी निदेशक, फोन नं: 9212256205	श्री ऐ. शालेमू राजुलु, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9110773258	एमएसएमई–डीएफओ, गौशाला रोड, रमना, मुजफ्फरपुर, बिहार–842002, ईमेलः dcdi-mzfpur@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई– डीएफओ, पटना	श्री आर.के. चौधरी, निदेशक फोन नं: 9212256205	श्री सुनील कुमार अग्निहोत्री, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 8299233545	एमएसएमई–डीएफओ, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार, पाटलिपुत्र औद्योगिक एस्टेट, पटना–800013, फोनः 0612–2262186, 2262568, 2262208, ईमेलः dcdi-patna@dcmsme.gov.in
6. चंडीगढ़			डीएफओ, लुधियाना के अंतर्गत आता है	
7. छत्तीसगढ़				
एमएसएमई– डीएफओ, रायपुर		श्री लोकेश कुमार परगनिहा, संयुक्त निदेशक, फोन नं: 7869437037	श्री किशोर बी इरपेट, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9423525935	उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास, भानपुरी औद्योगिक क्षेत्र, पोस्ट– बिरगांव, रायपुर, पिन– 493221, छत्तीसगढ़, ईमेल आईडीः dcdi-raipur@dcmsme.gov.in
8. दादरा और नगर हवेली एवं दमन				
शाखा एमएसएमई– डीएफओ, सिलवासा (दादर और नगर हवेली)		श्री प्रवीण उतरेशवर, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9730110712	श्री शक्ति सिंह तंवर, अनुभाग अधिकारी, मो. 7290833994	मसाट इंडस्ट्रियल एस्टेट, सिल्वासा, फोन– (0260) 2640933/2966369, ईमेल आईडीः brdcdi-silv@dcmsme.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पद, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
9. दिल्ली				
i	एमएसएमई–डीएफओ, नई दिल्ली	डॉ. आर.के. भारती, निदेशक मो. 9998879118, ईमेलः rk.bharti69@gov.in	श्री डी. एस. तोमर, उप निदेशक, मो. 9868484999	शहीद कैप्टन गौर मार्ग, ओखला औद्योगिक एस्टेट के सामने, नई दिल्ली–110020, फोन नं. –26838118/26838068/26847223, ईमेल आईडीः dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, नई दिल्ली	श्री अरुण डिफो, सहायक निदेशक, ग्रेड–I, मो. 7005645703, 9485235167	डॉ. आर.के. भारती, संयुक्त निदेशक/कार्यालय प्रमुख मो. 9998879118 ईमेल : rk.bharti69@gov.in	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, एल ब्लॉक, कानॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001, फोन नं. –23411950/23414364, ई–मेलः br.nd-msmedi@dcmsme.gov.in
10. गोवा				
एमएसएमई–डीएफओ, गोवा		श्री मुकेश कुमार मीना निदेशक, मो. 9462813877	श्री धनंजय आर. जौहरी, उप निदेशक, मो. 8879405522	एमएसएमई – डीएफओ, कोंकण रेलवे के सामने, मडगांव, गोवा–403601 फोनः 0832–2705092/93, ईमेलः dcdi-goa@dcmsme.gov.in
11. गुजरात				
i	एमएसएमई–डीएफओ, अहमदाबाद	श्री मनोज कुमार वत्स, निदेशक, मो. 8587030740	श्री अलक कुमार मित्रा, उप निदेशक, मो. 7838963889	एमएसएमई टॉवर" एनआर. सीआईएमएस अस्पताल, साइंस सिटी रोड, सोला, अहमदाबाद, फोन–(079) 27543147/27544248, ईमेलः dcdi-ahmbad@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, राजकोट (गुजरात)	श्री मणिकन्दन एच. सहायक निदेशक मो. 8220223841	श्री आशुतोष त्रिपाठी, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 8247742657	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, राजकोट (गुजरात), फोनः 0281–2471045, ई–मेलः brdcdi-rajk@dcmsme.gov.in
12. हरियाणा				
i	एमएसएमई–डीएफओ, करनाल	श्री संजीव चावला, अपर विकास आयुक्त, मो. 9810908426, ईमेलः schawla@dcmsme.gov.in	श्री मुकेश वर्मा, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 97290 58308	11–ए, आईडीसी, आईटीआई के पास, कुंजपुरा रोड, करनाल– 132 001, फोनः 0184–2208100, 2208113, ई–मेलः dcdi-karnal@dcmsme.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पद, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
ii	शाखा एमएसएमई– डीएफओ, भिवानी	सुश्री रचना त्रिपाठी, सहायक निदेशक, मो. 9017109998 ईमेलः rachna.tripathi@gov.in	सुश्री निशा बत्रा, सहायक निदेशक ग्रेड –II, मो. 9968514234	आईटीआई परिसर, हांसी रोड, भिवानी, 127021, फोनः 01664–243200, ईमेलः brdcdi-bhiw@dcmsme.gov.in
13. हिमाचल प्रदेश				
एमएसएमई–डीएफओ, सोलन		श्री ए.के. गौतम, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9412372661 ईमेलः akgautam@msmediagra.gov.in	श्री अभिषेक कुमार राय, सहायक निदेशक ग्रेड–I, ईमेलः abhishek10724@gmail.com, dcdi-solan@dcmsme.gov.in मो. 9955724856	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, चंबाघाट, सोलन – 173 213 फोनः 0179–2230766 ईमेलः dcdi-solan@dcmsme.gov.in
14. जम्मू एवं कश्मीर				
i	एमएसएमई– डीएफओ, जम्मू	श्री अमित कुमार तमरिया, संयुक्त निदेशक, मो. 9891273375	श्री राजेश कुमार, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 7837309095	औद्योगिक एस्टेट, डिगियाना, जम्मू–180 010 दूरभाष : 0191–243177 ईमेलः dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई– डीएफओ, श्रीनगर	श्री साहिल याकूब अलकबंद, सहायक निदेशक ग्रेड–I , मो. 9796369757	श्री अमित कुमार तमरिया, संयुक्त निदेशक, मो. 9891273375	औद्योगिक एस्टेट के सामने, संत नगर, श्रीनगर–190005, जम्मू और कश्मीर दूरभाष– 0194–2438143 ईमेलः brdcdi-srinagar@dcmsme.gov.in
15. झारखंड				
i	एमएसएमई– डीएफओ, रांची	श्री इन्द्रजीत यादव, निदेशक, मो. 8126248984	श्री सुरेन्द्र शर्मा, सहायक निदेशक, ग्रेड–I, मो. 7860950389, ईमेलः dcdi-ranchi@dcmsme.gov.in	एमएसएमई–डीएफओ, इंडस्ट्रियल एस्टेट, कोकर, रांची–834001 मो. 0651–2546266/2546235, ईमेलः dcdi-ranchi@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई. डीएफओ, धनबाद (झारखंड)	श्री दीपक कुमार, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 8335884408	श्री सुजीत कुमार, सहायक निदेशक ग्रेड–II, मो. 9431377181	शाखा एमएसएमई–डीएफओ कतरास रोड, मटकुरिया, धनबाद, धनबाद–826001, दूरभाषः 0326–2303769, ईमेलः dcdi-ranchi@dcmsme.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पद, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
16. कर्नाटक				
i	एमएसएमई– डीएफओ, बैंगलूरू	श्री देवराज के., निदेशक, मो. 9343332009 ईमेलः devaraj.k@gov.in	श्री जी. नागराज, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 8088696627	राजाजीनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट, बेंगलुरु–560010, फोनः 080–23151581–82–83 डायरेक्ट नं. 080–23151540 ईमेल : dcdi-bang@dcmsme.gov.in,
ii	शाखा एमएसएमई– डीएफओ, मैंगलोर	श्री सुंदरा शेरीगारा मो. 9481444618 ईमेलः sundar.smala@gov.in	सुश्री सुमन एस राजू, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9448383720, ईमेलः sumansraju@nic.in	एल–11, इंडस्ट्रियल एस्टेट, येय्याडी, मैंगलोर –575008, फोन. 0824–2217936/2217696 ईमेल : brdcdi-mang@dcmsme.gov.in
iii	एमएसएमई– डीएफओ, हुबली	श्री शशि कुमार एम., संयुक्त निदेशक, मो. 9845656769	श्री बी. एस. जवालगी, उप निदेशक, मो. 9632467868	एमएसएमई–डीएफओ, गोकुल रोड पुलिस स्टेशन के पीछे, गोकुल रोड, हुबली। फोन– 0836–2330389/5634, ईमेल : dcdi-hubli@dcmsme.gov.in
iv	शाखा एमएसएमई– डीएफओ, गुलबर्गा	श्री धरंजीत सिंह, सहायक निदेशक ग्रेड –I, मो. 7560089983	श्री शशि कुमार एम. संयुक्त निदेशक, मो. 9845656769	सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने पीडीए इंजीनियरिंग कॉलेज रोड, आई.वान. ई, शाही गुलबर्गा–02, फोन– 08472–277120 ईमेलः brdcdi-gulb@dcmsme.gov.in
17. केरल				
एमएसएमई– डीएफओ, त्रिशूर		श्री जी.एस. प्रकाश, संयुक्त निदेशक, मो. 9447875070 ईमेलः dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in	श्री मार्टिन पी चाको, सहायक निदेशक ग्रेड –I, मो. 9446355562, ईमेलः dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in	एमएसएमई–डीएफओ, अय्यनथोल, कंजानी रोड, त्रिशूर–680003, फोन 0487–2360536, 2360686 ई–मेलः dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in
18. लद्दाख				
एमएसएमई–विकास केंद्रीय इकाई, लद्दाख		श्री अमित कुमार तमारिया, संयुक्त निदेशक, मो. 9891273375	श्री राजेश कुमार, सहायक निदेशक ग्रेड –I, मो. 7837309095	इनक्यूबेशन सेंटर परिसर, लेह मेन गेट, लेह–194901, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र फोनः 0198–2295001, ईमेलः msmednc-leh@gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पद, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
19. लक्षद्वीप				
एमएसएमई–विकास केंद्रीय इकाई, कवरत्ती, लक्षद्वीप		श्री पेरूमाल एस. सहायक निदेशक ग्रेड –I, मो. 9289865606 ईमेलः brdcdi-laks@dcmsme.gov.in	श्री जी. एस. प्रकाश, निदेशक, फोनः 9447875070 ईमेलः dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in	एमएसएमई – डेवलपमेंट न्यूक्लियस सेल, अमिनी – 682 552, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र, भारत ईमेलः brdcdi-laks@dcmsme.gov.in
20. मध्य प्रदेश				
i	एमएसएमई–डीएफओ, इंदौर	डॉ. नीरज अरोड़ा, संयुक्त निदेशक, मो. 9815729775	श्री निलेश त्रिवेदी, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 6266981081 ईमेलः nilesh.trivedi.msme@gov.in	10–पोलोग्राउंड, औद्योगिक एस्टेट, इन्दौर–452015 (म. प्र.) दूरभाष सं.: 0731–2421659, ई–मेलः dcdi-indore@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, रीवा (मध्य प्रदेश)	श्री क्रिस्टोफर मिंज, उप निदेशक, मो.: 9406668482	श्री सुजीत के घोष, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9163385510	उद्योग विहार, चोरहट्टा, रीवा–486006 (म.प्र.), फोनः : 07662–299278, ई–मेलः dcdirewa.msme@gov.in
iii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, ग्वालियर (मध्यप्रदेश)	श्री राजीव कुमार, उप निदेशक, मो.: 9761308902	सुश्री निकुंज शर्मा, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9868577582	7–इंडस्ट्रियल एस्टेट, तानसेन रोड, बिरला नगर, ग्वालियर– 474004 (मध्य प्रदेश) फोन– 0751–2422590 फैक्स 0751–2422590 ईमेलः dcdigwl.msme@gov.in
21. महाराष्ट्र				
i	एमएसएमई–डीएफओ, मुंबई	श्री मिलिंद बारापात्रे, निदेशक, मो. 9341431110	श्री सुनील खुजनारे, उप. निदेशक, मो. 8308470101	एमएसएमई–डीएफओ, मुंबई, कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका, मुंबई–72, फोनः 022–28576090/3091/4305 dcdi-mumbai@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई डीएफओ, पुणे (महाराष्ट्र)	श्री अभय दप्तारदार, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9619927453	श्री मिलिंद बारापात्रे, निदेशक, मो. 9341431110	शाखा एमएसएमई डीएफओ, पुणे (महाराष्ट्र)
iii	शाखा एमएसएमई डीएफओ, औरंगाबाद	श्री राहुल मिश्रा , सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9623674909	सुश्री सुनीता, सहायक निदेशक, मो. 9929939466	पी 83, नारेगांव रोड, चिकलथान इन्डस्ट्रियल एरिया, औरंगाबाद (छ. संभाजीनगर) 431006 फोनः 0240 2954040 ई–मेलः brmsmedi.abd@dcms-me.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पद, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
IV	एमएसएमई–डीएफओ, नागपुर	डॉ. विजय आर. सिरसाथ, संयुक्त निदेशक, मो. 9527944616	श्री सुभाष इंगेवर, उप निदेशक, मो. 9572987677	सीजीओ, कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक–सी, सेमिनरी हिल्स, नागपुर–440006, फोनः 0712–2510046,2510352, ईमेलः dcdi-nagpur@dcmsme.gov.in
22. मणिपुर				
एमएसएमई–डीएफओ, इम्फाल		श्री मोहम्मद अली रहमान, निदेशक, मो. 99681 50445	श्री मनोज शर्मा, सहायक निदेशक, मो. 9988018308	एमएसएमई–डीएफओ, इंडस्ट्रियल एस्टेट ताकियेलपत, इंफाल पश्चिम जिला, इंफाल–795001, ईमेलः dcdi-imphal@dcmsme.gov.in,
23. मेघालय				
i	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, शिलांग	श्री पी बी सुरेश, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9496078403	श्री प्रभात कुमार सिंह, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9109530691	लोअर न्यू कॉलोनी, बी. के. बाजोरिया स्कूल के सामने, पिनः 793 001 शिलांग, मेघालय, दूरभाष/फैक्स नंबरः (0364)–2507586 ई–मेलः brdcdi-shil@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, तुरा	डॉ. दुर्गेश कुमार पांडे, सहायक निदेशक ग्रेड–1, मो. 9910201527	श्री गौरव जोशी, निदेशक, मो. 9711188044	टी.वी. टावर के पास, डाकोपग्रे, तुरा–794101 पश्चिम–गारो हिल्स (मेघालय) ई–मेल आईडीः brdcdi-tura@turadcmsme.gov.in
24. मिज़ोरम				
शाखा एमएसएमई–डीएफओ, आइजोल (मिजोरम)		श्री सम्राट झा सहायक निदेशक ग्रेड–1, मो. 7766919615	श्री हर्षद एस. कुर्वरे, सहायक निदेशक ग्रेड–II, मो. 8459709955, ईमेलः harshadkurware98@gmail.com	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, एल.एच.रोसांगा बिल्डिंग, बेसमेंट–1, ह्वदैक़ॉवन, त्लांगनुअम पश्चिम, आइजोल– 796005, मिजोरम, फोनः 0389 –2999074, ईमेल आईडी– dcdi-aizw@dcmsme.gov.in
25. नागालैंड				
एमएसएमई–डीएफओ, दीमापुर (नागालैंड)		श्री मोहम्मद अली रहमान, निदेशक, मो. 99681 50445	श्री गौरव सैनी, सहायक निदेशक, ग्रेड–I मो. 9811767482	एमएसएमई–डीएफओ, दीमापुर 6वी माईल सोविमा, दीमापुर–797115, नागालैंड ईमेलः brdcdi-dima@dcmsme.gov.in फोन 03862–248552

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पद, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
26. ओडिशा				
i	एमएसएमई–डीएफओ, कटक	श्री पवन कुमार गुप्ता, निदेशक, मो. 8002768669	सुश्री नितिशा मान, संयुक्त निदेशक, मो. 9911888823	एमएसएमई–डीआई, विकास सदन, कॉलेज स्क्वायर, कटक–753003, फोनः 0671–2201958 ईमेलः dcdi-cuttack@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, राउरकेला (ओडिशा)	श्री एस. के. साहू, निदेशक, मो. 8249715558	श्री डी. के. नायक, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9366170257	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, सी/9, इंडस्ट्रियल एस्टेट, राउरकेला, ओडिशा–769004, संपर्कः 0661–2402492, ईमेलः brdcdi-rour@dcmsme.gov.in
iii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, रायगड़ा (ओडिशा)	श्री नोसिना कोटिरत्नम, सहायक निदेशक ग्रेड–1, मो. 9437268448	सुश्री जे. निवेथा, सहायक निदेशक, मो. 9962013667	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, आर के नगर, रायगड़ा, ओडिशा– 765001, संपर्क– 06856 – 235868, ईमेलः brdcdi-raya@dcmsme.gov.in
27. पुडुचेरी		**डीएफओ, चेन्नई के अंतर्गत आता है।**		
28. पंजाब				
एमएसएमई डीएफओ, लुधियाना		श्री पंकज कुमार झा, संयुक्त निदेशक, मो. 7044090963	श्री वजीर सिंह उप निदेशक, मो. 8288017112	एमएसएमई–डीएफओ, इंडस्ट्रियल एरिया–बी, संगीत सिनेमा के सामने, लुधियाना, दूरभाषः 0161–2531733 ई–मेलः dcdi-ludhiana@dcmsme.gov.in
29. राजस्थान				
एमएसएमई डीएफओ, जयपुर		श्री प्रदीप ओझा, निदेशक, मो. 9649887496	श्री अजय शर्मा, उप निदेशक, मो. 9829062337	एमएसएमई डीएफओ, जयपुर, 22 गोदाम, इंडस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर 302006, फोनः 0141–2210553 ईमेल– dcdi-japur@dcmsme.gov.in
30. सिक्कम				
एमएसएमई डीएफओ, गंगटोक		श्री निर्मल चौधरी, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9433222137	श्री अक्षय मुरकुटे, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9689609889	के के सिंह बिल्डिंग, ताडोंग बाजार, एनएच–310, पी.ओ.– ताडोंग, गंगटोक–737102 सिक्किम, ईमेल–dcdi-gangtok@dcmsme.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पद, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
31. तमिलनाडु				
i	एमएसएमई– डीएफओ, चेन्नई	श्री एस. सुरेश बाबूजी, निदेशक, मो. 9791164466	श्री सी पी रेड्डी, सहायक निदेशक, मो. 9438175051	एमएसएमई– डीएफओ, चेन्नई, 65/1, जी.एस.टी. रोड, गुइंडी, पी. बी. 3746, चेन्नई–600032, तमिलनाडु ईमेलः dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
ii	शाखा एमएसएमई– डीएफओ, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	सुश्री कायलविजही, सहायक निदेशक, मो. 9486114285	श्री एस. सुरेश बाबूजी, निदेशक, मो. 9791164466	नंबर 386, पटेल रोड, रामनगर, कोयंबटूर – 641009, तमिलनाडु, ईमेलः brdcdi-coim@dcmsme.gov.in
iii	शाखा एमएसएमई– डीएफओ, मदुरई (तमिलनाडु)	श्री जयसेल्वम वी. सहायक निदेशक ग्रेड–1, मो. 9486656521 simiyon.g@dcmsme.gov.in	श्री एस. सुरेश बाबूजी, निदेशक, मो. 9791164466	प्लॉट नंबर 11, के. पुदुर, सीडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, मदुरै–625006, फोनः 0452–2918313, ईमेलःbrdcdi.mdri@dcmsme.gov.in
iv	शाखा एमएसएमई– डीएफओ, तिरूनेवल्ली	श्री सिमियोन जी, सहायक निदेशक ग्रेड–1, मो. 7550168851	श्री एस. सुरेश बाबूजी, निदेशक, मो. 9791164466	शेड सं. 7–8, सीडको इंडस्ट्रियल एस्टेट, पेट्टई तिरुनेल्वेलि–627010, तमिलनाडु, फोनः 0462–2342137, ईमेलः brdcdi-tuti@dcmsme.gov.in
32. तेलंगाना				
एमएसएमई–डीएफओ, हैदराबाद		श्री सी.एस.एस. राव, संयुक्त निदेशक, मो. 9871291787	सुश्री एन. सुमथी, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 9885003202 ईमेलः sumathi@dcmsme.gov.in	एमएसएमई डीएफओ, नरसापुर क्रॉस रोड्स, बालानगर, हैदराबाद–500037, तेलंगाना, फोनः 040–23078131–133, 23078857 ईमेलः dcdi-hyd@dcmsme.gov.in
33. त्रिपुरा				
एमएसएमई– डीएफओ, अगरतला		श्री एस. विजया कुमार, निदेशक, मो. 8971423923	श्री सुनील सैनी, सहायक निदेशक मो. 9205321086	इंद्रानगर, आईटीआई प्ले ग्राउंड के पास, पी.ओ.– कुंजाबन, अगरतला–799006, दूरभाष– 0381–2352013, 2356570, ईमेलः dcdi-agartala@dcmsme.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पद, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
34. उत्तर प्रदेश				
i	एमएसएमई– डीएफओ आगरा	श्री विष्णु कुमार वर्मा, निदेशक, मो. 7355160963	श्री अभिषेक सिंह, सहायक निदेशक, ग्रेड–I, मो. न. 9458703640	34, इंडस्ट्रियल एस्टेट, नुनहाई, आगरा 282006; सिटी ऑफिस– तीसरी मंजिल, सीजीओ, कॉम्प्लेक्स, ए–विंग, संजय प्लेस, आगरा – 282002 ईमेलः dcdi-agra@dcmsme.gov.in
ii	एमएसएमई– डीएफओ, प्रयागराज	श्री लाल बहादुर सिंह यादव, निदेशक, मो.– 9467902950	श्री वैभव खरे, सहायक निदेशक, ग्रेड–1, मो. 9565830901	ई–17/18, इंडस्ट्रियल इस्टेट, नैनी, प्रयागराज, उ.प्र. 211010, फोन– 0532–2696810, ई–मेलः dcdi-allbad@dcmsme.gov.in
iii	शाखा एमएसएमई– डीएफओ, वाराणसी (उ.प्र.)	श्री राजेश कुमार चौधरी, सहायक निदेशक ग्रेड–1, मो. 7044207331	श्री लाल बहादुर सिंह यादव, निदेशक, मो.– 9467902950	इंडस्ट्रियल एस्टेट, चांदपुर, वाराणसी– 221106, दूरभाषः 0542–2370621, ई–मेलः brdcdi-vara@dcmsme.gov.in
iv	एमएसएमई– डीएफओ, कानपुर	श्री विष्णु कुमार वर्मा, निदेशक मो. 7355160963	श्री सुनील कुमार पांडेय, सहायक निदेशक, ग्रेड–I मो. 9305005406, 8851451990	एमएसएमई–डीएफओ 107 इंडस्ट्रियल एस्टेट, कालपी रोड फजलगंज कानपुर–208012 फोनः 0512–2240143, 2295072
36. उत्तराखंड				
i	एमएसएमई– डीएफओ, हल्द्वानी	श्री एस. के. नेवर, निदेशक, मो. 9891576656	श्री एस.सी. कंदपल, उप निदेशक, मो. 9837804532	एमएसएमई–डीएफओ, हल्द्वानी खाम बंगला कॅम्पस कलादूँगी रोड, हल्द्वानी–263139, उत्तराखंड, ई–मेलः dcdi-haldwani@dcmsme.gov.in
ii	एमएसएमई– डीएफओ, देहरादून	श्री एस. के. नेवर, निदेशक, मो. 9891576656	श्री प्रतिभ दीक्षित, सहायक निदेशक मो. 6386124883	एमएसएमई–डीएफओ, देहरादून सीध्ओ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), थानों रोड, भोपालपानी, देहरादून, उत्तराखंड–248008, ई–मेलः dcdi-dehradun@dcmsme.gov.in
37. पश्चिम बंगाल				
i	एमएसएमई– डीएफओ, कोलकाता	श्री पी के दास, निदेशक, मो. 7003794210	श्री सीतानाथ मुखोपाध्याय, उप निदेशक मो. न. 7980071162	एमएसएमई–डीएफओ, 111 और 112 बीटी रोड, कोलकाता– 700108, दूरभाष. नंबर 033–25770595/98, ई–मेलः dcdi-kolkatta@dcmsme.gov.in

संस्थान का नाम		कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पद, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी
ii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	श्री राजर्षि माजी, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 6291257542	श्री पी.के. दास, निदेशक, मो. 7003794210	आरए–39 (ग्राउंड फ्लोर), उर्वशी (चरण–II), बंगाल अंबुजा, ताराशंकर सारणी, सिटी सेंटर, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)–713216, ई–मेलः dcdi-durg@dcmsme.gov.in;
iii	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, सूरी, बीरभूम (पश्चिम बंगाल)	श्री प्रथमेश एस महागडे, सहायक निदेशक ग्रेड–II, मो. 9359636620	श्री पी.के. दास, निदेशक, मो. 7003794210	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, आरएन टैगोर रोड, पुलिस लाइन, सूरी, बीरभूम, ई–मेलः brdcdi-birb@dcmsme.gov.in
iv	शाखा एमएसएमई–डीएफओ, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल)	श्री यश कुमार सिंह, सहायक निदेशक ग्रेड–II, मो. 6387787916	श्री पी.के. दास, निदेशक, मो. 7003794210	औद्योगिक क्षेत्र, शेड नं.–3 और 4, सेवोके रोड, पश्चिम बंगाल–734001, मो. 8637826793, ई–मेलः brdcdi-sili@dcmsme.gov.in

एमएसएमई परीक्षण केंद्रों (टीसी) और एमएसएमई परीक्षण स्टेशनों (टीएस) का संपर्क विवरण

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ई–मेल आई डी
1	दिल्ली	एमएसएमई–टीसी, ओखला, नई दिल्ली	श्री सत्य वीर शर्मा निदेशक मो. 9971854654	श्री करुण कुमार, उप– निदेशक मो. 9810248939	'उत्कृष्टता केंद्र' एमएसएमई–परीक्षण केंद्र, कैप्टन गौड़ मार्ग, ओखला चरण III, ओखला एस्टेट, नई दिल्ली–110020 फोन नंबर 011–49539515/ 92556924 ईमेलः dctc-nr@dcmsme.gov.in
2	महाराष्ट्र	टीसी, मुंबई	श्री नरेंद्र एस्टोलकर, निदेशक मोबाइलः 9768686250	श्री विपुल गायकवाड, सहायक निदेशक, मोबाइलः 9604777377	एमएसएमई–परीक्षण केंद्र, एमएसएमई–डीएफओ परिसर, कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका, मुंबई – 400 072 (महाराष्ट्र) फोनः (022) 28570588 / 28576998 ईमेलः dctc-wr@dcmsme.gov.in
3	तमिलनाडु	टीसी, चेन्नई	श्री वी. गोविंदराज, निदेशक, मोबाइलः 9885486708	श्री एस. सतेश कुमार, उप निदेशक मोबाइलः 9443829389	एमएसएमई परीक्षण केंद्र, 65/1, जीएसटी रोड, गुइंडी, चेन्नई – 600032 दूरभाषः 044–22500634, ईमेलः dctc-sr@dcmsme.gov.in
4	पश्चिम बंगाल	टीसी, कोलकाता	श्री. एम के अंजनैया संयुक्त. निदेशक, मोबाइलः 9640378334	श्री मनोज कुमार, सहायक निदेशक मोबाइलः 8961835031	111 और 112, बी.टी.रोड, कोलकाता – 700108, फोनः 033–25771353, ईमेलः dctc-er@dcmsme.gov.in
5	गुजरात	टीसी, अहमदाबाद	श्री मनोज कुमार वत्स, निदेशक मोबाइलः 8587030740	श्री अलक कुमार मित्र उप निदेशक मोबाइलः 7838963889	डीएफओ कैंपस, एमएसएमई टॉवर सीआईएमएस अस्पताल के पास, साइंस सिटी रोड सोला–380060.अहमदाबाद ईमेलः dcdi-ahmedabad@dcmsme .gov.in

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ई–मेल आई डी
6	बिहार	टीसी, पटना	श्री आर.के. चौधरी, निदेशक, मोबाइल: 9212256205	श्री सुनील कुमार अग्निहोत्री सहायक निदेशक ग्रेड–1 मो. 8299233545	एमएसएमई–डीएफओ परिसर, पाटिलपुत्र इंडस्ट्रियल एस्टेट पटना –800013
7	नागालैंड	टीसी, दीमापुर	श्री मो. अली रहमान, निदेशक, मोबाइल: 9968150445	श्री वाई. निखिलेन्द्र, सहायक निदेशक ग्रेड–I, मो. 7008870596	एमएसएमई– डीएफओ कैंपस, 6 माइल, सोविमा (नागालैंड बांस संसाधन केंद्र के पास) दीमापुर–7971151 ईमेल: brdcdi-dima@dcmsme-gov.in
एमएसएमई–परीक्षण केंद्र					
1	इंदौर	टीएस, भोपाल	श्री नीरज अरोड़ा, संयुक्त निदेशक, मोबाइल: 9815729775	श्री एम.एन. गिरामे, सहायक निदेशक ग्रेड–1, मोबाइल: 7049064028	एमएसएमई– परीक्षण स्टेशन, एमपीएलयूएन शेड नंबर 36–37, रोड नंबर – 9, सेक्टर –ई, औद्योगिक क्षेत्र, गोविंदपुरा, भोपाल–462023 फोन नंबर: 0755–2586075 ईमेल: dctsbhopal@dcmsme.gov.in
2	कर्नाटक	टीएस, बेंगलुरू	श्री देवराज के., निदेशक, मोबाइल: 9480159505	जी नागराज, सहायक निदेशक ग्रेड–1, मोबाइल सं. :8088696627	एमएसएमई–डीएफओ कैंपस, राजाजीनगर इंडस्ट्रियल एस्टेट, वेस्ट ऑफ कॉर्ड रोड, बैंगलोर–560010 ईमेल: dcts-blr@demsme.gov.in
3	केरला	टीएस, एट्टुमानुर	श्री वी. गोविंदराज, संयुक्त निदेशक, मोबाइल: 9885486708	श्री पी.एबन जयकुमार, सहायक निदेशक, मोबाइल: 8197298223	एमएसएमई, प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक एस्टेट, एट्टूमनूर, पिन:686631,फोन: 0481–2535533,2535563, 8197298223, ईमेल: msmeti-ettu@dcmsme.gov.in
4	महाराष्ट्र	टीएस, कोल्हापुर	श्री वैभव सहायक निदेशक मोबाइल: 9004030915	श्री मिलिंद बारापात्रे, निदेशक, मोबाइल: 9341431110, 9371128504	पी–31, एमआईडीसी, शिरोली, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, फोन: 0230–2469366, ईमेल: dcts-kolha@dcmsme.gov.in

क्र. सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थान का नाम	कार्यालय प्रभारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	प्रभारी की अनुपस्थिति में अधिकारी का संपर्क विवरण– नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर	कार्यालय का पता, संपर्क विवरण, ई–मेल आई डी
5	पुडुचेरी	टीएस, पुडुचेरी	श्री एम. उदय कुमार, सहायक निदेशक, मोबाइलः 9488516615	-	एमएसएमई परीक्षण स्टेशन, 110 कामराज सलाई, थिंडीकनम रोड, पुदुचेरी–605 009, ईमेलः dcts-pondy@dcmsme.gov.in
6	तेलंगाना	टीएस, हैदराबाद	श्री सी.एस.एस. राव, संयुक्त निदेशक, मोबाइलः 9871291787	श्री के. एन. एल. मूर्ति, सहायक निदेशक, मोबाइलः 9908571790	एमएसएमई परीक्षण स्टेशन, ए1, औद्योगिक एस्टेट, सनथ नगर, हैदराबाद –18. फोनः 040–28704371, 29700415 ईमेलः dcts-hyd@dcmsme.gov.in
7	राजस्थान	टीएस, जयपुर	श्री प्रदीप ओझा, निदेशक, मोबाइलः 971118044	श्रीमती शिमला मीणा, उप निदेशक, मोबाइलः 9810604428	एमएसएमई–टीएस, जयपुर, ग्राउंड फ्लोर, एमएसएमई–डीएफओ बिल्डिंग, 22 गोदाम इंडस्ट्रियल एस्टेट, जयपुर फोन 0141–2212090 ईमेलः dcts-japur@dcmsme.gov.in

एमएसएमई परीक्षण केंद्रों (टीसी) और एमएसएमई परीक्षण स्टेशनों (टीएस) में विशेषज्ञता, कार्य क्षेत्र और कवर किए गए क्षेत्र

टीसी और टीएस का नाम	कार्य क्षेत्र	कवर किए गए क्षेत्र
एमएसएमई–टीसी, नई दिल्ली	घरेलू उपकरण, आयामी अंशांकन, सिविल	मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल
एमएसएमई–टीसी, कोलकाता	रासायनिकः मेटलोग्राफिक विश्लेषण, लौह और अलौह दोनों, पेंट और तेल, थर्मल। **विद्युतः** विद्युत लैंप, सूखी बैटरी, पंखे, तार और केबल, ट्रांसफार्मर और ट्रांसफर ऑयल। **मैकेनिकलः** अंशांकन गतिविधियों के अलावा विभिन्न प्रकार के वाल्व, पाइप, पीआर, कुकर और एलपीजी सिलेंडर।	यांत्रिक, मेटलर्जिकल, रसायन, विद्युत
एमएसएमई–टीसी, मुंबई	विद्युत सहायक उपकरण और ल्यूमिनरीज़	यांत्रिक, मेटलर्जिकल, रसायन, विद्युत
एमएसएमई–टीसी, चेन्नई	भवन निर्माण सामग्री, फुटवियर उत्पाद, पेयजल, विद्युत कंड. क्टर / केबल / नाली, घरेलू प्रेशर कुकर, पेंट, बिजली संरक्षण प्रणाली घटक	मैकेनिकल, मेटलर्जिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, माइक्रोबायोलॉजी, चमड़ा और फुटवियर।
एमएसएमई–टीसी, अहमदाबाद	कागज परीक्षण, पॉलिमर पहचान और रबर परीक्षण	कागज, कागज उत्पाद और पॉलिमर/ रबड़ उत्पाद
एमएसएमई–टीसी, पटना*	भवन निर्माण सामग्री, धातु परीक्षण	यांत्रिक, मेटलर्जिकल और रसायन उत्पाद
एमएसएमई–टीसी, दीमापुर*	भवन निर्माण सामग्री	यांत्रिक, मेटलर्जिकल उत्पाद
एमएसएमई–टीएस, जयपुर	लौह, अलौह और निर्माण सामग्री, कागज परीक्षण	भौतिक, रासायनिक उत्पाद
एमएसएमई–टीएस, हैदराबाद	चीनी मिट्टी के घटक, एरियल बंच्ड केबल	विद्युत, भौतिक, रासायनिक उत्पाद
एमएसएमई–टीएस, बेंगलुरु	पीवीसी इंसुलेटेड केबल, एलईडी लैंप, एलईडी स्ट्रीट लाइट, ल्यूमिनरीज, आईपी परीक्षण और कंपन परीक्षण	विद्युत उत्पाद
एमएसएमई–टीएस, एट्टुमानुर	रबर उत्पाद	रबर उत्पाद
एमएसएमई–टीएस, पुडुचेरी	लकड़ी के उत्पाद और जिप्सम प्लास्टर	भौतिक, रासायनिक उत्पाद
एमएसएमई–भोपाल	फास्टेनर, कॉपर और मिश्रधातु, सीटीडी/टीएमटी बार	भौतिक, रासायनिक उत्पाद
एमएसएमई–कोल्हापुर	लौह, मिश्रधातु तथा फाउंड्री कोक सामग्री	भौतिक, रासायनिक उत्पाद

** परीक्षण केंद्र का अभी तक प्रचालन कार्य शुरू नहीं हुआ है ।*

लघुरूप

एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एआरआई	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग
एस्पायर	नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता संवर्धन स्कीम
बीआई	बिजनेस इनक्यूबेटर
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सीसीए	कार्बन ऋण एकत्रीकरण केंद्र
सीडीसी	सामान्य प्रदर्शन केंद्र
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीवीवाई	कयर विकास स्कीम
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसी (एमएसएमई)	विकास आयुक्त (एमएसएमई)
डीआईसी	जिला उद्योग केंद्र
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
चुनाव आयोग	आर्थिक जनगणना
ईईटी	ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियाँ
ईएम–II	उद्यमी ज्ञापन भाग–II
ईएसडीपी	उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईपीएफसी	बौद्धिक संपदा अधिकार सुविधा केंद्र
आईएसईसी	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण–पत्र
केवीआईसी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग

एमएमडीए	संशोधित बाज़ार विकास सहायता
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्थान
एमजीआईआरआई	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसई–सीडीपी	सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम स्कीम
एमएसएमई – डीएफओ	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम – विकास एवं सुविधा कार्यालय
एमएसएमईडी एक्ट	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम
एनबीएमएसएमई	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड
एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनआईडी	राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान
निम्समे	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएसआईसी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
पीएमएसी	परियोजना निगरानी एवं सलाहकार समिति
पीएमईजीपी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीपीपी	सरकारी निजी कंपनी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाएँ
क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता परिषद
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरईबीटीआई	ग्रामीण इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी उद्योग
एससी	अनुसूचित जाति
सेबी	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

स्फूर्ति	पारंपरिक उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम
एसएमएएस	विशेष विपणन स्कीम
एसएमई	लघु एवं मध्यम उद्यम
एसपीवी	विशेष उद्देश्य वाहन
एसएसपीआरएस	एकल बिंदु पंजीकरण सब्सिडी स्कीम
एसटी	अनुसूचित जनजाति
टेकअप	प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन
ट्रेड	व्यापार संबंधी उद्यमिता सहायता एवं विकास
यूएएम	उद्योग आधार ज्ञापन
यूएपी	उद्योग सहायता मंच

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

www.msme.gov.in

@minmsme पर हमें फॉलो करें ।